जनजातीय उप योजना

[समिति के 85वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

जनजातीय कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्रालय

लोक लेखा समिति
(2022-23)

छप्पनवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी सं. 2285

छप्पनवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

जनजातीय उप योजना

[समिति के 85वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

जनजातीय कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्रालय

सत्यमेव जयते

14-12-2022 *को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।*

14-12-2022 *को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।*

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय-एक प्रतिवेदन

अध्याय-दो टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

अध्याय-तीन टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

अध्याय-चार टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

अध्याय-पांच टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं

परिशिष्ट

एक. लोक लेखा समिति (2022-23) की 05.12.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।

दो. लोक लेखा समिति के 85वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।

लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री विष्णु दयाल राम
6. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. अमर पटनायक
19. डॉ. सी.एम. रमेश
20. रिक्त*
21. डॉ. एम. थंबीदुरई
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. श्री टी.जी. चन्द्रशेखर - अपर सचिव
2. डॉ. युमनाम अरूण कुमार - निदेशक
3. श्री अशिको अलेमो - कार्यकारी अधिकारी

---

*श्री वि. विजयसाई रेड्डी 21 जून, 2022 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, जनजातीय कार्य, शिक्षा (पूर्व में मानव संसाधन विकास), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्रालयों से संबंधित "जनजातीय उप योजना" विषयक समिति के पचासीवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह छप्पनवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. पचासीवां प्रतिवेदन 18 दिसंबर, 2017 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों से अलग-अलग बैचों में उत्तर प्राप्त हो गए थे। समिति ने 05 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में छप्पनवें प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट – एक में दिया गया है।

3. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

4. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की सराहना करती है।

5. पचासीवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट – दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;

07 दिसंबर, 2022

16 अग्रहायण, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन जनजातीय कार्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं. 33 पर आधारित **"जनजातीय उप योजना"** विषयक समिति के 85वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. 85वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा),जिसे 18 दिसम्बर,2017 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, में 13 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पण प्राप्त हो गए हैं और उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

एक. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

पैरा सं. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 13

कुल: 08

अध्याय-दो

दो. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुये आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

पैरा सं. शून्य

कुल: शून्य

अध्याय –तीन

तीन. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है:

पैरा सं. 1, 3, 4, 9 और 12

कुल: 05

अध्याय –चार

चार. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत कर दिये हैं:

पैरा सं. शून्य

कुल: शून्य

अध्याय - पांच

3. समिति द्वारा "जनजातीय उप-योजना" विषय की विस्तृत जांच के दौरान यह पता चला कि जनजातीय उप योजना (टीएसपी) निधियों के निर्धारण और जारी करने के लिए विशिष्ट मानदंडों को स्वीकार नहीं करने, टीएसपी निधियों के लिए गैर-व्यपगत पूल का निर्माण न करने जैसी विसंगतियां, टीएसपी के तहत कार्यक्रमों का खराब प्रबंधन, नोडल इकाइयों के निर्माण में विलंब और गैर-निरूपण, दोषपूर्ण निगरानी प्रणाली, जनजातीय लोगों के लाभ के लिए सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रमों का गैर-कार्यान्वयन, टीएसपी के तहत जो अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं उन जनजातीय बहुल राज्यों को गलत तरीके से टीएसपी निधि जारी करना आदि। समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों/सिफारिशों का उल्लेख अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

4. समिति ने नोट किया था कि टीएसपी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जनजातीय बहुल राज्यों के साथ-साथ गैर- जनजातीय आबादी वाले राज्यों को भी टीएसपी निधि जारी की गई थी। यह भी देखा गया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच स्पष्टता और समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप एक राज्य, जनजातीय केंद्रित जिलों आदि में जनजातीय आबादी के प्रतिशत की अनुपयुक्त गणना हुई जिसके कारण गलत तरीके से निधि जारी की गई। अतः समिति ने संबंधित मंत्रालयों को अपने समन्वय और सूचना दर्शाने की व्यवस्था में सुधार करने और गलती करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने और गलत तरीके से जारी धन की वसूली सहित सुधारात्मक/उपचारात्मक उपाय करने का आग्रह किया था।

5. समिति ने पाया कि संशोधित टीएसपी दिशानिर्देशों और अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के बावजूद कि वित्त वर्ष के अंत में अप्रयुक्त टीएसपी निधि को टीएसपी निधि के गैर-व्यपगत पूल में स्थानांतरित करने और गैर-व्यपगत केंद्रीय पूल से टीएसपी फंड(एनएलसीपीटीएफ) का आनुपातिक धन का आवंटन विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को आवंटित करने, इस तरह के तौर-तरीकों को तैयार नहीं किया गया था। समिति की राय थी कि उक्त वित्त वर्ष के भीतर आवंटित टीएसपी फंड के इष्टतम उपयोग की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए और टीएसपी निधि के लिए गैर-व्यपगत पूल यथाशीघ्र बनाया जाना चाहिए।

6. समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय के मुद्दों/चिंताओं की पहचान करना और प्राथमिकता देना अनिवार्य है और सिफारिश की थी कि टीएसपी के तहत किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय जनजातीय समुदाय के इनपुट/सुझाव मांगे जाने चाहिए।

7. जनजातीय कार्य, मानव संसाधन विकास (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और आयुष मंत्रालयों द्वारा समिति की सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के संबंधित अध्यायों में पुनः प्रस्तुत किया गया है। समिति अब मूल प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी, जिसे या तो दोहराने जाने या मेरिट के आधार पर की टिप्पणियों आवश्यकता है।

8. समिति चाहती है कि संबंधित मंत्रालय संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणियों को प्रस्तुत करें।

<u>बेहतर वित्तीय प्रबंधन</u>

(सिफारिश पैरा सं. 1)

9. टीएसपी के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के विकास की कार्यनीति में टीएसपी निधि के उचित उपयोग और निगरानी हेतु प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के पमान फंड को पृथक शीर्ष खाते में रखना शामिल है। हालांकि, समिति ने पाया कि राज्य/जिला ब्लॉक स्तर पर एक पृथक शीर्ष के तहत टीएसपी निधियों का कोई वर्गीकरण नहीं हुआ है। माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को टीएसपी के तहत प्राप्त निधियों और व्यय के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 से जहां तक संभव हो, पृथक खाता/ रिकॉर्ड। शीर्ष के रखरखाव के अनुपालन, और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 सख्त अनुपालन और विभाग को प्रस्तुत अंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र में परिलक्षित करने के लिए लिखा है। समिति ने यह कहते हुए कि इस तरह के निर्देश राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को बहुत पहले जारी किए कर दिये जाने चाहिए थे, यह सिफारिश करती है कि अब विभाग को इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और निधियों के उपयोग की जांच तथा प्रगति के संबंध में अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी और समयबद्ध रूप से प्राप्त किया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि निधियों को जारी किए जाने के लिए प्रत्येक स्तर पर निधियों को पृथक शीर्ष में निर्धारित करने के अनुपालन को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

10. उपरोक्त सिफारिश के उत्तर में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने लेखापरीक्षा द्वारा अपने विधिवत पुनरीक्षित अंतिम की गई कार्रवाई उत्तर 21 मई, 2021 को समिति को प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नानुसार बताया गया है:-

> "लोक लेखा समिति के 85वें प्रतिवेदन और हाल ही में दिनांक 28 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि एमएचआरडी से संबंधित बिन्दु 1 और 8 से संबंधित उत्तरों को दिनांक 13 मार्च 2018 के पत्र संख्या 1-2/2015-ईई 15 (पार्ट) के माध्यम से सम्प्रेषित किया गया था।
>
> इस संबंध में विभाग ने दिनांक 21 फरवरी, 2017, 17 अक्टूबर 2017 और 28 मार्च 2018 के पत्र के माध्यम से विभिन्न पत्र भेजे, जिसके तहत विभाग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को टीएसपी के अंतर्गत निधियो/ किए गए व्यय के संबंध में पृथक लेखाओं/रिकॉर्ड और शीर्ष के रख- रखाव के सख्त अनुपालन के लिए लिखा है।
>
> पूर्ववर्ती योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा टीई को एक एकीकृत योजना-समय शिक्षा में

एकीकरण किए जाने के साथ, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को दिनांक 12 अप्रैल, 2019 के पत्र संख्या 2-16/2017- ईई.3/आईएस के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय शिक्षा योजना, के तहत उपयुक्त बैंक खाते और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में पृथक बैंक खाते का रखरखाव का अनुपालन करने और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए लेखाओं से निधियों का संवितरण सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। यह उल्लिखित किया जाता है कि राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को निधि उपयोगिता के अंतर्गत एसटी घटक और एससी घटक के रूप में अलग से दर्शाने के लिए अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं और विभिन्न स्तरों पर प्रासंगिक डाटा तक तुरंत पहुंच हेतु एक तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए।यह भी बताया जाता है कि विभाग ने राज्यों को राज्य बजट में एसटी घटक के लिए अलग से बजट शीर्ष उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि एसटी घटक (कुल बीई का 10.70%) के लिए केंद्रीय बजट और समग्र शिक्षा योजना में अनिवार्य प्रावधान प्रदान किए गए हैं।"

11. लेखापरीक्षा ने अपनी पुनरीक्षण टिप्पणी में निम्नानुसार बताया:-

"एक) मंत्रालय ने लोक लेखा समिति द्वारा यथा सिफारिश की गई निधि उपयोग और प्रगति की निगरानी और जांच हेतु किसी भी प्रकार का कार्रवाई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, निधियों को जारी करने के लिए प्रत्येक स्तर पर निधियों के पृथक शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकरण करने के सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामों को भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसे लोक लेखा समिति को उपलब्ध कराया जाए।

दो) कितने राज्यों ने मंत्रालय द्वारा दिनांक 12/04/2019 को जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन किया है?"

12. मंत्रालय ने अपने अद्यतन उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों द्वारा अभिशासित होता है और गतिविधियों और हस्तक्षेपों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है और हस्तक्षेपों के आधार पर एसटी के लाभ हेतु निधियों का बजटीकरण किया जाता है और उसी के अनुरूप व्यय किया जाता है। योजना के तहत लाभार्थी उन्मुख वित्त पोषित गतिविधियों में से कुछ का विवरण इस प्रकार है:-

एक. एसटी छात्रों सहित सभी बच्चों के लिए कक्षा आठवी तक निशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का प्रावधान।

दो. आठवीं कक्षा तक वर्दी-बीपीएल परिवारों सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को वर्दी के दो सेट।

तीन. सामाजिक समानता हेतु विशेष परियोजनाएः इस हस्तक्षेप के तहत एससी,एसटी,ओबीसी,अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ प्रदान किए जाते है।

चार. प्रारंभिक स्तर(छह-आठ) से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर(छह-बारह) तक बालिकाओं के लिए केजीबीवी। बालिकाओं के प्रारंभिक से माध्यमिक और कक्षा बारह तक जहां तक संभव हो,सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए यह योजना छठी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करने की इच्छुक एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों के 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के वंचित समूहों की बालिकाओं को और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच का प्रावधान करती है।

इसके अलावा, स्कूलों के उन्नयन सुद्धीकरण, आईसीटी सुविधाओं, व्यावसायिक शिक्षा आदि जैसे हस्तक्षेपों को अनुमोदित किए जाने के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यको और आकांक्षी जिलों साथ ही साथ शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों पर अधिक एकाग्रता के साथ विशेष फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है।

दिशानिर्देशों के अनुसार कुल बीई में से एससी के लिए 20% और एसटी के लिए 10.70% का बजटीय आवंटन किया जाता है। निधियों को पृथक उप-शीर्षो के तहत तदनुसार जारी किया जाता है और राज्यों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और विभिन्न उप प्रमुखों के तहत लेखांकन किया जाता है।

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने और समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन परियोजना निगरानी प्रणाली 'प्रबंध' की शुरुआत की गई है। यह https://seshagun.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर से संसाधित किया जा सकता है। प्रबंध प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं:

* जिला / राज्य स्तर से वार्षिक कार्य योजना और बजट ऑनलाइन प्रस्तुत करना।

* राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को जारी भारत सरकार की निधियों पर निगरानी रखना।

* वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जैसे कि भौतिक और वित्तीय प्रगति, स्पिल-ओवर, और प्रतिबद्ध देयताएं, अव्यवित शेष राशि आदि को तैयार करना।

इसके अलावा, प्रमुख हस्तक्षेपों के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मासिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत एक डाटा प्रदर्शन डैशबोर्ड का निर्माण किया गया

है। संबंधित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा जिला-वार मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करने को सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेपों की भौतिक और वित्तीय प्रगति को दर्शाने के लिए जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं के लिए एक एक्सपेंडिचर मॉड्यूल की शुरुआत की गई है और इस प्रगति को राष्ट्रीय रिपोर्टों में देखा जा सकता है।

लद्दाख और लक्षद्वीप को छोड़कर, सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र कंप्यूटरीकृत रूप में खातों को रख-रखाव करते हैं।

सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत समग्र शिक्षा भी शामिल है। योजना के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से निधियां जारी की जाती हैं।"

13. लेखापरीक्षा ने मंत्रालय को सूचित अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में निम्नानुसार बताया है:–

(एक) मंत्रालय ने पीएसी द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार निधि के उपयोग और प्रगति की निगरानी करने एव देखरेख के लिए इसके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम को प्रत्येक स्तर पर अलग अलग प्रमुखों को निधि चिन्हित करने हेतु सख्त अनुपालनार्थ निधियों को जारी करने के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, जो उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसे पीएसी को उपलब्ध कराया जाए।

(दो)मंत्रालय द्वारा दिनाक 12.04.2019 को जारी किए गए अनुदेशों का कितने राज्यों ने अनुपालन किया है?

(तीन) मंत्रालय द्वारा उपरोक्त (चार) पर उल्लिखित उत्तर से ज्ञात होता है कि निर्धारित निधि के परिणामों के आकलन में कठिनाई होती है, मंत्रालय की इस कमी को दूर करने हेतु क्या योजना है?

14. मध्याह्न भोजन (एमडीएम) प्रभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा बिंदु संख्या (तीन) के संबंध में प्रस्तुत टिप्पणियां / स्पष्टीकरण के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणी निम्नानुसार है: –

"एक) एमडीएम विभाग की अनुदान मांगों में जनजातीय उप योजना के लिए बजट अनुमानों के 10.7% के निर्धारण हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है।

दो) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक वर्ग के बच्चों की आदिवासी आबादी के आधार पर टीएसपी के लिए यू-डाइस के आंकड़ों के अनुसार राशि जारी की जाती है।

तीन) प्रत्येक श्रेणी अर्थात सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी के लिए अलग संस्वीकृति जारी की जाती है ताकि प्रत्येक श्रेणी के लिए वित्तीय सहायता में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

चार) योजना में अन्य लेखा शीर्षों के लिए टीएसपी निधियों के पुनर्वितरण के संबंध में वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले बजट परिपत्र में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

पांच) जनजातीय कार्य मंत्रालय टीएसपी निधियों के एक गैर-व्यपगत पूल बनाने के लिए नोडल मंत्रालय है ताकि टीएसपी निधियों में बचत का टीएसपी के एनएलपी में पुनः निवेश किया जा सके। जब टीएसपी का एनएलपी सृजित किया जाता है, तो टीएसपी से अप्रयुक्त निधि पुनः उस पूल में चली जाती है।

(छः) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्कूलों, ब्लॉकों, जिलों और राज्य के परामर्श से निचले स्तर से उपर के स्तर को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्य योजना और बजट प्रस्तावों को संकलित करते हैं और पिछले वर्ष के दौरान सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी के लिए आवंटित निधियों की तुलना में आवर्ती व्यय और अगले वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी अर्थात सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी के लिए निधियों की अनुमानित आवश्यकता को दर्शाते है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुमोदित एडब्ल्यूपीएंडबी प्रस्तावों को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की वेबसाइट www.mdm.nic.in पर अपलोड किया जाता है।

सात) विभाग ने स्कूल बच्चों में एनीमिया की समस्या और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए स्कूल पोषण गार्डन की स्थापना से संबंधित नए हस्तक्षेप के लिए फ्लैक्सी निधि प्रदान करने हेतु एक पहल शुरू की है। जनजातीय चिन्हित क्षेत्रों से कुपोषण के उच्च स्तर वाले स्कूल बच्चों को पूरक पोषण आहार भी प्रदान किया जाता है।

आठ) मध्याहन भोजन योजना देश की सामासिक संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक आदर्श मंच है। अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द का मूल्य बच्चों को तभी सिखाया जाता है जब वे अपनी जाति, धर्म आदि के बावजूद एक साथ बैठते है और मध्याहन भोजन लेते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियोजित 25 लाख रसोइया-सह- सहायकों में से लगभग 90% महिलाएं समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से है।

नौ) पात्र स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चों, चाहे उनकी जाति, धर्म आदि कुछ भी हो, के लिए राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत एमडीएमएस एक अधिकार आधारित कार्यक्रम है।

दस) टीएसपी के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए संस्वीकृति पत्र में एक शर्त भी शामिल है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।"

15. समिति ने अपने प्रतिवेदन में राय दी थी कि जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के अंतर्गत प्राप्त निधियों और किए गए व्यय के लिए अलग-अलग लेखा/रिकार्ड/शीर्ष के रखरखाव के संबंध में सख्त अनुपालन हेतु माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदेश बहुत पहले ही किए जाने चाहिए थे। इस मुद्दे के समाधान के लिए समिति ने विभाग को निधियों के उपयोग और स्कीम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी में अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की भी सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, समिति ने प्रत्येक स्तर पर अलग-अलग शीर्षों में निधियों के अनिवार्य निर्धारण के सख्त अनुपालन की आवश्यकता पर जोर

दिया था। की-गई-कार्रवाई के उत्तर की जांच से पता चलता है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती योजना को एक योजना में एकीकृत करने के साथ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में उपयुक्त और पृथक बैंक खातों का रखरखाव सुनिश्चित करने और निधि उपयोग संबंधी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति घटक को अलग करने जैसे उपायों के माध्यम से निधियों के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने का अनुदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने राज्यों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे केन्द्रीय बजट में यथा उपबंधित बजट शीर्षों के अनुरूप अपने राज्य बजट में अनुसूचित जनजाति घटक के लिए पृथक बजट शीर्ष उपलब्ध कराएं। बहरहाल, मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर समुचित रूप से ध्यान देने के पश्चात् समिति उत्तर को अपर्याप्त पाती है और सिफारिश में उल्लेख किए गए बिन्दुओं पर राज्यों द्वारा की गई किसी ठोस कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं पाती है। उनका विचार है कि मंत्रालय की जिम्मेदारी अनुदेशों को जारी करने से शुरू होती है, लेकिन बिना किसी दृश्यमान परिणाम के, यह एक नॉन-स्टार्टर (शुरू नहीं होने वाला) बना हुआ है। समिति का मानना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वे उन्हें उचित सूचना देते हुए की गई ठोस कार्रवाई से अवगत कराए।

समिति इस बात से भी चकित है कि आज तक मंत्रालय उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ है जिन्होंने फरवरी, 2017 में शुरू किए गए उनके निर्देशों का अनुपालन किया है। लेखा परीक्षा द्वारा अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में बार-बार ऐसा करने की आवश्यकता पर जोर देने के बावजूद अकर्मण्यता की स्थिति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, उत्तर में समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे का भी कोई उल्लेख नहीं है कि उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जांच करने के पश्चात् ही बाद की निधियां जारी की जाएं जिन्होंने अनिवार्य रूप से अलग-अलग शीर्षों में निधियों को निर्धारित करने का पालन किया है। समिति को यह अस्वीकार्य है और इसलिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालन की स्थिति जानना चाहती है। दोषी/चूककर्ता राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों में, समय की मांग है कि उनको चिन्हित किया जाए और उचित अनुपालन के लिए कड़े उपाय शुरू किए जाएं। समिति निर्धारित निधि के परिणाम के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन भी चाहती है ताकि उन्हें देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी के जीवन में इसके प्रभाव का आकलन करने में सुविधा हो सके।

समिति उत्तर से यह भी नोट करती है कि मंत्रालय ने केवल मध्याह्न भोजन योजना पर ध्यान केन्द्रित किया है और इस बात से आश्चर्यचकित है कि मंत्रालय टीएसपी के अन्य घटकों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि शामिल हैं, के बारे में पूरी तरह से बेखबर क्यों है। समिति मंत्रालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को पूरी तरह से अस्वीकार्य मानती है और इस प्रकार, मंत्रालय से आग्रह करती है कि वे उन्हें टीएसपी के तहत अन्य घटकों के दृश्यमान परिणाम से अवगत कराए। साथ ही समिति

मंत्रालय पर इस बात के लिए भी जोर देती है कि वे सामान्य उत्तर प्रस्तुत करने से बचे, जैसा कि मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में दिया गया है।

<u>टीएसपी फंड के लिए एक गैर-व्यपगत पूल का निर्माण</u>

(सिफारिश पैरा सं. 3)

16. समिति ने नोट किया कि अप्रयुक्त टीएसपी निधियों को वित्तीय वर्ष के अंत में टीएसपी के गैर-व्यपगत पूल में अंतरित करने तथा टीएसपी निधि के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीटीएफ) से आनुपातिक निधियां विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों की कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को आबंटित करने के संबंध में संशोधित टीएसपी दिशा-निर्देशों तथा अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के बावजूद इसके लिए अभी तक कोई तरीका विकसित नहीं किया गया| जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि निधियों के गैर-व्यपगत पूल के मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है| मंत्रालय ने इसके साथ ही टीएसपी निधि के गैर-व्यपगत पूल के सृजन पर जोर दिया| समिति का यह सुविचारित मत भी था कि निर्धारित वित्तीय वर्ष में आबंटित टीएसपी धनराशि का पूर्ण उपयोग करने हेतु ठोस प्रयास किया जाना चाहिए और टीएसपी निधि हेतु गैर-व्यपगत पूल का गठन शीघ्रातिशीघ्र धनराशि एकत्रित करने के लिए किया जाए जिसका उपयोग अप्रत्याशित और अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा सका।

17. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:

> "वेब पता https://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरु की गयी है। इसकी अवसंरचना में स्कीमों के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन की निगरानी, आवंटन की तुलना में व्यय की निगरानी, वास्तविक कार्य निष्पादन और परिणाम की निगरानी की परिकल्पना की गई है। पहले चरण में, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को https://stcmis.gov.in से जोड़ा गया है। यह ऑनलाइन प्रणाली योजना जारी डेटा और साथ ही केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी राज्यवार डेटा को प्रग्रहण (कैप्चर) करता है| वित्तीय वर्ष के भीतर आवंटित टीएसपी निधि के इष्टतम उपयोग और टीएसपी फंड और व्यपगत नहीं होने संबंधी(नॉन-लैप्सेबल) पूल के निर्माण के प्रयासों के संबंध में, सरकार में उचित स्तर पर इसका निर्णय लिया जाना है।"

18. लेखापरीक्षा ने अपनी पुनरीक्षण टिप्पणी में निम्नानुसार उल्लिखित किया है:-

> "प्रदत्त वित्तीय वर्ष में मंत्रालय द्वारा आवंटित टीएसपी निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और टीएसपी फंड के लिए नॉन-लैप्सेबल पूल बनाने के लिए किए गए प्रयासों से पीएसी को अवगत कराया जाए।"

19. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने अद्यतन उत्तर में निम्नानुसार बताया है:-

"प्रत्येक मंत्रालय/विभाग पंक्ति में नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं और आवंटित धन का पूर्णतया उपयोग हो इसके लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सचिव (टीए) की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ इन नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहा है।नीति आयोग ने देखा है कि भारत में नकद-आधारित बजट प्रणाली अपनाई जाती है। हालाँकि, पीएसीके सुझावों के अनुरूप निधियों के अधिकतम उपयोग के संबंध में एक उचित निर्णय के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, नीति आयोगके साथ विचार-विमर्श कर रहा है।"

20. समिति ने पाया कि संशोधित टीएसपी दिशानिर्देशों और अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के बावजूद टीएसपी कोष के लिए समाप्त न होने वाला (अव्यपगत) पूल बनाने का तरीका प्रचलन में नहीं है। इस पृष्ठभूमि में समिति ने मंत्रालय से संबंधित वित्तीय वर्ष के भीतर आवंटित टीएसपी निधि के इष्टतम उपयोग के लिए ठोस प्रयास करने और टीएसपी कोष के लिए अव्यपगत पूल जल्द से जल्द बनाने का आग्रह किया है। समिति यह नोट करते हुए निराश है कि मंत्रालय ने उनकी सिफारिश के केंद्र बिंदु को संबोधित नहीं किया है और उन्हें केवल प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग में नोडल अधिकारियों के नामांकन और आवंटित निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए उनके साथ हुई बैठकों के बारे में अवगत कराया है और निधियों के इष्टतम उपयोग के संबंध में नीति आयोग के साथ उनके विचार-विमर्श के बारे में बताया है। समिति उपरोक्त प्रयासों को नोट करते हुए यह चाहती है कि मंत्रालय को नीति आयोग के साथ समन्वय करके यह सुनिश्चित करने के लिए एक तर्कसंगत और व्यावहारिक निर्णय लेना चाहिए कि टीएसपी के तहत आवंटित निधियों का विवेकपूर्ण और कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी आवंटित निधियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए वास्तव में अपेक्षित नीति को लम्बा खींचने में मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित ढुलमुल रवैये को देखते हुए, समिति अपनी सख्त नाराजगी व्यक्त करती है क्योंकि समिति का इरादा अपनी सिफारिशों के माध्यम से टीएसपी निधि के लिए अव्यपगत पूल बनाना था, जबकि उत्तर में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। समिति ने अपनी सिफारिश को दृढ़ता से दोहराते हुए इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय उचित रूप से अपनी तैयारी करे और बिना किसी देरी के टीएसपी कोष के लिए एक अव्यपगत पूल बनाने के लिए सभी संभव उपाय शुरू करे। की-गई-कार्रवाई के ब्यौरे से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन</u>

(सिफारिश पैरा सं. 4)

21. समिति ने नोट किया कि टीएसपी के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देख रेख के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई), कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी रोगों और आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) में खर्च न किए गए बहुत अधिक बकाया शेष के कारण इस कार्यक्रम के लिए संपूर्ण राशि जारी नहीं की गई थी। समिति ने पाया कि एनपीएचसीई के मामले में स्वास्थ्य देखरेख

और प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव था और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों और उनके उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार कार्य संचालित नहीं किया। एनपीसीडीसीएस के मामले में व्यवहार और जीवन शैली में फेर-बदल संबंधी कार्यकलापों पूर्व निदान हेतु रोगियों की पहचान न किया जाना, उपचार सुविधाओं और प्रशिक्षण कार्यकलापों में कमी, तृतीयक कैंसर केन्द्र (टीसीसी) की स्थापना न होना, शिशु रोगों के लिए कम उपचार आदि कम कार्य किए गए थे। समिति का यह भी मानना था कि यदि मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत आबटित निधि को खर्च करने के लिए व्यापक योजना का गठन किया गया होता और आईईसी कार्यकलापों, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य परामर्शी शिविरों, स्वास्थ्य जांच आदि पर व्यय को वर्गीकृत किया होता तो इस निधि में से कोई गैर खर्च बकाया शेष नहीं होता और अधिक महत्व के तौर पर इस कार्यक्रम ने इसके लक्ष्य को अर्जित कर लिया होता। इसीलिए समिति ने सिफारिश की कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए किसी व्यापक योजना का गठन करते समय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को जागरूकता, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य केन्द्रों और नवीन तथा अति सक्रिय कार्यविधियों आदि के जरिए इस कार्यक्रम की व्यापकता का विस्तार करने के लिए आईईसी कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इच्छुक लाभार्थियों की बेहतरी के लिए एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत आवंटित निधि का प्रभावी और कार्यदक्ष उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

22. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया है:-

"(एक) कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिनी संबंधी रोगों और आघातों के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस):-

भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जिला स्तर तक मधुमेह, हृदयवाहिनी संबंधी रोगों और आघातों के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) का कार्यान्वयन कर रही है। इनका फोकस व्यवहार और जीवन शैली परिवर्तन के लिए जागरूकता पैदा करना, उच्च स्तर के जोखिम पूर्ण घटकों वाले व्यक्तियों की पूर्व जांच और गैर संचारी रोगों (एनसीडी) के उचित प्रबंधन के लिए उच्चतर सुविधाओं में उनका इलाज और रेफरल (आदि आवश्यक हो) पर है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इस कार्यक्रम में सुधार किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का फोकस प्राथमिक और गौण स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जिला अस्पताल और इससे निम्न विकेन्द्रित स्तर पर स्वास्थ्य संवर्धन, बचाव, पहचान, उपचार और पुनर्वास पर सम्पूर्ण भारत था।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु काग्रनीति में स्वास्थ्य संवर्धन, जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहन, रोगों की पूर्व पहचान और जांचसमय पर, वहनीय तथा सही-सही नैदानिक उपचार, वहनीय उपचार तक पहुँच, पुनर्वास पर फोकस करना सम्मिलित है। रोगों

की पूर्व नैदानिक उपचार हेतु कार्यनीति में गांवों, उप केन्द्रों, सीएचसी और जिला अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं वाले 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की मधुमेह, अति दाब की समय पर जांच सम्मिलित है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में एनसीडी नैदानिककेन्द्रों की स्थापना करने, स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न स्तरों के जरिए कैंसर (ओरल, सर्विकस, ब्रेस्ट), मधुमेह और उच्चदाब के लिए परीक्षण, डायग्नोसिस और उपचार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए यह उपचार नि:शुल्क अथवा अत्यधिक सब्सिडी पर किया जाता है। जून, 2018 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 525 जिला एनसीडी नैदानिक केन्द्र, 2564 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एनसीडी नैदानिक केन्द्र तथा 167 हृदयवाहिनी परिचर्या इकाइयों की स्थापना की गई है।

वर्ष 2017-18 में एनएचएम के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के तौर पर देश में 150 से अधिक जिलों में सामान्य गैर संचारी रोगों (मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर नामत ओरल, ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर) के निवारण, नियंत्रण और जांच के लिए एक जनसंख्या स्तरीय प्रयास शुरू किया गया है। इस प्रयास के अंतर्गत मान्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा कार्यकर्त्ता) और फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कामगारों के साथ-साथ जन समुदाय के बीच एनसीडी के जोखिमपूर्ण घटकों के बारे में जांच और जागरूकता पैदा करना सम्मिलित है। प्रशिक्षण संबंधी नियम और जांच लागू किए गए है तथा इन्हें राज्यों को संवितरित किया गया है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए है। इस प्रयास के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यावसायी नामित एमओ, आशा, एनएचएम, स्टॉफ नर्स, बहु उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (एमपीएचडब्ल्यू) के प्रशिक्षण के लिए भी राज्यों को निधि का प्रावधान किया जा रहा है। ..... एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों सहित लक्षित लाभार्थियों की बेहतरी के लिए अभिनव और संवादात्मक गतिविधियों आदि के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को जागरूकता, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परामर्श के लिए राज्य पीआईपी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां भी आवंटित की जा रही हैं। आईईसी गतिविधियों के लिए बजटीय आवंटन को भी प्रति राज्य एनसीडी प्रकोष्ठ 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये (24 बड़े राज्य) और 50 लाख रुपये (छोटे राज्य / केंद्र शासित प्रदेश) कर दिया गया है। राज्यों ने आईईसी के लिए कई तरीके विकसित किए हैं जैसे पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर, शिक्षण मैनुअल के साथ-साथ ऑडियो-विजुअल और विजुअल साधन। विश्व कैंसर दिवस और विश्व मधुमेह दिवस भी स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।

(ii) राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एनपीएचसीई):

'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) व मंत्रालय द्वारा उसकी जांच किए जाने के आधार पर कार्यक्रम के जिला व उप-जिला स्तरीय

कार्यकलापों का कार्यान्वयन करने के लिए एनपीएचसी का कार्यान्वयन वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के एनसीडी फ्लेक्सिबल पूल के तहत किया जा रहा है। फ्लेक्सिबल पूल की शुरूआत कार्यक्रम के तहत परिकल्पना किए गए कार्यकलापों व लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु पूल के तहत जारी इष्टतम निधियों का उपयोग करने के लिए की गयी थी। तथापि, जागरुकता, प्रशिक्षण व स्वास्थ्य काउंसलिंग, स्वास्थ्य केन्द्रों व उन्नतिशील तथा पारस्परिक कार्यकलापों आदि के माध्यम से एनपीएचसीई की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए आईईसी कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए समिति के अवलोकन का अनुपालन किया जाएगा।'

23. लेखापरीक्षा ने अपनी पुनरीक्षण टिप्पणी में निम्नानुसार बताया:-

"आवंटन की तुलना में आबंटित धनराशि के उपयोग और लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति/उपलब्धि की सूचना लोक लेखा समिति को दी जाए।"

24. मंत्रालय ने अपने अद्यतन उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"आवंटन और व्यय का विवरण संलग्न अनुबंध 'क' में दिया गया है और भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण अनुबंध 'ख' में दिया गया है।"

25. समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई), राष्ट्रीय कैंसर, ह्रदय रोग, मधुमेह और स्ट्रोक नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक योजना तैयार करते समय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) को जागरूकता, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य केन्द्रों और अभिनव और संवादात्मक गतिविधियों आदि के माध्यम से इन कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। यह इच्छित लाभार्थियों की बेहतरी के लिए एनपीएचसीई और एनपीसीडीसीएस के तहत आवंटित निधियों के लक्षित और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में सफल होगा। अपने 'की-गई-कार्रवाई उत्तर' में मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया है कि एनपीसीडीसीएस के लिए अनुसूचित जनजातियों सहित लक्षित लाभार्थियों की बेहतर पहुंच के लिए अभिनव और संवादात्मक कार्यकलापों के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों को जागरूकता, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परामर्श के लिए राज्य की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, आईईसी गतिविधियों के लिए बजटीय आवंटन भी 10 लाख रुपये प्रति राज्य एनसीडी सेल से बढ़ाकर 70 लाख रुपये (24 बड़े राज्यों के लिए) और 50 लाख रुपये (छोटे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) कर दिया गया है। तदनुसार, राज्यों ने आईईसी के लिए कई तरीके विकसित किए हैं जैसे ऑडियो-विजुअल और विजुअल माध्यमों के साथ पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर, शिक्षण नियमावली। विश्व कैंसर दिवस और विश्व मधुमेह दिवस भी जन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है ताकि स्वस्थ जीवन शैली संबंधी आदतों को बढ़ावा दिया जा सके। तथापि, समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि राष्ट्रीय बुजुर्ग

स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के संबंध में मंत्रालय ने लापरवाह तरीके से कहा है कि इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए आईईसी कार्यकलापों पर विचार करते समय समिति की टिप्पणियों का अनुपालन किया जाएगा। यह समिति को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईईसी को अपनाने का जोर दोनों कार्यक्रमों के लिए था। इसके अतिरिक्त, आईईसी को अभिनव और संवाद गतिविधियों के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करना था ताकि आवंटित निधियों का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने आधे-अधूरे उत्तर पर अप्रसन्नता व्यक्त की और मंत्रालय से एनपीएचसीई के लिए भी आईईसी शुरू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए कहा और तदनुसार उन्हें वास्तविक परिणाम और दोनों ही कार्यकर्मों के लिए धन के पूर्ण उपयोग पर इसके प्रभाव से अतिशीघ्र अवगत कराया जाए।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान गैर-संचारी रोग फ्लेक्सी पूल के तहत निधियों के आवंटन और व्यय और वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धियों संबंधी विवरण के अवलोकन से पता चलता है कि 1,84,204 लाख रुपये की आवंटित निधि में से केवल 82,626.46 लाख रुपये ही खर्च किए जा सके, जिससे पता चलता है कि निधियों का काफी कम उपयोग हुआ है क्योंकि केवल 44.85 प्रतिशत निधियों का ही उपयोग किया जा सका। समिति ने यह भी पाया कि एनपीसीडीसीएस के लिए उक्त अवधि (2015-16 से 2018-19) के दौरान निर्धारित वास्तविक लक्ष्य और हासिल की गई उपलब्धियों के बीच अंतर है। जिला गैर संचारी रोग प्रकोष्ठ के लिए 687 के लक्ष्य में से केवल 543 (79 प्रतिशत) ही प्राप्त किया जा सका। जिला गैर-संचारी रोग क्लिनिक की उपलब्धि 698 में से 585 अर्थात 86 प्रतिशत रही जबकि क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए उपलब्धि 245 में से 168 अर्थात 68 प्रतिशत रही। जहां तक डे केयर सेंटरों के संबंध में उपलब्धि का सवाल है, यह 276 में से 168 अर्थात 60 प्रतिशत थी, जबकि सीएचसी-एनसीडी क्लीनिकों के लिए, उपलब्धि 4241 में से 3084 अर्थात केवल 72 प्रतिशत थी। इसका विश्लेषण करते हुए, समिति यह निष्कर्ष निकालने के लिए विवश है कि कार्यक्रमों का वित्तीय और वास्तविक कार्य-निष्पादन सही नहीं था और मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को निश्चित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति चाहती है कि उसे असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारणों और कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधि का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए / किए जाने वाले प्रयासों से अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि उसे वर्ष 2018-19 से अब तक कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन से अवगत कराया जाए।

<u>समग्रावलोकन हेतु केंद्रीय नोडल एकक</u>

(सिफ़ारिश पैरा संख्या 6)

26. समिति ने नोट किया कि योजना आयोग के मार्ग निर्देशों (2006) के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में समर्पित एकक स्थापित करके जनजातीय उप-योजना को कार्यान्वित किया जाना था। तथापि, समिति ने नोट किया था कि मंत्रालयों/विभागों में नोडल इकाइयों का गठन करने में विलंब हुआ। इसके अलावा,

जनजातीय कार्यमंत्रालय न तो वार्षिक आयोजना बनाने में शामिल था न ही उसके पास किसी निरीक्षण के लिए प्रक्रिया का विवरण देने वाले दिशा-निर्देश उपलब्ध थे। चूंकि जनजातीय उप योजना का मूल उद्देश्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में निधियों को निर्धारित करने के द्वारा परिव्यय को केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा चैनेलाइज करना है; समिति ने इस बात पर बल दिया था कि निगरानी के लिए एक केंद्रीय इकाई आवश्यक है और इसलिए समिति ने यह सिफ़ारिश की कि जैसा कि नीति आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय निरीक्षण के लिए केंद्रीय शीर्ष इकाई का गठन करे ताकि ऑनलाइन निगरानी तंत्र के माध्यम से बेहतर समन्वय और टीएसपी के कुशल कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की जा सके।

27. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया: -

"कार्य आवंटन नियमों (एबीआर) को जनवरी, 2017 में संशोधित किया गया है, जिसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को नीति आयोग द्वारा डिजाइन किए गए ढांचे और तंत्र के आधार पर केंद्रीय मंत्रालयों के एसटीसी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेशित किया गया है। बेहतर समन्वयन और टीएसपी के कुशल कार्यान्वयन की सुविधा के लिए मंत्रालय का टीएसपी डिवीजन,एक केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।इसके लिए वेब पता https://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरु की गयी है। इसकी अवसंरचना में स्कीमों के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन की निगरानी, व्यय की निगरानी, जैसे कि आवंटन, वास्तविक निष्पादन और परिणाम की निगरानी की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा समन्वयन और मॉनीटरिंग के लिए लाइन मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।"

28. लेखापरीक्षा की आगे कोई टिप्पणी नहीं है।

29. समिति का मत था कि निगरानी के लिए एक केंद्रीय इकाई की परम आवश्यकता है और सिफारिश की थी कि नीति आयोग द्वारा सुझाए अनुसार, जनजातीय कार्य के मंत्रालय को एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से बेहतर समन्वय और टीएसपी के कुशल कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक केंद्रीय नोडल इकाई का निर्माण करना चाहिए। समिति की-गई-कार्रवाई उत्तर से नोट करती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नीति आयोग द्वारा डिजाइन किए गए तंत्र के अनुसार जनवरी, 2017 में कार्य आवंटन नियमों (एबीआर) में संशोधन किया है और उसे केंद्रीय मंत्रालयों की अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधियों की निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि टीएसपी डिवीजन बेहतर समन्वय और टीएसपी के कुशल कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय इकाई है और निधियों के आवंटन, वास्तविक कार्य-निष्पादन और एसटी योजनाओं के परिणाम की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रालयों/विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है। समिति ने मंत्रालय द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए इच्छा जताई कि उसे जनवरी, 2017 में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप

प्राप्त परिणामों से अवगत कराया जाए, जिसके तहत मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रालयों के अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधियों की निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है और 2017 से जनजातीय उप योजना के कार्य-निष्पादन पर इसका उतरोत्तर क्या प्रभाव पड़ा है।

<u>समावेशी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली</u>

(सिफ़ारिश पैरा संख्या 9)

30. समिति ने नोट किया की कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के टीएसपी की निगरानी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी और तदनुसार मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित कर रहा है। निगरानी प्रणाली में निधियों का आबंटन और व्यय की निगरानी वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि अर्थात् प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का योजनावार निष्पादन शामिल होगा। समिति का विचार था कि टीएसपी के अंतर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा जनजातियों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि केंद्र स्तर तथा राज्य स्तर पर शीर्ष इकाइयों के पास तत्काल जानकरी साझा करने की प्रणाली हो। समिति का आगे यह भी मत था कि केवल केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम अपूर्ण और अप्रभावी होगा, क्योंकि मंत्रालय सबसे निचले स्तर के आदिवासियों की वास्तविक आवश्यकताओं से संबंधित सूचना प्राप्त/संग्रहित/एकत्रित नहीं कर पाएगा। अतएव, समिति ने सिफ़ारिश की कि राज्य स्तर और जिला स्तर पर नोडल यूनिटों को मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में शीघ्रातिशीघ्र शामिल किया जाए। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि इन प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के 6 माह के भीतर इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट से अवगत कराया जाए।

31. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया: -

"https://stcmis.gov.in केवेब पते के साथएक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को स्थापित किया गया है। इस संरचना में योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन की निगरानी, आवंटन की तुलना में व्यय की निगरानी, वास्तविक कार्य-निष्पादन की निगरानी और परिणाम निगरानी की परिकल्पना की गई है। पहले चरण में, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को https://stcmis.gov.in से जोड़ा गया है। यह ऑनलाइन सिस्टम केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा स्कीम-वार और साथ ही राज्य-वार जारी किए गए डेटा को कैप्चर करता है।"

32. लेखापरीक्षा ने पुनरीक्षण टिप्पणी में निम्नवत बताया :-

"मंत्रालय ने स्थापित ऑनलाइन निगरानी (मॉनीटरिंग) प्रणाली में राज्य स्तर और जिला स्तर पर नोडल इकाइयों को शामिल करने की स्थिति प्रस्तुत नहीं की थी। इसे पीएसी को प्रदान किया जा सकता है।"

33. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने अद्यतन उत्तर में निम्नवत बताया :-

"योजनाओं और एजेंसियों, कई कार्यान्वयन दिशानिर्देशों, कई वास्तविक और वित्तीय रिपोर्टिंग संरचनाओं की बहुलता है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य के भीतर, विभिन्न विभाग टीएसपी निधियों को संभालते हैं। इस प्रकार, तालमेल लाना और अभिसरण को प्रभावित करना एक गंभीर चुनौती है। हालाँकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल https://stcmis.gov.in में शामिल किए जाने हेतु एक निगरानी ढांचे को तैयार करने के लिए प्राइस वाटर हाउस कूपर (पीडब्लूसी) को एक प्रोजेक्ट दिया है।"

34. समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर नोडल इकाइयों को जल्द-से-जल्द ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में शामिल किया जाए और उन्हें इससे तदनुसार अवगत कराया जाए। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में अब बताया है कि आवंटनों की ऑनलाइन निगरानी, वास्तविक कार्यनिष्पादन की निगरानी और योजनाओं के परिणाम के लिए एक वेब एड्रेस https://stcmis.gov.in शुरू किया गया है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों द्वारा निगरानी में तालमेल लाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऑनलाइन निगरानी पोर्टल में शामिल किए जाने वाले निगरानी ढांचे को तैयार करने के लिए प्राइस वाटर हाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी) को एक परियोजना दी है। समिति पुरजोर रूप से यह मानते हुए कि प्राइस वाटर हाउस कूपर को दी गई परियोजना अब तक पूरी हो चुकी होगी, मंत्रालय से आग्रह करती है कि उन्हें इसके परिणाम से अवगत कराया जाए।

तथापि, समिति यह नोट कर निराश है कि मंत्रालय ने ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में राज्य और जिला स्तरों पर नोडल इकाइयों को शामिल करने के लिए विशेष जोर दिए जाने के संबंध में चुप रहने का विकल्प चुना है। समिति पाती है कि मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि कई एजेंसियां हैं जो नोडल इकाइयां बनाने में गंभीर चुनौती पैदा कर रही है। यह तर्क अपने आप में समिति द्वारा उठाए गए विचार की पुष्टि करता है क्योंकि कई एजेंसियां होने के मुद्दे को निगरानी की आवश्यकता के अनुसार सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति उत्तर को पूरी तरह से अस्वीकार्य पाती है और सिफारिश को दोहराते हुए मंत्रालय से प्राथमिकता के आधार पर इस मुद्दे का समाधान करने और तदनुसार सूचित करने का आग्रह करती है।

35. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) ने समिति की सिफारिश पैरा संख्या 9 के संबंध में अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया: -

" एनआईसी की सहायता से विकसित किए गए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) सॉफ्टवेयर में परिचालन संबंधी कुछ समस्याएं थीं। अत: बाहरी एजेंसियों की सहायता से सॉफ्टवेयर का समृद्ध रूपांतर विकसित किया जा रहा है। इस नए सॉफ्टवेयर से मंत्रालय को जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में अलग से जानकारी देते हुए भविष्य में सभी पीआईपी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह सॉफ्टवेयर एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा तथा जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं का जमीनी स्तर पर आकलन करेगा।"

36. लेखापरीक्षा ने पुनरीक्षण टिप्पणी में निम्नवत बताया:-

"सॉफ्टवेयर के संचलन और विकास संबंधी अद्यतन स्थिति से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जाए।"

37. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपने अद्यतित की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"ग्रामीण जनसंख्या का विशेष रूप से वंचित वर्गों को सुलभ सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) वर्ष 2005 में चलाया गया था। स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार लाने के कार्यक्रम एनआरएचएम के एक मुख्य विशेषज्ञता थी। वर्ष 2013 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत इसके एक उप-मिशन के रूप में और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम) को इसके अन्य उप-मिशन के रूप में सम्मिलित किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनजातीय क्षेत्रों को मानकों में निम्नलिखित छूट प्रदत्त है-

i. स्वास्थ्य केंद्रों हेतु शिथिल मानक- जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने के लिए जनसंख्या मानदंडों में छूट दी जाती है। उप-केंद्रों, पी.एच.सी. और सी.एच.सी. की स्थापना हेतु 5000, 30000 और 120,000 के जनसंख्या मानदंड की तुलना में जनजातीय और मरुस्थली क्षेत्रों में यह मानदंड क्रमश: 3000, 20,000 और 80,000 है। जनजातीय क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हेतु परिचर्या समय (टाइम टू केयर) नामक एक नया मानदंड भी अंगीकार किया गया है जिसके अंतर्गत आवासों से 30 मिनट की पैदल दूरी पर एक उप-स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जा सकती है।

ii. जनजातीय/पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति 1000 आबादी पर एक आशाकर्मी के मानक को शिथिल कर प्रति परिवार एक आशाकर्मी करने के लिए राज्यों को छूट दी गई है।

iii. जबकि अन्य राज्यों के पास प्रति 10.00 लाख की आबादी पर प्रति जिला अधिकतम 5 एमएमयू थी वहीं जनजातीय और पहाड़ी राज्यों के लिए इसमें आवश्यकता के अनुसार छूट दी जा सकती है। जहां समतल क्षेत्रों में प्रतिदिन एक एमएमयू द्वारा परिवहन किए जाने वाले मरीजों की संख्या 60 से अधिक तथा जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों प्रतिदिन 30 से अधिक होती है, उन इलाकों के लिए एमएमयू के मानकों में छूट देने के लिए उन्हें फिर से संशोधित किया गया है।

iv. इसके अलावा, उन सभी जनजातीय बहुत जिलों, जिनका मिश्रित स्वास्थ्य सूचकांक राज्य के औसत से कम है, को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) के रूप में अभिशप्त किया है। इन जिलों को प्रतिव्यक्ति उच्चतर वित्त पोषण मानकों में शिथिलता, निगरानी में वृद्धि और संकेंद्रित सहयोगी पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जाना है तथा उनकी असाधारण स्वास्थ्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नवप्रवर्तित दृष्टिकोण अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

- पीआईपी सॉफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के फीडबैक को शामिल करने के पश्चात इसे सर्वर में अपलोड किए जाने से पूर्व उपभोक्ता स्वीकार्यता परीक्षा (यूएटी) और थर्ड पार्टी लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया में कुद और समय लग सकता है; फिर भी, सॉफ्टवेयर को शीघ्र से शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने के लिए मंत्रालय कार्य कर रहा है।

उक्त प्रक्रिया के लंबित रहने के कारण, वर्तमान में, एनएचएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले सभी प्रस्ताव ईमेल और एक्सल फाइलों इत्यादि के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए विशिष्ट एफएमआर कोड अनुमोदित किया गया है।"

38. समिति नोट करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) जमीनी स्तर पर आदिवासियों की वास्तविक जरूरतों के आकलन को सुगम बनाने हेतु ऑनलाइन निगरानी के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया में है। समिति, मंत्रालय द्वारा की गई पहल का स्वागत करते हुए और यह भी मानते हुए कि अब तक सॉफ्टवेयर को निश्चित रूप से तैयार कर लिया गया होगा, चाहती है कि उसे ऐसी पहलों से प्राप्त निष्कर्षों और अनुभवों और इस प्रक्रिया में सीखे गए सबक से अवगत कराया जाए जिन्हें अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया जा सकता है। इसके अलावा, समिति ऑनलाइन मोड को अपनाकर निगरानी तंत्र के साथ सहज इंटरफेस सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय करने का आग्रह करती है।

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के कार्यान्वयन का सुदृढीकरण

(सिफ़ारिश पैरा संख्या 11)

39. मिड-डे-मील (एमडीएम) स्कीम के कार्यान्वयन में समिति ने पाया कि न तो कोई वार्षिक कार्य योजना और बजट ही तैयार किया गया था और न ही अ. जा. के विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष योजना अथवा परियोजना ही थी। समिति ने यह भी नोट किया है कि किचन शेडों की अनुपलब्धता, रसोईघरों में अपर्याप्त अवसंरचना, अपर्याप्त रसोई उपकरण और अपर्याप्त पेयजल, बच्चों का भोजन खुले में और अस्वाथ्यकर स्थितियों में तैयार किया जाना और परोसा जाना, शिकायत निवारण तंत्र का न होना इत्यादि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बताया था कि स्कूल में सभी श्रेणी के बच्चे होते हैं अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और स्कूल दिनों में सभी छात्रों को उनकी जाति को देखे बिना, मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, विभाग ने बताया कि सभी राज्यों में सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र होते है और शिकायत, यदि कोई होती है, का तत्परता से निपटान किया जाता है। समिति ने महसूस किया है कि विभाग ने सभी स्कूलों में मध्याहन भोजन के लिए प्रयोग की जा रही अवसंरचना, भोजन की गुणवत्ता, दिशा-निर्देशों के अनुसार रसोई घर के निर्माण इत्यादि के संबंध में पूरे देश में मध्यान भोजन के कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सभी संबंधित राज्यों/जिलों में उपयुक्त निरीक्षण नहीं किया है। इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को अपेक्षित कार्यवाही के लिए मध्याहन भोजन स्कीम के अंतर्गत सभी स्कूलों का संपूर्ण निरीक्षण करने हेतु या तो एक टीम का गठन करना चाहिए अथवा एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त करना चाहिए।समिति यह चाहती थी कि उन्हें इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के छह महीने के भीतर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

40. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस सिफ़ारिश पर अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया : -

> "वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी)
>
> राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने एडब्ल्यूपी और बी को पीएबीएमडीएम द्वारा विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है, जिसकी अध्यक्षता सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार करते हैं और इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय आदि मंत्रालयों के सदस्य हैं। सबसे छोटी क्षेत्र इकाई से शुरू करके और क्लस्टर, ब्लॉक, जिला और राज्य में संकलित

एडब्ल्यूपीएंडपी एक व्यापक दस्तावेज है और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और समग्र शिक्षा के तहत समर्थित मदरसों और मकतबों में प्राथमिक कक्षा I-VIII में बच्चों के नामांकन का डेटा प्रदान करता है।

एडब्ल्यूपी एंड बी में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए बजट प्रावधान की जानकारी निहित है। एडब्ल्यूपी एंड बी को जमीनी स्तर से प्राप्त सूचनाओं को संकलित करके और जिला योजना और राज्य योजना में समेकित करके नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामान्य श्रेणी, एससीएसपी और टीएसपी के लिए कोई अलग योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि, आदिवासी क्षेत्रों में पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पूरक पोषण प्रदान करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा, एमडीएम के योजना बजट का 10.70% एमएचआरडी की अनुदान मांगों में टीएसपी के लिए आवंटित किया जाता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सामान्य श्रेणी और एससीएसपी के लिए अन्य लेखा शीर्षों के प्रावधानों को बढ़ाने के लिए टीएसपी आवंटन का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाता है। अप्रयुक्त टीएसपी फंड का उपयोग सामान्य श्रेणियों और एससीएसपी के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए, टीएसपी के तहत पात्र बच्चों को कवर करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टीएसपी आवंटन का उपयोग किया जाता है।

रसोई-सह-भंडार के निर्माण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रसोई-सह-भंडार अनावर्ती केंद्रीय सहायता जारी करना 2006-07 से शुरू किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2006-07 से 2013-14 के दौरान 1006263 रसोई-सह-भंडार (अनुबंध-एक) के निर्माण के लिए 802555.79 लाख रुपये की अनावर्ती केंद्रीय सहायता जारी की। 31 मार्च, 2014 तक निर्मित रसोई-सह-भंडारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-दो में संलग्न है जो दर्शाता है कि स्वीकृत रसोई-सह-भंडार का 67 प्रतिशत निर्माण किया गया था; 13% रसोई-सह-भंडार में निर्माण कार्य प्रगति पर था और शेष 21% विद्यालयों में निर्माण अभी शुरू होना बाकी था।

कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड-मध्याह्न भोजन (पीएबी-एमडीएम) की बैठकों के दौरान रसोई-सह-भंडार के निर्माण की गति की नियमित रूप से समीक्षा की गई। इन बैठकों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बताया कि निर्माण की लागत में वृद्धि के कारण, वे रसोई-सह-भंडार का निर्माण करने में असमर्थ थे, जिन्हें 2006-07 से 2008-09 के बीच यूनिट लागत मानदंड @ रु. 60,000/ - प्रत्येक पर स्वीकृत किया गया था। इन राज्यों की इच्छा थी कि उन्हें राज्य की दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाए या प्लिंथ क्षेत्र के मानदंडों पर इन रसोई-सह-भंडारों को पुन: स्वीकृत किया जाए।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर पीएबी-एमडीएम द्वारा विचार किया गया और सहमति व्यक्त की गई। 2006-07 से 2018-19 तक स्वीकृत रसोई-सह-भंडारों की कुल संख्या 10,11,411 है। 2013-14 तक और 2018-19 तक रसोई-सह-भंडार की मंजूरी की संख्या में मामूली बदलाव इस तथ्य के कारण है कि कुछ राज्यों ने पूर्व में रसोई-सह-भंडार इकाई लागत मानदंडों पर स्वीकृत की तुलना में प्लिंथ क्षेत्र के मानदंडों पर या तो वापस कर दिया था या कम संख्या में रसोई-सह-भंडार के लिए अनुरोध किया था। । राज्यों द्वारा 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 8,45,424 (84%) रसोई-सह-भंडार का निर्माण किया है, जबकि 50,449 (लगभग 5%) में निर्माण प्रगति पर है और कार्य प्रगति पर है। शेष 11% रसोई-सह-भंडार (अनुबंध-तीन) के लिए अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। फरवरी, 2019 में सीसीईए द्वारा 10 साल पुराने किचन-कम-स्टोर्स की मरम्मत के घटक को भी मंजूरी दे दी गई है। इसने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 10 या अधिक साल पहले बनाए गए किचन-कम-स्टोर्स की मरम्मत करने में सक्षम बनाया है।

रसोई के उपकरण

मध्याह्न भोजन योजना के तहत पका हुआ भोजन तैयार करने और परोसने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रत्येक स्कूल के लिए 5,000 रुपये की दर से रसोई उपकरणों की खरीद के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गैर-आवर्ती केंद्रीय सहायता जारी करना शुरू किया। पांच वर्ष पूर्व स्वीकृत रसोई उपकरणों को बदलने का कार्य भी 2012-13 के दौरान शुरू किया गया था। एमएचआरडी ने मार्च, 2013-14 तक रसोई उपकरणों की 1240431 इकाइयों की खरीद और 521841 रसोई उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए 88084.04 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की थी (अनुबंध-चार)। सितंबर, 2019 तक के नवीनतम विवरण के अनुसार, एमएचआरडी ने 2321094 रसोई उपकरणों (1314427 की खरीद और 1006667 के प्रतिस्थापन) (अनुबंध-पांच) के लिए 115664.21 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। रसोई उपकरणों की खरीद और प्रतिस्थापन के मानदंडों को फरवरी, 2019 में सीसीईए की मंजूरी के साथ संशोधित किया गया है। पूर्ववर्ती 5000/- रुपये के प्रति इकाई स्कूल लागत मानदंड के स्थान पर अब रसोई उपकरणों के लिए अनुदान को नामांकन के साथ जोड़ा गया है।

पेयजल

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2013-14 तक 94 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी। 2018-19 के दौरान यह बढ़कर 97% हो

गया है। पीने के पानी की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार उपलब्धता पर संगत विवरण अनुबंध-छह और सात में हैं।

निरीक्षण

एमडीएम दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण के लिए कम से कम 25% स्कूलों का दौरा किया जाना चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान निरीक्षण किए गए संस्थानों की संख्या के बारे में राज्य-वार जानकारी अनुबंध- आठ में संलग्न है। जानकारी से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, असम हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम राज्यों और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में निरीक्षण वांछित स्तर तक नहीं हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आधार पर संस्थानों का निरीक्षण करने की सलाह दी गई है।

शिकायत निवारण तंत्र

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायत निवारण तंत्र की स्थिति अनुबंध-नौ में संलग्न है।

निगरानी तंत्र

मध्याह्न भोजन योजना की वेब आधारित निगरानी के लिए जून, 2012 में प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की गई थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए स्वचालित निगरानी प्रणाली भी शुरू की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर प्रबंधन संरचनाएं स्थापित करने की सलाह दी गई है। मध्याह्न भोजन योजना की मौजूदा निगरानी प्रणाली अनुबंध-दस में संलग्न है। फिलहाल इस योजना का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है।"

41. लेखापरीक्षा ने अपनी पुनरीक्षण टिप्पणी में निम्नानुसार बताया:-

"मंत्रालय ने एमडीएम योजना के तहत सभी स्कूलों का गहन निरीक्षण करने के लिए अपनी खुद की एक टीम गठित करने या एक स्वतंत्र एजेंसी को शामिल करने पर पीएसी की सिफारिश पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान नहीं किया है। इसे पीएसी को प्रस्तुत किया जाए।"

42. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपने अद्यतन उत्तर में निम्नानुसार कहा: -

"मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) भारत के लगभग 11.34 लाख स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 11.59 करोड़ नामांकित बच्चों को कवर करती है। एमडीएम दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी स्कूलों का वर्ष में कम से कम एक दौरा अवश्य किया जाना चाहिए।

पीएसी की सिफारिशों के अनुपालन में, इस विभाग ने प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसियों/संस्थानों जैसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), केन्द्र/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के गृह विज्ञान विभाग, प्रतिष्ठित गृह विज्ञान कॉलेजों की सेवाओं को स्पष्ट परिभाषित विचारार्थ विषयों (टीओआर) पर लेते हुए निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वतंत्र तृतीय पक्ष विधिवत निरीक्षण के लिए समय सीमा निर्धारित करने और मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पीएसी सिफारिशों की भावना को ध्यान में रखते हुए टीओआर को इस ढंग से तैयार किया जाएगा कि प्रतिवर्ष देश के प्रत्येक जिले को कवर किया जा सके। इनमें बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पैरामीटरों की ट्रैकिंग भी शामिल होगी ताकि योजना के प्रभाव का आकलन करने तथा आहार व्यवस्था में सुधार हेतु समय पर कार्य सुविधा देने के लिए समय-सीमा दी जा सके और प्रचलित व्यवस्था में यदि सुधार की आवश्यकता हो, तो किये जा सके।"

43. समिति ने यह नोट किया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने एमडीएम के लिए उपयोग किए जा रहे स्कूलों, भोजन की गुणवत्ता, दिशा-निर्देशों के अनुसार रसोई का निर्माण आदि के मामलों में देश भर में एमडीएम के कार्यान्वयन में वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए सभी संबंधित राज्यों/जिलों का उचित निरीक्षण नहीं किया था। इन्हें संज्ञान में लेते हुए, समिति ने सिफारिश की थी कि जहां कहीं भी आवश्यक हो, अपेक्षित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए एमडीएम योजना के तहत सभी स्कूलों में पूरी तरह से निरीक्षण करने के लिए विभाग को या तो अपनी खुद की एक टीम का गठन करना चाहिए या एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त करना चाहिए, और उन्हें तदनुसार सूचित किया जाए। समिति की-गई-कार्रवाई उत्तर से नोट करती है कि विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के कार्यान्वयन में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं, क्योंकि वर्ष 2013-14 से रसोई-सह-भंडार (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) के निर्माण की वास्तविक प्रगति और स्कूलों में गैस आधारित खाना पकाने, पेयजल और शौचालय की उपलब्धता में सुधार हुआ है। तथापि, एमडीएमएस के तहत बनाए गए विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 तक केवल कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। इसलिए, समिति का मत है कि 100 प्रतिशत

लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और यह सिफारिश करती है कि तदनुसार विभाग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन पर दवाब डाले और समिति को तदनुसार सूचित किया जाए।

समिति यह भी नोट करती है कि विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन का स्वतंत्र तृतीय पक्ष के द्वारा पूर्ण निरीक्षण और निगरानी के लिए सुपरिभाषित सेवा शर्तों (टीओआर) और समय-सीमा के आधार पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), केंद्रीय/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के गृह विज्ञान विभागों, प्रतिष्ठित गृह विज्ञान महाविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसियों/संस्थानों की सेवाएं लेकर निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी, टीओआर को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक जिले को प्रत्येक वर्ष कवर किया गया है और इसमें बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी मानदंडों पर नजर रखा जाना भी शामिल होगा जिससे योजना के प्रभाव मूल्यांकन और भोजन में सुधार के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जा सके। समिति चाहती है कि निगरानी तंत्र में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के परिणाम और देश भर में एमडीएम योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए विभाग द्वारा किए गए उपायों और अनुसूचित जनजाति की आबादी को इससे होने वाले लाभों से अवगत कराया जाए।

<u>नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी</u>

(सिफारिश पैरा सं.12)

44. लेखापरीक्षा ने कहा था कि स्कीम के कार्यान्वयन की योजना में कमी थी क्योंकि टीएसपी के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार जनजातीय लाभार्थियों पर विशेष रूप से विचार किए बिना योजनाएं तैयार की गई थी। समिति ने समुदाय को शामिल करने विशेषकर जनजातीय बहुल ब्लॉकों में योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को महसूस किया था। समिति का मानना था कि योजना और निर्णय की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय के मुद्दों/चिंताओं को चिह्नित करना और प्राथमिकता तय करना अनिवार्य है। इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि टीएसपी के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व स्थानीय जनजातीय समुदाय से जानकारी/सुझाव प्राप्त किए जाएं। समिति का मानना था कि इससे कार्यान्वयन एजेंसी को विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले मुद्दों को चिह्नित करने और उसके समाधान के लिए अतिरिक्त निधि, मानव संसाधन और समय देने में इससे संबंधित कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को लाभ मिलना सुनिश्चित होगा|

45. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने की- गई- कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"पूर्व योजना आयोग द्वारा दिनांक 18.06.2014 को जारी राज्य टीएसपी के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह निर्धारित किया गया है कि जनजातीय कल्याण विभाग राज्य स्तर पर टीएसपी विकास की प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत नोडल विभाग है। राज्य टीएसपी को बनाते समय, राज्य नोडल विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि टीएसपी को जिला योजना और निगरानी समिति (डीपीएमसी) द्वारा जिला स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए। डीपीएमसी को उन योजनाओं / कार्यक्रमों की वास्तविक माँग पर विचार करना चाहिए जो अजजा को लाभान्वित करने के लिए हैं, और उनकी स्थानीय आकांक्षाओं और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के इक्विटी पहलू को प्राथमिकता देते हैं।

इस प्रभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करते समय, एक शर्त यह है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार क्षेत्र में लागू की जाने वाली जनजातीय विकास से संबंधित परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के बारे में विधिवत जानकारी दी जाए। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि ऐसे क्षेत्रों में मानदंडों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं।"

46. लेखापरीक्षा ने अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में निम्नवत बताया: -

"मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित तंत्र के बारे में पीएसी को सूचित कर सकता है कि स्थानीय जनजातीय समुदाय के इनपुट / सुझाव मांगे गए हैं और योजना में शामिल किए गए हैं, जैसा कि पीएसी द्वारा संस्तुत किया गया है|"

47. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने अद्यतन की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"जैसा कि ऊपर कहा गया है, मंत्रालय द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करते समय, एक शर्त यह है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित पंचायती राज संस्थानों को अपने अधिकार क्षेत्र में लागू किए जाने वाले जनजाति विकास से संबंधित परियोजनाओं / कार्यक्रमों के बारे में विधिवत जानकारी दी जाए। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि ऐसे क्षेत्रों में मानदंडों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं।"

48. समिति का मत था कि आयोजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय के मुद्दों/चिंताओं को चिह्नित करना और उन्हें प्राथमिकता देना अनिवार्य है, और सिफारिश की कि टीएसपी के तहत किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना को अंतिम रूप देने से पहले उनके इनपुट/सुझाव मांगे जाने चाहिए। समिति, जनजातीय कार्य मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई उत्तर से नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करते समय, एक शर्त यह है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को उनके क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली जनजातीय विकास से संबंधित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में विधिवत रूप सूचित किया जाए, और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राम सभा की बैठकें नियमित अंतराल पर मानदंडों के अनुसार आयोजित की जाती हैं। तथापि, स्थानीय समुदाय द्वारा

महसूस की गई आवश्यकताओं और उनके सुझावों को योजना में शामिल करने के मुद्दे के संबंध में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। समिति इसे अस्वीकार्य पाती है और किसी भी परियोजना को तैयार करने और लागू करने में स्थानीय समुदाय को विश्वास में लेने के महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है और मंत्रालय से समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने और उन्हें तदनुसार अवगत कराने का आग्रह करती है।

49. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) ने समिति की सिफारिश पैरा संख्या 12 के संबंध में अपने की- गई- कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

> "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राज्यों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) को तैयार करने हेतु सभी स्तर के दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है। एनएचएम के कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क में विकेंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था है। स्थानीय योजना और कार्य को सफल बनाने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता तथा पोषण समितियों को अबद्ध अनुदान दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एनएचएम के अंतर्गत, राज्यों को कहा गया है कि वे उच्च प्राथमिकता जिलो, जो राज्य औसत से निचले सम्मिलित जिलों को शामिल करते हों, को उच्चतर प्रति व्यक्ति आवंटन प्रदान करें।"

50. लेखापरीक्षा ने अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में निम्नवत बताया: -

> "मंत्रालय के उत्तर से लोक लेखा समिति की अनुशंसा का निराकरण नहीं होता है। लोक लेखा समिति को उपयुक्त उत्तर दिया जाए।"

51. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपने अद्यतन उत्तर में निम्नवत बताया: -

"राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए उनके द्वारा अपनी राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में जिला/नगर स्वास्थ्य कार्य योजनाओं का समायोजन होना परिकल्पित तथा इसमें राज्य स्तर के क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं।

स्थानीय स्तर पर सृजित सर्विस डेटा, सिविल पंजीकरण आदि के प्रयोग द्वारा जिला आधारित नियोजन के माध्यम से विकसित जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएं एनएचएम के मुख्य स्तंभ हैं। आंकड़ों के प्रयोग द्वारा विकेंद्रीकृत नियोजन के निम्नलिखित लाभ हैं-

- इससे स्थानीय स्वास्थ्य जरूरतों के निर्धारण में सक्रिय समुदायिक और जनजातीय आबादी की भागीदारी सुनिश्चित होती है और उनका निराकरण भी होता है।

- इससे स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा, दूसरे क्षेत्रों से भी संसाधनों का दोहन हो सकता है।

- इससे समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली के निकट लाया जा सकता है और समुदाय के सदस्यों तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संवाद हेतु मंच भी उपलब्ध होता है।

- इससे स्वास्थ्य प्रणाली को सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रदत्त सेवाओं का उपयोग करने हेतु समुदाय से सूचनाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है।

- साक्ष्य आधारित कार्यक्रम अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और सफल होते हैं।

राज्यों को इस आशय के पत्र जारी किए गए हैं कि अनुसूचित जनजाति जिलों में स्वास्थ्य कार्य योजना विकसित करने हेतु नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय जनजातीय समुदाय को भी शामिल किया जाए। (प्रति संलग्न)

52. टीएसपी योजना कार्यान्वयन में आयोजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय जनजातीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) ने अपनी की-गई-कार्रवाई टिप्पण में सूचित किया है कि राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) जिला/शहर स्वास्थ्य कार्य योजनाओं का एक समुच्चय है, और इसमें राज्य स्तर पर किए जाने वाले कार्य सम्मिलित हैं। इसके अलावा, जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्थानीय रूप से सृजित सेवा डेटा, सिविल रजिस्ट्रेशन आदि का उपयोग करके जिला आधारित आयोजना के माध्यम से विकसित की जाती हैं। इसके अलावा, विभाग ने राज्यों को अनुसूचित जनजातीय जिलों में स्वास्थ्य कार्य योजनाएं विकसित करने में स्थानीय जनजातीय समुदायों को सम्मिलित करने का भी अनुदेश दिया है। समिति, आयोजना प्रक्रिया में स्थानीय जनजातीय समुदायों को सम्मिलित करने की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, राज्यों द्वारा इसके अनुपालन की जांच करने के लिए विभाग द्वारा बनाए गए तंत्र के बारे में जानना चाहती है। समिति का यह भी विचार है कि जहां अनुभवजन्य आंकड़े नियोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं स्थानीय जनजातीय समुदाय के प्रत्यक्ष इनपुट और सुझाव भी देश में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए एक संपूर्ण योजना तैयार करने में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, समिति चाहती है कि जनजातीय स्थानीय समुदाय के विचारों को सुनने के साथ-साथ स्वास्थ्य योजनाबद्ध हस्तक्षेप से संबंधित प्रक्रिया में शामिल संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वस्थ और स्वच्छ जीवन के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए आवधिक अंतराल पर परस्पर संवाद सत्र और बैठक आयोजित की जाए।

अनुबंध- क

एनसीडी फ्लेक्सी पूल

2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान एनसीडी फ्लेक्सि पूल के तहत राज्यवार रिलीज

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	एनसीडी फ्लेक्सी पूल के तहत केंद्रीय रिलीज				व्यय # (एनपीसीडीसीएस)			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
	क. अधिक ध्यान दिये जाने वाले राज्य								
1	बिहार	2234	1804	4726	5141	65.34	90.1	75.69	467.82
2	छत्तीसगढ़	847	1485	3469	2115	124.6	919.33	702.14	1012.76
3	झारखंड	1057	1511	0	2153	144.62	232.87	109.35	3204.74
4	मध्य प्रदेश	2682	3540	5048	3363	745.94	524.88	136.04	786.56
5	ओडिशा	1619	1955	1785	1857	982.15	711.74	229.28	1812.87

6	राजस्थान	2704	2678	6378	3391	1668.9	1869.62	740.5	2408.83	
7	उत्तर प्रदेश	5439	7181	15132	10,232	938.48	2909.59	2252.51	9679.46	
	उप- कुल (क)	16,582	20154	36,538	28,252	4670.03	7258.13	4245.51	19373.04	
	ख. पहाड़ी राज्य									
8	हिमाचल प्रदेश	478	324	644	605	403.08	76.92	160.69	257.66	
9	जम्मू और कश्मीर	816	1459	2357	1386	480.69	189.62	280.09	1469.46	
10	उत्तराखंड	662	890	186	1268	0	39.23	257.11	296.28	
	उप- कुल (ख)	1956	2673	3187	3259	883.77	305.77	697.89	2023.4	
	ग. अन्य राज्य									
1 1	आंध्र प्रदेश	1478	3082	3645	2466	434.8	675.31	1276.18	846.96	

12	तेलंगाना	941	1123	2012	1763	200	15.54	375.41	1151.84	
13	गोवा	23	0	0	0	42.73	44.98	24.95	100.17	
14	गुजरात	2098	2132	4754	3006	857.45	1470.8	599.55	917.71	
15	हरियाणा	493	380	1388	717	132.74	266.48	251.73	525.15	
16	कर्नाटक	1429	2134	8284	2007	860.42	1479.76	757.77	1488.27	
17	केरल	518	693	1211	1311	382.81	573.12	211.06	879.72	
18	महाराष्ट्र	2754	3768	6208	0	1290.01	1234.91	443.03	1670.82	
19	पंजाब	671	835	1726	1182	298.33	712.62	90.74	289.89	
20	तमिलनाडु	1716.00	2145	5461	3036	3185.38	2775.15	416.08	3278.17	
21	पश्चिम बंगाल	1303	2485	2303	2351	383.77	192.13	260.79	1819.11	

22	चंडीगढ़	69	46	109	84	18.95	28.26	28.19	1.09	
23	दिल्ली	223	564	1289	395	18.58	14.07	9.03	6.17	
24	पुद्दुचेरी	29	39	125	137	13.64	104.93	18.37	45.22	
	उप- कुल (ग)	13745	19,426	38,515	18,455	8119.61	9588.06	4762.88	13020.29	
	घ. केंद्र शासित प्रदेश									
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55	121	108	0	0	2.2	28.13	54.21	
26	दादरा और नगर हवेली	63	82	89	62	37.93	65.67	28.05	34.9	
27	दमन और दीव	35	39	19	0	0	0	5.74	4.4	
28	लक्षद्वीप	7	0	0	0	3.18	0.76	0	0	
	उप- कुल (घ)	160	242	216	62	41.11	68.63	61.92	93.51	

	ङ. नॉर्थ-ईस्टर्न हाई फोकस स्टेट्स									
29	अरुणाचल प्रदेश	570	841	1606	974	128.47	493.82	270.52	382.06	
30	असम	3578	5533	6046	1113	890.69	1279.07	369.04	517.62	
31	मणिपुर	308	250	675	416	63.69	123.12	94.46	200.6	
32	मेघालय	246	531	779	0	42.36	153.54	77.08	129.57	
33	मिजोरम	142	214	1297	356	149.16	316.97	12.96	65.88	
34	नगालैंड	263	183	637	304	217.04	99.94	43.76	254.94	
35	सिक्किम	95	158	115	159	103.19	69.19	64.4	106.32	
36	त्रिपुरा	255	266	821	664	47.79	172.54	264.06	209.06	
	उप-कुल (ङ.)	5457	7976	11,976	3986	1642.39	2708.19	1196.28	1866.05	

	कुल-योग (क +ख + ग +घ + ङ)	37,900	50,471	90,432	54014	15356.91	19928.78	10964.48	36376.29	

2015-16 से एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम को एनसीडी फ्लेक्सी पूल में शामिल कर लिया गया है। एनसीडी के फ्लेक्सी पूल के तहत निधियों की रिलीज (केंद्रीय) 5 कार्यक्रमों (एनपीसीडीसीएस सहित) के लिए है और एनपीसीडीसीएस के व्यय को केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट के अनुसार दिखाया गया है।

अनुबंध- ख

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)

मार्च, 2019 तक

क्रम सं.	राज्य	2018-19 तक स्वीकृत						2018-19 तक की उपलब्धि					
		राज्य एन सीडी सेल	जिला एन सी डी सेल	जिला एन सी डी क्लिनिक	सी सीयू	डे केयर सेंटर	सीएचसी एनसीडी क्लीनिक	राज्य एन सी डी सेल	जिला एन सीडी सेल	जिला एन सीडी क्लिनिक	सी सीयू	डे केयर सेंटर	सीएचसी एनसीडी क्लीनिक
1	आंध्र प्रदेश	1	13	13	12	12	80	1	13	13	7	0	193
2	अरुणाचल प्रदेश	1	20	20	3	3	54	1	18	18	0	0	49
3	असम	1	27	27	1 1	7	123	1	14	14	5	5	79
4	बिहार	1	38	38	12	22	63	1	38	30	6	0	0
5	छत्तीसगढ़	1	27	27	6	1 1	136	1	27	27	1	2	89
6	गोवा	1	2	2	2	2	9	1	1	2	2	2	4
7	गुजरात	1	33	33	13	16	123	1	19	19	5	2	68
8	हरियाणा	1	21	13	8	8	149	1	13	20	8	8	62
9	हिमाचल प्रदेश	1	12	12	5	7	9	1	12	12	1 1	1 1	146

10	जम्मू और कश्मीर	1	22	22	12	7	56	1	14	14	6	5	36		
11	झारखंड	1	24	24	3	7	110	1	23	21	1	0	68		
12	कर्नाटक	1	30	30	10	9	243	1	28	29	5	5	201		
13	केरल	1	14	14	1 1	14	317	1	14	14	4	16	85		
14	मध्य प्रदेश	1	51	51	10	10	96	1	5	51	5	51	51		
15	महाराष्ट्र	1	35	34	18	23	686	1	34	34	25	10	447		
16	मणिपुर	1	16	16	2	10	22	1	1 1	1 1	1	1	5		
17	मेघालय	1	7	7	1	1	14	1	4	4	1	2	8		
18	मिजोरम	1	8	8	2	2	15	1	8	8	2	2	10		
19	नगालैंड	1	1 1	1 1	1	1	5	1	1 1	1 1	1	2	5		
20	ओडिशा	1	30	30	12	12	247	1	30	30	5	30	62		
21	पंजाब	1	22	22	23	18	140	1	22	22	14	3	192		
22	राजस्थान	1	33	33	8	8	227	1	33	33	8	8	227		
23	सिक्किम	1	4	4	2	2	2	1	4	2	2	1	2		
24	तमिलनाडु	1	32	32	32	32	664	1	32	32	32	0	664		
25	तेलंगाना	1	14	30	2	7	74	1	12	7	2	1	21		
26	त्रिपुरा	1	8	8	2	2	56	1	8	8	0	0	23		

27	उत्तर प्रदेश	1	75	75	7	5	427	1	53	55	0	0	234		
28	उत्तराखंड	1	13	13	2	2	35	1	1 1	1 1	0	0	8		
29	पश्चिम बंगाल	1	27	27	10	14	38	1	27	27	8	1	38		
30	अंडमान और निकोबार	1	3	2	1	0	8	1	0	0	0	0	0		
31	चंडीगढ़	1	0	1	0	0	3	1	0	1	0	0	3		
32	दादर और नगर हवेली	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0		
33	दमन और दीव	1	1	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0		
34	लक्षद्वीप	1	0	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0		
35	दिल्ली	1	1 1	1 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
36	पुद्दुचेरी	1	3	4	1	1	4	1	4	4	1	0	4		
कुल योग		36	687	698	245	27 6	4241	36	543	585	16 8	168	3084		

Annexure I

Details of Central Assistance released and utilised for Construction of Kitchen Cum Store under Mid-Day Meal Scheme during 2006-07 to 2013-14

(Rs in lakh)

Sl. No.	State	No. of kitchen sheds sanctioned @ Rs. 60000 per unit						No. of kitchen sheds sanctioned on plinth area norms as per State Scheduled of rates										Total No. of kitchen sheds sanctioned upto 2013-14	
		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14			
		Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	23	24
Non-NER States																			
1	Andhra Pradesh	17201	10320.61	33328	19996.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24754	27648.25					75283	58185.66
2	Bihar	15050	9628.75	15059	9035.40	31078	18646.80	0	0.00	0	0.00	3790	7328.00	* 19975	*11395.14	573	553.14	65550	45183.09
3	Chhattisgarh	5570	3342.28	6016	3609.60	26727	16035.20	0	0.00	0	0.00	8953	7014.11					47266	30002.19
4	Goa	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00
5	Gujarat	6318	3790.56	0	0.00	9303	5581.80	4247	4415.07	0	0.00	0	0.00			5209	9415.72	25077	23203.15
6	Haryana	3185	1911.28	873	523.80	0	0.00	7425	9276.45	0	0.00	0	0.00					11483	11710.54
7	Himachal Pradesh	3433	2059.80	47	28.20	11298	6778.80	181	182.90	0	0.00	0	0.00					14959	9029.70
8	Jammu & Kashmir	5087	3052.20	728	436.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6000	4904.83					11815	8393.83
9	Jharkhand	6537	3922.14	10354	6212.40	4510	2706.00	2000	3270.00	0	0.00	18600	25334.95					36001	40845.49
10	Karnataka	9606	5763.61	18241	10944.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8724	10184.52	0	15051.10	3905	11975.59	40477	53629.42
11	Kerala	451	270.55	634	380.40	0	0.00	1165	1773.60	0	0.00	0	0.00					2450	2544.55
12	Madhya Pradesh	23232	13939.08	44599	26759.40	25268	17560.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1353	1574.26	2289	2643.60	100751	62477.34
13	Maharashtra	18417	11050.20	87	52.20	38048	22828.80	1362	1421.08	7869	6280.77	0	0.00			6000	7834.59	71783	51446.01
14	Orissa	15091	9054.33	26318	15791.40	18749	11249.40	8693	4484.66	0	0.00	0	0.00					69152	40579.81
15	Punjab	4571	2742.60	1052	631.20	12822	7693.20	524	592.00	0	0.00	0	0.00					18969	11659.00
16	Rajasthan	8083	4849.56	19060	11436.00	40067	24034.12	10098	6816.15	0	0.00	0	0.00					77208	47135.83
17	Tamilnadu	457	274.30	1034	620.40	3804	2282.40	8045	14853.00	0	0.00	0	0.00	14130	26977.50			28470	45007.60
18	Uttarakhand	4154	2490.12	809	485.40	0	0.00	0	0.00	3000	3913.36	4855	5102.88	3361	5283.52			16989	17293.27
19	Uttar Pradesh	22920	13751.61	41577	24946.20	19199	11519.40	38676	24783.45	0	0.00	0	0.00					122372	75000.66
20	West Bengal	9792	5875.20	1900	1140.00	36950	22174.80	8418	17368.52	71931	12355.88	3023	7180.54			13129	19692.60	81314	85818.44
	Total	179186	107498.01	221917	133150.20	281821	169092.62	92335	89745.88	18862	24530.00	77599	94907.88	18854	48998.38	31106	62116.72	821669	719437.59
UTs with Legislature				0														0	0.00
21	Delhi	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00
22	Puducherry	0	0.00	0	0.00	92	55.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00					92	55.20
	Total	0	0.00	0	0.00	92	55.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92	55.20
UTs without Legislature				0	0.00													0	0.00
23	A&N islands	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	34	256.00	217	1038.69	*251	*802.3	251	1295.69
24	Chandigarh	0	0.00	0	0.00	10	23.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00					10	23.34
25	D&N Haveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	65.52					50	65.52
26	Daman & Diu	26	15.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	23.96			32	39.39
27	Lakshadweep	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00
	Total	26	15.43	0	0.00	10	23.34	0	0.00	0	0.00	84	321.52	223	1063.65	0	0.00	343	1423.84
NER States																		0	0.00
28	Arunachal Pradesh	3843	2305.67	242	145.20	0	0.00	0	0.00	46	44.00	0	0.00					4131	2494.87
29	Assam	30068	18040.76	0	0.00	10048	6028.80	4613	7449.72	3941	5018.86	8125	10347.18					56795	46885.32
30	Manipur	1174	704.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1879	3579.02	0	0.00					3053	4283.42
31	Meghalaya	2539	1523.40	488	280.80	1294	776.40	1467	2949.48	3723	9147.00	0	0.00					9491	14677.08
32	Mizoram	611	366.85	21	12.60	901	540.60	0	0.00	0	0.00	863	1703.7					2396	2623.75
33	Nagaland	1752	1051.44	3	1.80	22	13.20	0	0.00	446	1452.52	0	0.00					2223	2518.96
34	Sikkim	600	480.00	0	0.00	59	35.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00			77	168.94	936	684.34
35	Tripura	962	577.25	198	118.80	722	433.20	1002	1991.20	0	0.00	1730	3499.54			630	851.33	5144	7471.32
	Total	41749	25049.77	952	558.20	13046	7827.60	7082	12390.40	10035	19241.40	10718	15550.42	0	0.00	607	1020.27	84169	81639.06
	GRAND TOTAL	220940	132563.21	222849	133709.40	294969	176998.66	99417	101636.28	28897	43771.40	88401	110779.82	19077	49860.03	31713	53136.99	1006263	802555.79
Or Say, Rs. In Crore			1325.63		1337.09		1769.99		1016.36		437.71		1107.80		499.60		531.37		8026.56

*Release the surrendered amount to utilize for construction of 18,975 kitchen-cum-stores.

Annexure-III

558/2020/Desk-MDM

PHYSICAL PROGRESS ON CONSTRUCTION OF KITCHEN-CUM-STORES (PRIMARY +UPPER PRIMARY)

Sl. No.	State/UT	No. of Kitchen -cum-stores sanctioned during 2006-07 to 2013-14	Physical Progess of Kitchen cum stores as on 31-03-2014					
			Constructed		In Progress		Not yet started	
			No.	%	No.	%	No.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Andhra Pradesh	75283	12908	17%	7868	10%	54507	72%
2	Arunachal Pradesh	4131	4085	99%	0	0%	46	1%
3	Assam	56795	38711	68%	8811	16%	9273	16%
4	Bihar	66550	46140	69%	9939	15%	10471	16%
5	Chhattisgarh	47266	38044	80%	6423	14%	2799	6%
6	Goa	0	0	0%	0	0%	0	0%
7	Gujarat	25077	18388	73%	141	1%	6548	26%
8	Haryana	11483	7414	65%	1165	10%	2904	25%
9	Himachal pradesh	14959	13638	91%	859	6%	452	3%
10	Jammu & Kashmir	11815	11442	97%	107	1%	266	2%
11	Jharkhand	39001	20554	53%	8396	22%	9951	26%
12	Karnataka	40477	28952	72%	5635	14%	5890	15%
13	Kerala	2450	318	13%	484	20%	1648	67%
14	Madhya Pradesh	100751	85680	86%	7963	8%	6108	6%
15	Maharashtra	71783	41623	58%	4046	6%	25114	36%
16	Manipur	3053	1174	38%	0	0%	1879	62%
17	Meghalaya	9491	7613	80%	1701	18%	177	2%
18	Mizoram	2396	2396	100%	0	0%	0	0%
19	Nagaland	2223	2209	99%	14	1%	0	0%
20	Orissa	69152	36121	52%	22101	32%	10930	16%
21	Punjab	18969	16413	87%	2032	11%	524	3%
22	Rajasthan	77298	44828	58%	5505	7%	26965	35%
23	Sikkim	936	800	85%	59	6%	77	8%
24	Tamil Nadu	28470	7682	27%	20788	73%	0	0%
25	Tripura	5144	4260	83%	1145	22%	0	0%
26	Uttar Pradesh	122572	110245	90%	918	1%	11409	9%
27	Uttarakhand	16989	8904	52%	3477	20%	4608	27%
28	West Bengal	81314	58822	72%	9364	12%	13128	16%
29	A&N Islands	251	5	2%	11	4%	235	94%
30	Chandigarh	10	7	70%	0	0%	3	30%
31	D&N Haveli	50	1	2%	49	98%	0	0%
32	Daman & Diu	32	26	81%	0	0%	6	19%
33	Delhi	0	0	0%	0	0%	0	0%
34	Lakshadweep	0	0	0%	0	0%	0	0%
35	Puducherry	92	92	100%	0	0%	0	0%
	Total	1006263	670595	67%	129011	13%	206918	21%

808

781558/2020/Desk-MDM

PHYSICAL PROGRESS ON CONSTRUCTION OF KITCHEN-CUM-STORES

Sl. No.	State/UT	No. of Kitchen -cum-stores sanctioned during 2006-07 to 2018-19	Physical Progess of Kitchen cum stores upto 31.03.2019					
			Constructed		In Progress		Not yet started	
			No.	%	No.	%	No.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Andhra Pradesh	44875	18291	41%	1033	2%	24992	56%
2	Arunachal Pradesh	4085	4085	100%	0	0%	0	0%
3	Assam	56795	51146	90%	527	1%	5122	9%
4	Bihar	66550	58363	88%	484	1%	7703	12%
5	Chhattisgarh	47266	45166	96%	2100	4%	0	0%
6	Goa	0	0	0%	0	0%	0	0%
7	Gujarat	25077	24308	97%	2	0%	767	3%
8	Haryana	11483	10155	88%	653	6%	675	6%
9	Himachal pradesh	14959	14829	99%	34	0%	96	1%
10	Jammu & Kashmir	11815	7118	60%	0	0%	4697	40%
11	Jharkhand	39001	29656	76%	1203	3%	8142	21%
12	Karnataka	40477	39237	97%	96	0%	1144	3%
13	Kerala	5481	2450	45%	0	0%	3031	55%
14	Madhya Pradesh	103401	93838	91%	4800	5%	4763	5%
15	Maharashtra	71783	59405	83%	546	1%	11832	16%
16	Manipur	2966	1083	37%	1883	63%	0	0%
17	Meghalaya	9758	9491	97%	0	0%	267	3%
18	Mizoram	2532	2506	99%	0	0%	26	1%
19	Nagaland	2223	2223	100%	0	0%	0	0%
20	Odisha	69152	44491	64%	24661	36%	0	0%
21	Punjab	18969	18969	100%	0	0%	0	0%
22	Rajasthan	77298	50595	65%	4143	5%	22560	29%
23	Sikkim	948	940	99%	8	1%	0	0%
24	Tamil Nadu	28470	27792	98%	344	1%	334	1%
25	Telangana	30408	17483	57%	3698	12%	9227	30%
26	Tripura*	5304	5565	105%	0	0%	0	0%
27	Uttar Pradesh	122572	112808	92%	2	0%	9762	8%
28	Uttarakhand	15933	15639	98%	83	1%	211	1%
29	West Bengal	81382	77446	95%	4136	5%	0	0%
30	A&N Islands	251	165	66%	0	0%	86	34%
31	Chandigarh	10	7	70%	0	0%	3	30%
32	D&N Haveli	50	50	100%	0	0%	0	0%
33	Daman & Diu	32	32	100%	0	0%	0	0%
34	Delhi	0	0	0%	0	0%	0	0%
35	Lakshadweep	0	0	0%	0	0%	0	0%
36	Puducherry	105	92	88%	13	12%	0	0%
Total		1011411	845424	84%	50449	5%	115440	11%

*Tripura has constructed 261 more kitchen-cum-store than sanctioned.

(7(i))

558/2020/Desk-MDM

Details of Central Assistance released for Procurement and Replacement of Kitchen Devices under Mid-Day Meal Scheme during 2006-07 to 2013-14

(Rs in lakh)

Sl. No.	State/UT	No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2006-07		No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2007-08		No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2008-09		No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2009-10		No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2010-11		No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2011-12		No. of schools sanctioned for Procurement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2012-13		sanctioned for Replacement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2012-13		No. of schools sanctioned for Procurement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2013-14		sanctioned for Replacement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2013-14		Total No. of kitchen devices sanctioned upto 2014-15	
		Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28
Non-NER States																							
1	Andhra Pradesh	49618	2480.90	28839	1441.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2468	123.30	49618	2480.90					130941	6527.0
2	Bihar	35780	1789.02	27024	1351.20	4777	238.85	18867	943.35	0	0.00	0	0.00			35780	1789.00	6270	313.50	27024	1351.20	155482	7774.1
3	Chhattisgarh	22420	1120.98	6016	300.80	30774	1538.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00			16809	840.00					76010	3800.4
4	Goa	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									0	0.00
5	Gujarat	22399	1118.95	6707	335.35	0	0.00	782	36.10	0	0.00	3872	152.32			22399	1119.95					55939	2785.87
6	Haryana	6645	332.24	2862	143.10	0	0.00	1978	98.80	0	0.00	3822	191.10					161	8.05	7798	389.80	23262	1163.09
7	Himachal Pradesh	7557	377.85	220	11.00	7163	358.15	156	7.80	0	0.00	0	0.00			7557	377.85			220	11.00	22873	1143.65
8	Jammu & Kashmir	11198	559.81	728	36.40	0	0.00	7739	386.95	1839	91.95	0	0.00									21504	1075.21
9	Jharkhand	14590	740.49	4608	230.30	0	0.00	17536	878.00	0	0.00	0	0.00			11243	562.15					48375	2418.74
10	Karnataka	30691	1534.55	900	45.00	0	0.00	10997	548.65	0	0.00	0	0.00	12026	601.30	30891	1534.55	489	24.85	900	45.00	86704	4335.20
11	Kerala	3139	155.95	940	47.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									4078	203.95
12	Madhya Pradesh	57853	2898.17	33267	1653.35	5869	293.45	10432	521.60	0	0.00	0	0.00									107531	5378.57
13	Maharashtra	42450	2122.51	64539	3226.95	12797	639.85	0	0.00	0	0.00	1557	77.85			42450	2122.50			64539	3226.85	228332	11416.81
14	Orissa	34385	1719.25	16343	917.15	10977	548.85	2578	133.90	0	0.00	0	0.00					1500	75.00	52728	2636.40	120611	6030.65
15	Punjab	9265	463.27	1052	52.60	0	0.00	8652	432.60	0	0.00	0	0.00							10317	515.85	29286	1464.32
16	Rajasthan	14464	723.18	8445	422.25	0	0.00	54260	2713.00	0	0.00	0	0.00			14464	723.20	3175	158.75	8445	422.25	103253	5162.63
17	Tamilnadu	17312	865.62	5831	291.55	8526	426.30	9515	480.75	0	0.00	0	0.00			17312	865.80	6978	348.95	5831	291.55	71408	3570.32
18	Uttarakhand	8440	422.00	809	40.45	6127	306.35	1907	95.35	0	0.00	0	0.00	695	34.75	1800	90.00					19778	988.00
19	Uttar Pradesh	62767	3139.83	34607	1730.35	46999	2349.95	0	0.00	0	0.00	13437	671.85	9601	480.05	9668	483.40	10932	546.60	34607	1730.35	222848	11132.36
20	West Bengal	39928	1996.30	7	0.35	0	0.00	49981	2499.05	0	0.00	0	0.00	941	47.05	39686	1984.30			237	11.85	130788	6539.40
	Total	491418	24670.93	246742	12287.10	134009	6700.46	195568	9777.90	1839.00	91.85	22488	1083.12	25719	1286.45	298468	14872.60	28510	1476.80	212644	10632.20	1658402	82258.40
UTs with Legislature																							
21	Delhi	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00									0	0.00
22	Puducherry	308	15.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	151	7.55							459	22.95
	Total	308	15.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	151.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459	22.95
UTs without																							
23	A&N Islands	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	226	11.30							226	11.30
24	Chandigarh	50	2.28	0	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									50	4.28
25	D&N Haveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	283	14.15							283	14.15
26	Daman & Diu	32	1.62	0	0.00	0	0.00	32	1.60	0	0.00	0	0.00	30	1.50	67	3.35					161	8.07
27	Lakshadweep	13	0.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									13	0.60
	Total	95	4.68	0	2.00	0	0.00	32	1.60	0	0.00	0	0.00	639	28.95	67	3.35	0	0.00	0	0.00	733	36.46
NER States																							
28	Arunachal Pradesh	1278	63.89	1202	60.10	0	0.00	0	0.00	1951	97.55	0	0.00							1202	60.10	5633	281.64
29	Assam	17666	883.28	13277	663.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	31324	1566.20									62287	3113.33
30	Manipur	1457	72.85	0	0.00	0	0.00	1650	82.50	0	0.00	0	0.00									3107	155.35
31	Meghalaya	1450	72.48	1557	77.85	0	0.00	6367	318.35	0	0.00	0	0.00	700	35.00			538	26.90	3007	150.35	13619	680.93
32	Mizoram	727	36.34	567	28.35	0	0.00	0	0.00	1134	56.70	0	0.00			608	30.40			567	28.35	3603	180.14
33	Nagaland	998	49.83	798	39.80	0	0.00	415	20.75	541	27.05	0	0.00			1000	50.00					3751	187.53
34	Sikkim	446	22.30	336	16.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	97	4.85			443	22.15			338	16.80	1858	92.90
35	Tripura	1978	98.91	1788	89.30	0	0.00	1535	76.75	330	16.50	881	44.05	21	1.05	1878	93.90			531	26.55	9040	452.01
	Total	26001	1299.98	19521	976.05	0	0.00	9967	498.35	3956	197.80	32302	1615.10	721	36.05	4029	201.45	538	26.90	5843	282.15	102876	5133.83
	GRAND TOTAL	517823	25890.87	266263	13265.15	134009	6700.45	205557	10277.85	5795	289.75	64790	2708.22	27140	1357.00	303554	15177.70	30054	1502.70	218287	10914.36	1702272	85064.04
	Or Say, Rs. In Crore		258.91		132.65		67.00		102.78		2.90		27.08		13.57		151.78		15.03		109.14		880.64

	Unit	Amount
	1240431	61992
Replacement	521841	26092
	1762272	88064.04

(808)

Annexure-V

1558/2020/Desk-MDM

Details of Central Assistance released for Procurement and Replacement of Kitchen Devices under Mid-Day Meal Scheme during 2006-07 to 2018-19

(Rs. in lakh)

SL No.	State/UT	No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2006-07		No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2007-08		No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2008-09		No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2009-10		No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2010-11		No. of schools sanctioned for kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2011-12	
		Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Non-NER States													
1	Andhra Pradesh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1441.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Bihar	[illegible]	[illegible]	27224	1251.20	4777	238.85	16887	843.35	0	0.00	5	0.00
3	Chhattisgarh	[illegible]	[illegible]	6016	300.80	30774	1538.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Goa	[illegible]	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Gujarat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0.00	[illegible]	34.10	0	0.00	3677	183.60
6	Haryana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	140.10	0	0.00	1176	58.80	0	0.00	3622	181.10
7	Himachal Pradesh	[illegible]	[illegible]	220	11.00	7163	358.15	156	7.80	0	0.00	0	0.00
8	Jammu & Kashmir	[illegible]	[illegible]	728	36.40	0	0.00	7733	386.65	1233	61.65	0	0.00
9	Jharkhand	[illegible]	[illegible]	4608	230.40	0	0.00	17534	876.70	0	0.00	0	0.00
10	Karnataka	[illegible]	[illegible]	900	45.00	0	0.00	10973	548.65	0	0.00	0	0.00
11	Kerala	[illegible]	[illegible]	842	42.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	Madhya Pradesh	[illegible]	[illegible]	33267	1663.35	5809	290.45	16403	821.15	0	0.00	0	0.00
13	Maharashtra	[illegible]	[illegible]	64520	3226.00	12757	637.85	0	0.00	0	0.00	1537	77.45
14	Odisha	[illegible]	[illegible]	18342	917.16	10977	548.85	2378	122.90	0	0.00	0	0.00
15	Punjab	[illegible]	[illegible]	1652	82.60	0	0.00	8657	432.85	0	0.00	0	0.00
16	Rajasthan	[illegible]	[illegible]	8445	422.25	0	0.00	64200	3210.05	0	0.00	0	0.00
17	Telangana	[illegible]	[illegible]	6431	321.55	[illegible]	[illegible]	6875	[illegible]	0	0.00	0	0.00
18	Uttarakhand	[illegible]	[illegible]	809	40.45	6127	306.35	1907	95.35	0	0.00	0	0.00
19	Uttar Pradesh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1730.00	[illegible]	[illegible]	0	0.00	0	0.00	13437	671.85
20	West Bengal	[illegible]	1299.30	7	0.35	0	0.00	44981	2249.05	0	0.00	0	0.00
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7730.49	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61.16	21496	1124.45
UTs with Legislature													
21	Delhi	[illegible]	[illegible]	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
22	Puducherry	308	15.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Total	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
UTs without Legislature													
23	A&N Islands	[illegible]	[illegible]	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	Chandigarh	50	2.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25	D&N Haveli	0	[illegible]	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26	Daman & Diu	[illegible]	1.50	0	0.00	0	0.00	32	1.60	0	0.00	0	0.00
27	Lakshadweep	[illegible]	[illegible]	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Total	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	32	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
NER States													
28	Arunachal Pradesh	[illegible]	[illegible]	1202	60.10	0	0.00	0	0.00	1951	97.55	0	0.00
29	Assam	[illegible]	863.30	13277	663.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	31224	1560.20
30	Manipur	1457	72.85	0	0.00	0	0.00	1650	82.50	0	0.00	0	0.00
31	Meghalaya	[illegible]	72.50	1557	77.85	0	0.00	6367	318.35	0	0.00	0	0.00
32	Mizoram	777	38.85	547	26.35	0	0.00	0	0.00	1134	56.70	0	0.00
33	Nagaland	[illegible]	49.95	798	39.90	0	0.00	415	20.75	541	27.05	0	0.00
34	Sikkim	441	22.05	[illegible]	16.60	0	0.00	0	0.00	[illegible]	0.00	97	4.85
35	Tripura	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0.00	1535	76.75	330	16.50	881	44.05
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0.00	5967	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	GRAND TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8700.44	[illegible]	10277.35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Or Say, Rs. in Crore		154.88		132.83		87.29		102.78		2.83		27.46

SL No.	State/UT	No. of schools sanctioned for Procurement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2012-13		sanctioned for Replacement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2012-13		No. of schools sanctioned for Procurement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2013-14		sanctioned for Replacement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2013-14		No. of schools sanctioned for Procurement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2014-15		sanctioned for Replacement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2014-15		No. of schools sanctioned for Procurement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2015-16	
		Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Non-NER States															
1	Andhra Pradesh	2464	173.30	[illegible]	2450.80							28839	1441.95		
2	Bihar			35760	[illegible]	[illegible]	313.50	27074	[illegible]	1718	85.90	4777	238.85		
3	Chhattisgarh			12800	640.00							30774	1538.70		
4	Goa									1521	76.05				
5	Gujarat			22399	1119.95							6707	335.35		
6	Haryana					161	8.05	7730	[illegible]			[illegible]	[illegible]		
7	Himachal Pradesh			7557	377.85			220	11.00	260	13.00	7103	355.15		
8	Jammu & Kashmir									1299	64.95	760	38.00		
9	Jharkhand			11243	562.15							[illegible]	[illegible]		
10	Karnataka	[illegible]	601.30	[illegible]	1154.55	[illegible]	24.95	900	45.00	[illegible]	347.25				
11	Kerala														
12	Madhya Pradesh									9176	458.80	39136	1956.80		
13	Maharashtra			42450	2122.50			[illegible]	3226.95	[illegible]	[illegible]	12797	639.85		
14	Odisha					1500	75.00	[illegible]	[illegible]			[illegible]	648.85		
15	Punjab							10317	515.85						
16	Rajasthan			14464	723.20	3175	158.75	8445	422.25	[illegible]	[illegible]				
17	Telangana			17312	865.60	[illegible]	348.95	[illegible]	211.55	[illegible]	301.60	[illegible]	431.30		
18	Uttarakhand	[illegible]	[illegible]	1800	90.00							[illegible]	[illegible]	172	[illegible]
19	Uttar Pradesh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	846.00	[illegible]	1730.35	4502	225.10	[illegible]	[illegible]		
20	West Bengal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			237	11.85						
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	172	[illegible]
UTs with Legislature															
21	Delhi									1734	86.70				
22	Puducherry	151	7.55									26	1.30		
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1734	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UTs without Legislature															
23	A&N Islands	[illegible]	11.35									121	6.25		
24	Chandigarh											50	2.50		
25	D&N Haveli	283	14.15												
26	Daman & Diu	30	1.50	67	3.35										
27	Lakshadweep											13	0.65		
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NER States															
28	Arunachal Pradesh			880	44.00			[illegible]	60.10						
29	Assam														
30	Manipur													[illegible]	29.60
31	Meghalaya	700	35.00			[illegible]	[illegible]	3007	150.35	615	30.75			842	42.10
32	Mizoram			608	30.40			567	28.35						
33	Nagaland			1000	50.00							[illegible]	39.00		
34	Sikkim			441	22.15			[illegible]	[illegible]						
35	Tripura	21	1.05	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	88	4.40	[illegible]	62.70		
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	GRAND TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Or Say, Rs. in Crore		13.87		162.22		16.03		163.14		30.41		87.77		0.78

SL No.	State/UT	sanctioned for Replacement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2015-16		No. of schools sanctioned for Procurement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2016-17		sanctioned for Replacement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2016-17		sanctioned for Replacement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2017-18		No. of schools sanctioned for Procurement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2018-19		sanctioned for Replacement of kitchen devices @ Rs. 5000 per unit for the year 2018-19		Total No. of kitchen devices sanctioned upto 2018-19	
		Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Non-NER States															
1	Andhra Pradesh													[illegible]	[illegible]
2	Bihar													181877	[illegible]
3	Chhattisgarh											[illegible]	1431.60	[illegible]	[illegible]
4	Goa													1521	76.05
5	Gujarat	26	1.30			770	38.50							[illegible]	3170.40
6	Haryana													[illegible]	[illegible]
7	Himachal Pradesh			44	2.20	156	7.80			428.00	21.40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Jammu & Kashmir													23423	1181.15
9	Jharkhand													[illegible]	[illegible]
10	Karnataka					10997	[illegible]							106446	[illegible]
11	Kerala			[illegible]	413.95	1473	73.65							[illegible]	[illegible]
12	Madhya Pradesh			[illegible]	129.25	[illegible]	[illegible]							207775	[illegible]
13	Maharashtra							1567	77.35					[illegible]	[illegible]
14	Odisha					2678	[illegible]							[illegible]	[illegible]
15	Punjab											[illegible]	[illegible]	[illegible]	1896.90
16	Rajasthan					8200	[illegible]							[illegible]	[illegible]
17	Telangana					[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
18	Uttarakhand	[illegible]	95.25	45	2.25									27540	1378.15
19	Uttar Pradesh	[illegible]	4210.20											[illegible]	[illegible]
20	West Bengal					[illegible]	[illegible]					[illegible]	2106.54	[illegible]	[illegible]
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UTs with Legislature															
21	Delhi													1734	86.70
22	Puducherry							151	7.55					636	31.80
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UTs without Legislature															
23	A&N Islands											121	[illegible]	460	[illegible]
24	Chandigarh					69	3.45					69	3.45	238	11.90
25	D&N Haveli											280	14.00	[illegible]	29.15
26	Daman & Diu													161	8.05
27	Lakshadweep													26	1.31
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	470	[illegible]	[illegible]	73.41
NER States															
28	Arunachal Pradesh					1951	97.55							[illegible]	421.20
29	Assam					[illegible]	[illegible]							73661	[illegible]
30	Manipur	1457	72.85											[illegible]	[illegible]
31	Meghalaya	[illegible]	[illegible]									[illegible]	59.60	[illegible]	1105.15
32	Mizoram					1134	56.70	120	6.00					4857	[illegible]
33	Nagaland					415	20.75					541	27.05	[illegible]	[illegible]
34	Sikkim											[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	Tripura			[illegible]	14.00			[illegible]	44.05					[illegible]	578.10
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	GRAND TOTAL	[illegible]	[illegible]	11234	561.70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	116664.21
	Or Say, Rs. in Crore		51.84		5.62		62.81		1.35		0.21		44.24		1166.64

	Unit	Amount
New	[illegible]	[illegible]
Repl.	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]

608

1558/2020/Desk-MDM

Availibility of Gas based cooking, Drinking water, and toilet facility in schools [PY + U PY] during 2013-14

Sl. No.	State/UT	Total Institution	Infrastructure					
			Gas based cooking		Drinking water		Toilet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Andhra Pradesh	77091	27946	36%	59308	77%	53871	70%
2	Arunachal Pradesh	3339	67	2%	2299	69%	2233	67%
3	Assam	56327	556	1%	45829	81%	40362	72%
4	Bihar	69367	288	0%	66683	96%	55252	80%
5	Chhattisgarh	47879	431	1%	47879	100%	45769	96%
6	Goa	1532	0	0%	1419	93%	1405	92%
7	Gujarat	33728	29901	89%	33623	100%	33623	100%
8	Haryana	15264	15305	100%	15466	101%	15466	101%
9	Himachal Pradesh	15197	13023	86%	15207	100%	15091	99%
10	Jammu & Kashmir	22965	13716	60%	17814	78%	16179	70%
11	Jharkhand	40855	1843	5%	34376	84%	35977	88%
12	Karnataka	55080	53839	98%	56983	103%	55401	101%
13	Kerala	12377	0	0%	12211	99%	12189	98%
14	Madhya Pradesh	116356	5883	5%	115842	100%	115842	100%
15	Maharashtra	86028	11830	14%	86028	100%	85971	100%
16	Manipur	3298	5	0%	566	17%	2545	77%
17	Meghalaya	10580	0	0%	7082	67%	8825	83%
18	Mizoram	2516	1273	51%	2146	85%	2095	83%
19	Nagaland	2261	1789	79%	1246	55%	1962	87%
20	Orissa	63531	0	0%	63531	100%	45718	72%
21	Punjab	20369	20369	100%	20369	100%	20369	100%
22	Rajasthan	80344	29815	37%	79587	99%	0	0%
23	Sikkim	876	447	51%	751	86%	799	91%
24	Tamil Nadu	42619	7989	19%	41676	98%	42315	99%
25	Tripura	6545	137	2%	5463	83%	5984	91%
26	Uttar Pradesh	165918	98511	59%	154012	93%	151355	91%
27	Uttarakhand	17736	8468	48%	16649	94%	33743	190%
28	West Bengal	83707	7016	8%	83333	100%	82476	99%
29	A&N Islands	338	75	22%	338	100%	338	100%
30	Chandigarh	115	10	9%	115	100%	115	100%
31	D&N Haveli	283	283	100%	271	96%	243	86%
32	Daman & Diu	99	99	100%	99	100%	99	100%
33	Delhi	3065	3065	100%	3065	100%	3065	100%
34	Lakshadweep	42	0	0%	42	100%	42	100%
35	Puducherry	453	6	1%	319	70%	319	70%
	Total	1158070	353985	31%	1091627	94%	987038	85%

Annexure – VII

669

1558/2020/Desk-MDM

Availibility of Gas based cooking, Drinking water, and toilet facility in schools [PY + U PY]

2018-19

Sl. No.	State	Total institution	Infrastructure					
			Gas based cooking		Drinking water		Toilet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Andhra Pradesh	45583	44826	98%	45198	99%	44826	98%
2	Arunachal Pradesh	3182	99	3%	3182	100%	2503	79%
3	Assam	57240	13474	24%	47453	83%	57240	100%
4	Bihar	72957	54512	75%	65499	90%	65499	90%
5	Chhattisgarh	44838	3153	7%	44838	100%	44838	100%
6	Goa	1479	1479	100%	1478	100%	1478	100%
7	Gujarat	34759	34759	100%	34644	100%	34644	100%
8	Haryana	14392	13975	97%	14392	100%	14392	100%
9	Himachal pradesh	15501	14868	96%	15467	100%	15339	99%
10	Jammu & Kashmir	23141	14591	63%	20658	89%	21410	93%
11	Jharkhand	39870	15672	39%	39518	99%	37242	93%
12	Karnataka	54839	54839	100%	54833	100%	54833	100%
13	Kerala	12341	12341	100%	12341	100%	12341	100%
14	Madhya Pradesh	113830	32033	28%	113830	100%	113830	100%
15	Maharashtra	86801	38041	44%	83485	96%	80033	92%
16	Manipur	3857	300	8%	1871	49%	2545	66%
17	Meghalaya	11847	373	3%	10610	90%	10177	86%
18	Mizoram	2532	2539	100%	2146	85%	2095	83%
19	Nagaland	2139	1752	82%	1246	58%	1962	92%
20	Orissa	58784	22210	38%	58301	99%	58784	100%
21	Punjab	20157	20246	100%	20157	100%	20157	100%
22	Rajasthan	66506	64497	97%	66506	100%	66506	100%
23	Sikkim	869	447	51%	869	100%	869	100%
24	Tamil Nadu	43283	35713	83%	43205	100%	43205	100%
25	Telangana	28672	4772	17%	26993	94%	28672	100%
26	Tripura	6598	1571	24%	5732	87%	6128	93%
27	Uttar Pradesh	169291	163580	97%	168122	99%	167960	99%
28	Uttarakhand	18324	11196	61%	17084	93%	17293	94%
29	West Bengal	84171	38798	46%	83696	99%	83205	99%
30	A&N Islands	338	99	29%	338	100%	338	100%
31	Chandigarh	123	123	100%	123	100%	123	100%
32	D&N Haveli	280	280	100%	280	100%	280	100%
33	Daman & Diu	96	96	100%	96	100%	96	100%
34	Delhi	2975	2979	100%	2975	100%	2975	100%
35	Lakshadweep	40	0	0%	39	98%	39	98%
36	Puducherry	433	430	99%	431	100%	431	100%
	Total	1142068	720663	63%	1107636	97%	1114288	98%

Annexure-VIII

31558/2020/Desk-MDM

Institute Inspected: (Primary and Upper Primary) 2018-19

S.No	States /UTs	Total No. of Institutions	Total No. of Inst. Inspected	% institutions inspected
1	2	3	4	5
1	Andhra Pradesh	45583	27849	61%
2	Arunachal Pradesh	2934	2934	100%
3	Assam	57103	36925	65%
4	Bihar	69513	69513	100%
5	Chhattisgarh	44838	44838	100%
6	Goa	1473	1473	100%
7	Gujarat	34644	34644	100%
8	Haryana	14391	7306	51%
9	Himachal Pradesh	15504	15504	100%
10	Jammu & Kashmir	23120	16401	71%
11	Jharkhand	39717	35773	90%
12	Karnataka	54830	54576	100%
13	Kerala	12341	12341	100%
14	Madhya Pradesh	113621	110012	97%
15	Maharashtra	86744	79430	92%
16	Manipur	3481	3481	100%
17	Meghalaya	11659	10675	92%
18	Mizoram	2525	1927	76%
19	Nagaland	2099	1384	66%
20	Orissa	57590	50533	88%
21	Punjab	20157	20157	100%
22	Rajasthan	66506	66506	100%
23	Sikkim	867	679	78%
24	Tamilnadu	43283	38829	90%
25	Telangana	28586	27732	97%
26	Tripura	6529	6529	100%
27	Uttar Pradesh	169232	169232	100%
28	Uttarakhand	17339	17339	100%
29	West Bengal	84171	80261	95%
30	Andaman Nicobar	338	332	98%
31	Chandigarh	123	123	100%
32	Dadra & Nagar Haveli	280	280	100%
33	Daman and Diu	92	92	100%
34	Delhi	2975	2970	100%
35	Lakshadweep	39	31	79%
36	Puducherry	428	429	100%
	Total	1134655	1049040	92%

Annexure IX

Public Grievance System - Toll-free Numbers

Sl .No.	States	Toll-free Numbers
1	Andhra Pradesh	State level - 9393121651
2	Arunachal Pr.	1800-345-3604 and 0360 - 2292061 (Dedicated No.)
3	Assam	18003453525
4	Bihar	18003456208
5	Chhattisgarh	18002331152
6	Goa	Dedicated landline installed for three Deputy Education Officers If they fail to redress the Grievance, the same is forwarded to Assistant Director (Education) whose telephone No. has been displayed on the school notice board. (Source -AWP&B-2016-17 for Goa).
7	Gujarat	Complaints received at State, District and Block level offices. Commissioner (MDM) reviews the complaints at State Level. Grievances can also be submitted on Chief Ministers Help Line "SWAGAT". (Source : AWP&B-2016-17 of Gujarat.
8	Haryana	0172- 2584522
9	Himachal pradesh	1800-180-8007
10	Jammu & Kashmir	Departmental Heirarchy addresses public grievances (Source: AWP&B-2016-17 of J&K)
11	Jharkhand	Monitoring Cell set up at State, District and Block Level for grievance redressal with 24 to 72 hours. (Source : AWP&B 2016-17 of Jharkhand)
12	Karnataka	1800-425-20007
13	Kerala	CRM constituted on 19th January, 2011 at State level with Parents Teacher Association, Director of Public Insturctions and Local Bodies. Grievance can be registered on dedicated landline of Noon Meal Section. (Source AWP&B-2016-17 of Kerala).
14	Madhya Pradesh	Toll free number -181
15	Maharashtra	18002339988
16	Manipur	1800-345-3820 and 0385-2411095
17	Meghalaya	All Deputy Commissioners and Sub-Divisional Officer (Civil) have set up Grievance Redressal Meachanism.)
18	Mizoram	Toll Free No. 0389-2341325 at State Level and 0389-2345639 at district level. SMS on Mobile No. 91-8974245007 and email id mizorammdm@gmail.com (Source: State's AWP&B-2016-17)
19	Nagaland	0370-2260036(office)
20	Orissa	Toll free number - 18003456722
21	Punjab	1800-137-2215
22	Rajasthan	0141-2221960 and 0141-2221694
23	Sikkim	03592-208049
24	Tamil Nadu	Toll free numbers have been provided in 25 Districts as follows : 1 Tiruvallur 1800-425-7003 14 Sivagangai 1800 -425-4186 2 Tiruvannamalai 1800-425 4978 15 Madurai 1800-425 4982 3 Tiruvarur 1800-425-5125 16 Tuticorin 1800-4255 4444 4 Erode 1800-425-8367 17 Theni 1800 -425 -0045 5 The Nilgiris 1800-425-6250 18 Salem 1800- 425 -1124

781558/2020/Desk-MDM

		6 Coimbatore 1800-425-1049 19 Dindigul 1800- 425- 0382 7 Namakkal 1800-255-4444 20 Tirunelveli 1800 -425- 00768 8 Dharmapuri 1800-425-1071 21 Trichy 1800 -425- 6867 9 Krishnagiri 1800-425-7009 22 Virudhunagar 1800 -425-2528 10 Tirupur 1800-425-0421 23 Pudukottai 1800-425-2230 11 Thanjavur 1800-425-3998 24 Perambalur 1800-425-4166 12 Kanyakumari 04652 224048 25 Ramnad.1800-425-4187 13 Vellore 1800-425-4982
25	Telangana	1800-425-3525 and 1800-425-7462
26	Tripura	1800-345-3667
27	Uttar Pradesh	1800-4190-102
28	Uttarakhand	1800 180 4132
29	West Bengal	Phone No. (033)2359-6761, 6798, 6799 Fax (033)23344052
30	A&N Islands	There is no separate help lines available however the present official Telephone Numbers of Nodal Officer (Mid Day Meals) and Nine Zonal Officers across the Islands are used for addressing the grievances and its redressal. Complaint boxes and registers are also maintained in all schools. (Source: AWP&B 2016-17 of UT)
31	Chandigarh	Telephone No. 0172-5021697 and by dak in the office. Toll Free No. has been applied.
32	D&N Haveli	18002330260
33	Daman & Diu	09586609450
34	Delhi	011-23890002
35	Lakshadweep	Telephone No. of Grievances Redressal Mechanism A. Island Level 1 Agatti Principal, GSSS -04894 242253 2 Amini Principal, GSSS -04891 273255 3 Andrott Principal, GSSS - 04893 232323 4 Bitra Headmaster, GSBS -04890 275222 5 Chetlat Principal, GSSS- 04899 276256 6 Kadmat Principal, GSSS - 04897 274223 7 Kalpeni Principal, GSSS - 04895 252225 8 Kavaratti Principal, GSSS -04896 262218 9 Kiltan Principal, GSSS - 04898 272239 10 Minicoy Principal, GSSS -04892 222251 B. UT Level Lakshadweep Directorate of Education – 04896 262318
36	Puducherry	1800-425-1967

Annexure-X

781558/2020/Desk-MDM

Monitoring Mechanisms

Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development has prescribed a comprehensive and elaborate mechanism for monitoring and supervision of the Mid-Day Meal Scheme. The monitoring mechanism includes the following:

i) **Arrangements for local level monitoring:** Representatives of Gram Panchayats/ Gram Sabhas, members of SMCs, VECs, PTAs, SDMCs as well as Mothers' Committees are required to monitor the (i) regularity and wholesomeness of the mid-day meal served to children, (ii) cleanliness in cooking and serving of the mid-day meal, (iii) timeliness in procurement of good quality ingredients, fuel, etc, (iv) implementation of varied menu, (v) social and gender equity on a daily basis.

ii) **Display of Information:** In order to ensure transparency and accountability, all schools and centers, where the programme is being implemented, are required to display the following information at a visible place in the campus for the notice of the general public:

   a) Quantity of food grains received, date of receipt.
   b) Quantity of food grains utilized.
   c) Other ingredients purchased, utilized.
   d) Number of children given mid-day meal.
   e) Daily Menu.
   f) Roster of Community Members for supervision and monitoring.

iii) **Block Level Committee:** A broad based Steering-cum-Monitoring Committee also monitors implementation of the Mid-Day Meal Scheme at the block level.

iv) **Inspections by State Government Officers:** Officers of the State Governments/UTs belonging to the Departments of Revenue, Rural Development, Education and other related sectors, such as Women and Child Development, Food, Health etc. are also required to inspect schools and centres where the programme is being implemented. It has been recommended that 25% of the schools/special training centres are visited every quarter.

v) **District Level Committee:** Besides a District Level Steering-cum-Monitoring Committee for monitoring the MDM scheme, a District Level Committee under the Chairmanship of senior most Member of Parliament (MP) of the district has been constituted to monitor the scheme on quarterly basis.
This committee also monitors the implementation of Samagra Shiksha and Bharat programmes in the district.

vi) **Periodic Returns:** The State Government/UT is also required to submit periodic returns to the Department of School Education and Literacy, GoI to

781558/2020/Desk-MDM

provide information on (i) coverage of children and institutions, (ii) number of school days (iii) Progress in utilization of central assistance (iv) availability of necessary infrastructure in schools, (v) any untoward incident etc.

vii) **Grievance Redressal**: States and Union Territories are required to develop a dedicated mechanism for public grievance redressal, which should be widely publicized and made easily accessible.

viii) **State level Monitoring**: States and UT Administrations are also required to set up a Steering-cum-Monitoring Committee at the State level to oversee the implementation of the Scheme. States/UTs have deployed independent institutions for the evaluation of the Scheme.

ix) Web enabled MDM-MIS has been launched for effective online monitoring of the Scheme. The portal captures information on important parameters like category wise enrollment, teacher (looking after MDM) details, cook-cum-helpers details with social composition, availability of Infrastructural facilities like Kitchen-cum-stores & Kitchen devices, mode of cooking, drinking water, toilet facilities etc. on annual basis. The States/UTs are also feeding monthly data into the portal, which helps in monitoring the critical components/ indicators of the MDMS such as no. of meals served, utilization of food grain & cooking cost, honorarium paid to cook-cum-helpers, school inspection details etc.

x) Automated Monitoring System (AMS)

This department has put in place an automated system of data collection for real time monitoring of MDMS. Such data (on number of meals served on that particular day and reasons if meals not served) is being captured from schools with no cost to school Head Master/Teacher.

Under the automated monitoring system, States/UTs have set up a suitable system of data collection (i.e. Interactive Voice Response System(IVRS)/SMS/Mobile Application/Web Application) from schools on a daily basis and using it for purpose of monitoring and timely follow up action. States/UTs are pushing data on specific fields in a predefined format on a real time basis to the Central Server maintained by NIC. A central portal for analysis and display of data at the Central level. Based on the data collected, various drill down reports are made available for real time monitoring of the scheme at National/State/District/Block level. Daily email alerts are sent to States/UTs regarding number of schools which have reported data on that particular date and schools where meals have not been served. It has been implemented in all the States and UTs.

xi) Emergency Medical Plan to tackle the untoward incidents, if any, at schools.

xii) Grievance Redressal Mechanism to address the grievances of the stakeholders.

xiii) National level:

a) **Empowered Committee** on Mid-Day Meal has been set up under the Chairmanship of Hon'ble Minister, Human Resource Development for monitoring the access, safety, hygiene and quality aspects in the

781558/2020/Desk-MD

implementation of MDMS; Review mechanism is in place to ensure effective monitoring and evaluation of the scheme; Mechanism is in place for community participation in the scheme and its effective monitoring.

b) Executive Council of the National Mission for Samagra Shiksh(SS) headed by the Minister, Human Resource Development also reviews Mid-Day Meal Scheme.
c) National Level Steering-cum-Monitoring Committee (NSMC), Programme Approval Board (PAB) under the Chairpersonship of Secretary (SE&L).
d) National Meetings with Education Secretaries and Regional Review Meetings are also held to monitor implementation of MDMS.

xiv) 10th **Joint Review Mission** visited 5 States namely Madhya Pradesh (districts Dewas and Sheopur) during 3-9 October, 2017, Telangana (districts Karimnagar and Warangal) during 27 November - 4 December, 2017, Arunachal Pradesh (districts Papumpare and Lower Subansiri) during 14 - 21 December, 2017, Punjab(districts Jalandhar and Rupnagar) during 22nd - 29th January, 2018 and Gujarat (districts Banaskantha and Vadodara) during 5th - 12th March, 2018. 11th JRM visited to the States of Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Maharashtra and Uttar Pradesh during 2018-19.

xv) **Social Audit**

"Social audit" means the process in which people collectively monitor and evaluate the planning and implementation of a programme or scheme. The social audit was conducted by Society for Social Audit Accountability and Transparency (SSAAT) in two districts viz. Khammam and Chittoor of undivided Andhra Pradesh during 2012-13. Encouraged by the outcome of the Social Audit in Andhra Pradesh, the Department had issued detailed guidelines for conducting of social audit under Mid Day Meal Scheme. So far 13 States viz. Bihar, Maharashtra, Odisha, Karnataka, Punjab, Uttar Pradesh, Telangana, Nagaland, Andhra Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Uttrakhand and Tamil Nadu have conducted of social audit.

The Programme Approval Board-Mid Day Meal informed the States and UTs while considering and approving the their AWP&B 2019-20 that Social Audit is collective monitoring of a scheme by people's active involvement. It covers the issues of equity and equality along with expenditure in programme implementation. States and UTs were informed that under the provisions of section 28 of National Food Security Act, 2013 Social Audit of the scheme is mandatory. As per the MDM guidelines it is mandatory to conduct Social Audit in at least 20 schools in all districts. The Social Audit Units (SAU) set up under MNREGS, may be actively involved in conducting Social Audit of MDM in all districts. State was advised to share the findings of Social Audit with Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

अध्याय-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

टिप्पणियां/सिफारिशें

समिति यह नोट कर बहुत चिंतित है कि स्पष्टता की कमी के कारण टीएसपी निधि को जनजातीय बहुल क्षेत्रों के साथ-साथ गैर- जनजातीय आबादी वाले राज्यों को गलत तरीके से जारी किया गया है तथा भविष्य में इस तरह की चूक न हो इसके लिए समिति को ऐसा आश्वासन भी गया दिया गया है। समिति इस बात से हैरान है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच स्पष्टता और समन्वय के आभाव के चलते राज्य, जनजातीय बहुल जिलों आदि में जनजातीय आबादी के प्रतिशत की अनुचित गणना के परिणामस्वरूप निधि का गलत तरीके से वितरण किया गया है। ऐसी स्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, समिति ने संबंधित मंत्रालयों को अपने समन्वय और जानकारी दर्शाने वाले तंत्र को सुधारने और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने और गलत तरीके से जारी की गई निधि को वसूलने सहित सभी एहतियाती तथा सुधारात्मक / उपचारात्मक उपाय करने को कहा ताकि ऐसी चूकों/गलतियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

[पैरा सं. 2]

आयुष मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम)

परिषद ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी फा.सं. 11016/06/2016-एसजी-II दिनांक 01.07.2016 के माध्यम से वर्ष 2016-17 के दौरान और उसके बाद जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के तहत निधियों के अंतर-राज्यीय आवंटन और कार्यक्रमों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है/ अनुपालन कर रही है।

परिषद मंत्रालय से संचार और लेखापरीक्षा की टिप्पणियों दोनों द्वारा समय-समय पर उपलब्ध टीएसपी में व्यय सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती रही है।

परिषद जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एफ.सं. 11016/06/2016-एसजी-II दिनांक 01.07.2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल चयनित जनजातीय जिलों/आईटीडीए में जनजातीय आबादी के लाभ हेतु टीएसपी के तहत सचल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। परिषद जनजातीय उप योजना के मामले में सीएजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 33 की सिफारिशों के बाद

निधि जारी करते समय काफी सावधानी बरत रही है और इसलिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का सवाल ही नहीं उठता है।

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस)

परिषद ने जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के मामले में सीएजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 33 की सिफारिशों का अनुपालन किया है/करती रही है। परिषद ने गैर- जनजातीय राज्यों या जनजातीय बहुल राज्यों को निधियां जारी नहीं की हैं।

परिषद मंत्रालय से संचार और लेखापरीक्षा की टिप्पणियों दोनों द्वारा समय-समय पर उपलब्ध टीएसपी में व्यय सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती रही है।

परिषद सीएजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 33 के अनुसार केवल चयनित ब्लॉकों में टीएसपी के तहत जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

परिषद जनजातीय उप-योजना के मामले में सीएजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 33 की सिफारिशों के बाद निधि जारी करते समय काफी सावधानी बरत रही है और इसलिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का सवाल ही नहीं उठता है।

केंद्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)

परिषद ने जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के मामले में सीएजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 33 की सिफारिशों का अनुपालन किया है/करती रही है। परिषद ने गैर- जनजातीय राज्यों या जनजातीय बहुल राज्यों को निधियां जारी करना बंद कर दिया हैं।

परिषद मंत्रालय से संचार और लेखापरीक्षा की टिप्पणियों दोनों द्वारा समय-समय पर उपलब्ध टीएसपी में व्यय सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती रही है।

परिषद जनजातीय कार्य मंत्रालय के एफ.सं. 11016/06/2016-एसजी-II दिनांक 01.07.2016 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल चयनित जनजातीय ब्लोकों/ जिलों में जनजातीय आबादी के लाभ हेतु टीएसपी के तहत स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

परिषद जनजातीय उप-योजना के मामले में सीएजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 33 की सिफारिशों के बाद से निधि जारी करते समय काफी सावधानी बरत रही है और इसलिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का सवाल ही नहीं उठता है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणी

(क) इसके समन्वय और जानकारी साझा करने सम्बन्धी तंत्र में सुधार, और

(ख) दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाना और गलत तरीके से जारी की गई धनराशि की वसूली।

आयुष मंत्रालय का अद्यतन उत्तर

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा पैराओं के अवलोकन के आलोक में, मंत्रालय ने निम्नलिखित पहलों के साथ अपने निगरानी तंत्र में सुधार करने की मांग की है:

(एक) आयुष मंत्रालय में श्री आर.सी. अग्रवाल, उप महानिदेशक को का.ज्ञा. सं. जी.25012/1/2015-आयुष (ई.III) दिनांक 03.02.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से जनजातीय उप-योजना की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें मंत्रालय में संबंधित अनुभाग (पी एंड ई) की निगरानी/समन्वय का काम भी दिया गया है।

(दो) इसके अलावा, तीन परिषदों, अर्थात केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) ने भी अपने संबंधित नोडल अधिकारी (प्रतियां संलग्न) नामनिर्दिष्ट किए हैं।

(तीन) जनजातीय उप-योजना सम्बन्धी सीएजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 33 की प्राप्ति के बाद, परिषदों ने जनजातीय बहुल राज्यों में परियोजनाओं के वित्तपोषण को बंद कर दिया है और वे जनजातीय कार्य मंत्रालय के एफ.सं. 11016/06/2016-एसजी-II दिनांक 1.7.2016 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों का सतर्कतापूर्वक अनुपालन कर रहे हैं।

(चार) मंत्रालय कार्यान्वयन के तहत जनजातीय उप-योजना परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी/समन्वय करता रहा है। वर्ष 2017-18 के लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियों के साथ टीएसपी परियोजनाओं को लागू करने वाली संबंधित अनुसंधान परिषद का निगरानी प्रतिवेदन इसके साथ संलग्न किया गया है।

(ख) गलती करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने और गलत तरीके से जारी निधि की वसूली के संबंध में यह कहा गया है कि तीनों परिषदों ने जनजातीय बहुल राज्यों में अपनी परियोजनाओं को बंद कर दिया है। उन्होंने उपयुक्त और सुधारात्मक उपाय किए हैं और वे टीएसपी सम्बन्धी दिशानिर्देशों का सतर्कतापूर्वक अनुपालन कर रहे हैं। इसलिए, उपयुक्त और सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और साथ ही जनजातीय बहुल राज्यों को जो निधि पहले जारी की गई थी वह बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के इन जनजातीय लोगों के लाभ हेतु ही जारी की गई थी, अत: गलती करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाना उचित नहीं समझा गया है।

टिप्पणियां / सिफारिशें

संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा टीएसपी के क्रियान्वयन हेतु नोडल एककों का गठन किए जाने के संबंध में समिति नोट करती है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय उप-योजना तैयार और लागू करने हेतु एक समर्पित एकक (अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ) है| दोनों विभागों ने बताया है कि व्यापार नियम, 1961 के आबंठन के अनुसार (समय-समय पर संशोधित), जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए समग्र रूप से नीति बनाने, आयोजना और समन्वय हेतु नोडल मंत्रालय है| समिति आगे नोट करती है कि नीति आयोग ने यह सुझाव दिया था कि टीएसपी मंत्रालयों/विभागों को निगरानी एकक स्थापित करना चाहिए तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत पृथक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य-विशेष आबंटन और जारी की गई धनराशि के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाए| तथापि, राज्य और जिला स्तर पर नोडल एककों के गठन के संबंध में जानकारी संबंधित राज्यों/जिलों से प्राप्त नहीं हुई है| समिति सिफारिश करती है कि कार्यान्वयन चरण पर जनजातीय उप-योजना की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अपना समर्पित नोडल एकक स्थापित करना चाहिए| समिति आगे सिफारिश करती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य और जिला स्तरों पर नोडल एककों के समय पर गठन को सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों को निर्देश जारी करे तथा उन राज्यों को टीएसपी निधियों को जारी करने से रोकने पर विचार करे जिन्होंने नोडल एकक नहीं बनाया है|

[पैरा सं. 5]

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

तत्कालीन योजना आयोग द्वारा राज्य टीएसपी के लिए जारी दिनांक 18.06.2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य जनजाति कल्याण विभाग, राज्य स्तर पर टीएसपीविकास की प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत नोडल विभाग है। इसके अलावा, नोडल विभाग को सभी संगत लाइन विभागों के साथ गहन समन्वय में कार्य करना है ताकि वार्षिक टीएसपी में शामिल होने के लिए संदर्भ दस्तावेज और विभिन्न विभागों की टीएसपी स्कीमों का मूल्यांकन हो।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणी

मंत्रालय पीएसी को उन राज्यों को टीएसपी निधि जारी न करने के बारे में मंत्रालय के निर्णय की सूचना दे जिन्होंने नोडल इकाइयां नहीं बनाई।

जनजातीय कार्य मंत्रालय का अद्यतन उत्तर

एसटी अधिसूचित सभी राज्यों में जनजातीय विकास की देखभाल करने वाली इकाई है। केरल को छोड़कर, ऐसे सभी राज्यों ने राज्यों में टीएसपी को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

एनएचएम के तहत, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तीन भिन्न-भिन्न घटकों अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति उप योजना व अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां

आवंटित की जाती हैं ताकि तदनुसार राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, तदनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यूसी) का निपटान किया जाता है। मंत्रालय का एनएचएम नीति प्रभाग टीएसपी के कार्यान्वयन की वजह से जनजातीय आबादी को होने वाले लाभों की निगरानी करता है। जनजातीय आबादी का स्वास्थ्य संबंधी परिणाम सार्थक है तथा मानव संसाधन, अवसंरचना व स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी आदि में काफी तेजी से कार्यान्वयन हुआ है। इसके अतिरिक्त, योजना ब्यूरों मंत्रालय के लिए नोडल इकाई के रूप में कार्य करता है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणी

मंत्रालय का यह उत्तर कि ब्यूरो ऑफ प्लानिंग मंत्रालय की नोडल यूनिट के रूप में कार्य करता है, लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुदेश राज्य और जिला स्तर पर नोडल इकाइयों के समय से गठन सुनिश्चित करने और उन राज्यों को टीएसपी फंड जारी करने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में विचार किए जाने के संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया है जिन राज्यों ने लोक लेखा समिति की अनुशंसा के अनुसार नोडल इकाइयों का सृजन नहीं किया है। लोक लेखा समिति को यह उत्तर उपलब्ध कराया जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अद्यतन उत्तर

समिति की अनुशंसा के अनुसार सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मिशन निदेशकगण को दिनांक 20 अगस्त, 2018 को अ.शा.पत्र सं. जी-27034/145/2018 आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया गया है। (प्रति संलग्न)

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि योजना आयोग के मार्ग निर्देशों (2006) के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में समर्पित एकक स्थापित करके जनजातीय उप-योजना को कार्यान्वित किया जाना था। तथापि, समिति नोट करती है कि मंत्रालयों/विभागों में नोडल इकाइयों का गठन करने में विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्यमंत्रालय न तो वार्षिक योजना बनाने में शामिल था न ही उसके पास किसी निरीक्षण के लिए प्रक्रिया का विवरण देने वाले दिशा-निर्देश उपलब्ध थे। चूंकि जनजातीय उप योजना का मूल उद्देश्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कम से कम उनकी आबादी के अनुपात में निधियों को निर्धारित करने के द्वारा परिव्यय को केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा चैनेलाइज करना है; समिति का मत है कि निगरानी के लिए एक केंद्रीय इकाई निहायत आवश्यक है। इसलिए समिति अनुशंसा करती है कि जैसा कि नीति आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय निरीक्षण के लिए केंद्रीय नोडल इकाई का गठन करे ताकि ऑनलाइन निगरानी तंत्र के माध्यम से टीएसपी के बेहतर समन्वय और कुशल कार्यान्वयन को सुगम बनाये जा सके।

[पैरा सं. 6]

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

कार्य आवंटन नियमों (एबीआर) को जनवरी, 2017 में संशोधित किया गयाहै, जिसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को नीति आयोग द्वारा डिजाइन किए गए ढांचे और तंत्र के आधार पर केंद्रीय मंत्रालयों के एसटीसी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेशित किया गया है। मंत्रालय के टीएसपी प्रभाव टीएसपी के बेहतर समन्वयन और कुशल कार्यान्वयन की सुविधा के लिए मंत्रालय का टीएसपी डिवीजन,एक केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।इसके लिए वेब पता https://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरु की गयी है। इसकी अवसंरचना में स्कीमों के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन की निगरानी, आवंटन की तुलना में व्यय की निगरानी, वास्तविक निष्पादन की निगरानी और परिणाम की निगरानी की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त लाइन मंत्रालयों/विभागों में समन्वयन और मॉनीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणी

आगे कोई टिप्पणी नहीं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

मंत्रालय के स्तर पर, जहां तक वार्षिक योजना के साथ-साथ मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का संबंध है, यह वित्त पोषण के प्रावधान से अधिक है। एनएचएम के लिए पीआईपी के रूप में राज्यों द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थानीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। उन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है तथा एनएचएम के कार्यान्वयन हेतु फ्रेमवर्क द्वारा उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है।

मिशन संचालन समूह (एमएसजी) और अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) राष्ट्रीय स्तर पर एनएचएम के कार्यान्वयन हेतु व्यापक नीति निदेश उपलब्ध कराते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव एमएसजी और ईपीसी के सदस्य हैं। राज्यों में जनजातीय कार्य विभाग के सचिव राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के सदस्य हैं।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणी

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निगरानी हेतु केंद्रीय नोडल इकाई के सृजन के संबंध में लोक लेखा समिति द्वारा की गई अनुशंसा के संबंध में मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया है। लोक लेखा समिति को यह उत्तर उपलब्ध कराया जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अद्यतन उत्तर

जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर मिशन स्टेयरिंग ग्रुप और इम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी द्वारा एनएचएम के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध कराया जाता है। सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एमएसजी और ईपीसी के सदस्य हैं। राज्य में सचिव, जनजातीय कार्य विभाग राज्य स्वास्थ्य सोसायटियों के सदस्य होते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख है कि मंत्रालय का ब्यूरो ऑफ प्लानिंग डिवीजन जनजातीय मामलों के केंद्रीय नोडल इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति ने पाया है कि यद्यपि राज्यों को केन्द्र सरकार से तथा राज्यों से जिला कार्यान्वयन इकाइयों को निधियां सामान्य/एससी/एसटी तीन भागों में विभाजित शीर्ष के अंतर्गत निधियां जारी की गई हैं, ऐसे व्यय के लेखे प्रत्येक स्तर पर अलग से नहीं रखे गये| जमीनी स्तर पर टीएसपी निधियों का कोई उचित निर्धारण नहीं किया गया था और निधियों का आवंटन जनजातीय विशिष्ट आयोजना पर आधारित नहीं था| समिति को यह बात बेतुकी लगती है कि तीन भागों में विभाजित शीर्षों नामत: सामान्य/एससी/एसटी के अंतर्गत जारी निधियां अलग लेखा शीर्षों के अंतर्गत निर्धारित नहीं की गई हैं| समिति का तर्क है कि चूंकि टीएसपी के अधीन जारी निधियां विशेष रूप से जनजातियों के लिए हैं, प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग व्यय लेखा रखना उचित होगा| इससे मंत्रालय को अपने व्यय और लक्ष्यों/उपलब्धियों का ब्यौरा देखना संभव होगा और यह सुनिश्चित होगा कि टीएसपी के लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचेंगे| इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी राज्यों और जिला कार्यान्वयन अभिकरणों पर इस बात के लिए जोर दे कि अलग व्यय लेखा रखने के नियम का अनुपालन कड़ाई से हो तथा अलग शीर्षों के तहत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएं| समिति आगे यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए टीएसपी नीति की समीक्षा करे| कि आवंटित निधियों का विपणन/दुरूपयोग न किया जाए तथा सूचित व्यय अनुसूचित जनजातियों को लाभ की प्राप्ति से जुड़े हों।

[पैरा सं. 7]

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

अजजा के कल्याण के लिए योजनाओं के तहत आबंटन को पहले ही एक अलग बजट शीर्ष 796 आबंटित किए गए हैं ताकि निधियों के व्यपवर्तन की संभावना से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणी

मंत्रालय का उत्तर पीएसी की सिफारिश के अनुरूप नहीं है: (क) सभी राज्यों और जिला कार्यान्वयन एजेंसियों को अलग-अलग व्यय खातों के रखरखाव का सख्ती से पालन करने और अलग-अलग शीर्षों के तहत उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए बल देते हैं और (ख) टीएसपी रणनीति की

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आबंटित निधि का कहीं और व्यपवर्तन नहीं किया गया है और रिपोर्ट किए गए व्यय को अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक लाभ के साथ जोड़ा गया है । पीएसी को विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय का अद्यतन उत्तर

समय-समय पर संशोधित कार्यआबंटन नियम,1961 के अनुसार, 'इन सामुदायिक नीति, नियोजन, निगरानी, मूल्यांकन आदि के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में, उनके साथ समन्वय की जिम्मेदारी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों , राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी योजनाओं के तहत निर्मुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र(यूसी)तथा स्वीकृत परियोजनाओं की भौतिक/वास्तविक प्रगति रिपोर्ट भीप्रदान करने के लिए राज्यों परबलदेता हैं। लंबित यूसी के मामले में, आबंटित निधियां और निर्मुक्त होने से पहले उस सीमा तक समायोजित की जाती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

एनएचएम के तहत टीएसपी निधियों के लिए अलग लेखाओं का राज्य और जिला स्तर पर रख-रखाव व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत 18 भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक के एसटीएसपी, एससीएसपी और सामान्य घटक हैं। इसके अतिरिक्त , एनएचएम के तहत राज्यों की 672 जिला स्वास्थ्य सोसायटियों, 763 जिला अस्पतालों तथा उप-जिला इकाइयों को, जिनमें 5396 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 25308 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 153655 उप-केंद्र, 510416 ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण समितियां (वीएचएनएससी) शामिल हैं, तथा सिविल कार्यों, खरीददारी इत्यादि के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

फिर भी, राज्यों से कहा गया है कि वे किए गए व्यय का वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) में घटक-वार विवरण दें।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणी

लोक लेखा समिति को राज्य और जिला स्तर पर आबंटित राशि को उपयोग में लाए जाने की स्थिति बताई जाए। मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि आबंटित धनराशि अन्यत्र न लगाई जाए तथा संसूचित व्यय एसटी को वास्तविक लाभ के अनुरूप हो, टीएसपी कार्यनीति की समीक्षा संबंधी विवरण नहीं प्रस्तुत किया है। यह विवरण लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अद्यतन उत्तर

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और इनका कार्यान्वयन भी राज्य सरकारों को ही करना होता है, फिर भी मंत्रालय ने आ.शा. पत्र के माध्मय से राज्यों को श्रेणीवार व्यय संसूचित करने

का निदेश जारी कर रखा है। कुछ राज्य यथा-गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि ने दिशानिर्देशों के अनुपालना में श्रेणीवार उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है।

इस आशय से राज्यों को दिनांक 19 और 20 सितंबर, 2019 को आयोजित पहली तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठक में भी अवगत कराया गया था। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति ने टीएसपी के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां पाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना में कमी; 'बालिकाओं के लिए मॉडल क्लस्टर स्कूलों' की स्थापना और संचालन नहीं होना; मूलभूत सुविधाओं और अन्य सुविधाओं का अभाव; मानदंडों के अनुसार स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण न करना; स्थानीय भाषा के मूल शिक्षकों की नियुक्ति में कमियां और पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता और शिक्षकों की कमी शामिल है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के अतिरिक्त अन्य संबंधित राज्यों ने बार-बार याद दिलाने के बावजूद अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई है। राज्य और जिला स्तरों पर सर्व शिक्षा अभियान के कुशल कार्यान्वयन की दिशा में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय कार्यान्वयन और लक्ष्य उपलब्धि के लिए समय सीमा निर्धारित करके अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए, अवसंरचना का न्यूनतम मानक/गुणवत्ता निर्धारित करे और निधियों के केन्द्रीय हिस्से को रोककर अनुपालन न करने वाले राज्यों को दंडित करे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों/मानदंडों के अनुसार कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक निरीक्षणों/सत्यापनों के अतिरिक्त ऑनलाइन निरीक्षण करे।

[पैरा सं. 8]

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई

की-गई-कार्रवाई के संबंध में उपरोक्त पैरा संबंधी उत्तर संबंधित अनुभाग को 13 मार्च, 2018 और उसके बाद 3 अप्रैल, 2018 को भेज दिया गया है। उपरोक्त संदर्भित पत्राचार में की-गई-कार्रवाई के अलावा, आगे की कार्रवाई की गई है जैसा कि नीचे दिया गया है:-

1. समग्र शिक्षा की नई योजना के तहत, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूल वर्दी, पाठ्य पुस्तकें आदि जैसी आरटीई पात्रता को पूरा करने के लिए अनुपालन पहले से ही सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि उस पर व्यय की निगरानी परियोजना निगरानी प्रणाली (पीएमएस) पोर्टल के माध्यम से की जाती है। केंद्रीय हिस्से को की गई प्रगति और अवसंरचना सहित सभी हस्तक्षेपों के लिए किए गए व्यय की जांच के बाद ही जारी किया जाता है। वास्तविक और वित्तीय प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर, केंद्रीय निधि जारी की जाती है, जिससे निधि का प्रवाह प्रतिबंधित होता है।

2. इसके अलावा, सभी कार्यकलापों पर नजर रखने के लिए, विभाग ने समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित कदम उठाया है:-

क. अंतिम स्तर तक स्कूल अनुदान सहित अवसंरचना की वास्तविक मौजूदगी और विभिन्न अनुदानों के उपयोग की वास्तविक जांच करने के सहित स्कूल आधारित लेखापरीक्षा (सगुनोत्सव) तैयार की गई है।

ख.कार्यनिष्पादन ग्रेडिंग इंडेक्स - कार्यनिष्पादन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) को स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां अब शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 70 संकेतकों वाला सूचकांक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बहुस्तरीय हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करेगा, जो बहुप्रतीक्षित वांछित शैक्षिक परिणामों को सामने लाएंगे। इनमें सभी योग्य छात्रों के लिए समय पर वर्दी और पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान शामिल है।

ग.लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक लड़कियों के सुगम अंतरण के लिए केजीबीवी को बारहवीं कक्षा तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 3700 केजीबीवी में से वर्ष 2018-19 में 1232 को कक्षा दस/बारह तक अपग्रेड किया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवारों की 7.25 लाख से अधिक ग्रामीण लड़कियों को लाभ होगा। आत्म-सुरक्षा और आत्म-विकास के लिए कौशल विकसित करने के हेतु लड़कियों की आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए 2,11,416 सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

उपरोक्त कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कि एसटी लाभार्थियों सहित सभी कमजोर वर्गों को पूरी तरह से कवर किया जाए और उन्हें सीधे लाभ दिलाया जा सके।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र संलग्न हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा नामक स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना (आईएसएसई) लागू की है। स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना 'विद्यालय' को पूर्वविद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निरंतरता के साथ परिकल्पना करती है।

वर्ष 2017-18 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और बीपीएल जैसे वंचित समूहों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय थे और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं (ग्यारहवीं-बारहवीं) में बालिकाओं की पहुंच में सुधार लाने और उनकी शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से 100 लड़कियों की क्षमता वाले एक छात्रावास के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, ताकि छात्राओं को स्कूल से दूरी माता-पिता की वित्तीय क्षमता और अन्य जुड़े सामाजिक कारकों के कारण अपना अध्ययन जारी रखने के अवसर से वंचित न होना पड़े।

वर्ष 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर मौजूद केजीबीवी और माध्यमिक स्तर पर मौजूद बालिका छात्रावास को उच्च प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर आवासीय और स्कूल शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए बढ़ाया/मिलाया गया है। इस योजना में उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके और जहां भी संभव हो प्राथमिक से माध्यमिक और बारहवी कक्षा तक लड़कियों के सुचारू रूप से अंतरण को सुनिश्चित करके वंचित समूहों की लड़कियों को शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। केजीबीवी के सिविल कार्यों की राज्य-वार स्थिति (02.03.2021 तक) अनुबंध - क में दी गई है।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी

मंत्रालय के उत्तर में पीएसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन का उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्रालय, पीएसी को निम्नलिखित उपलब्ध करा सकती है:

(एक) मंत्रालय यह कैसे सुनिश्चित करता है कि समग्र शिक्षा के तहत बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके और शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके?

(दो) अननुपालन करने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में की-गई-कार्रवाई का विवरण।

(तीन) एसएसए दिशानिर्देशों/नियमों के अनुसार कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक तत्स्थानिक निरीक्षण / सत्यापन के अलावा ऑनलाइन निरीक्षणों का विवरण।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का अद्यतन उत्तर

(एक) बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं के बारे में: शौचालय, पेयजल, कक्षाओं जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता की समय-समय पर आवधिक और परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी और बी) को अंतिम रूप देते समय विस्तार से समीक्षा की जाती है, और यूडीआईएसई+ डेटाबेस के आधार पर अंतर को चिह्नित किया जाता है, और पिछले वर्ष के दौरान की गई प्रगति और निधियों की उपलब्धता का आकलन करने के बाद अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करा कर इसे पूरा किया जाता है।

15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आहवान के प्रतिउत्तर में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था के लिए स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) की शुरुआत की है। इस पहल के तहत, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कॉरपोरेट्स के सहयोग से एक वर्ष की अवधि में 15 अगस्त, 2015 तक 2,61,400 सरकारी स्कूलों में 1,90,887 बालिका शौचालय सहित 4,17,796 शौचालयों का निर्माण किया गया/ कार्यात्मक बनाया गया। इसके अलावा, स्कूल सभी छात्रों के लिए हाथ धोने के स्टेशनों और सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा और साबुन, अल्कोहल रब/हैंड सैनिटाइज़र या क्लोरीन घोल, कीटाणुशोधन और सफाई सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

डिजिटल इंडिया पहल की भावना को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम में वास्तविक समय में इस पहल की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और सहायता करने के लिए एक वेब पोर्टल के विकास की संकल्पना की गई और इसे विकसित किया गया। अन्य विशेषताओं के अलावा, वेब पोर्टल ने कॉरपोरेट्स और भागीदारों को आसानी से नेविगेट करने और उन विशिष्ट स्थानों और स्कूलों की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जहां वे शौचालयों के निर्माण और मरम्मत में सहायता करना चाहते थे। इसने उन्हें वित्तीय और वस्तु-रूप में प्रतिबद्धताओं की प्रतिज्ञा करने की अनुमति दी। डिजिटल समाधान ने पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय में पहल की निगरानी करने का साधन प्रदान किया। इसने प्रगति की सूचना को पारदर्शी बनाया और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया। वर्ष 2018-19 में नई शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना ने स्कूलों में स्वच्छता और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक समग्र स्कूल अनुदान का कम से कम 10% निर्धारित करने का प्रावधान किया, और व्यय की आवधिक समीक्षा भी की जाती है।

<u>शिक्षकों की कमी के बारे में:-</u> शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश शिक्षक संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शिक्षको की भर्ती और उनकी तर्कसंगत नियुक्ति संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के दायरे में आते हैं। तथापि, इस विभाग ने इसे दो तरीके से हल करने के लिए कदम उठाए हैं:-

क) शिक्षकों की तैनाती का युक्तिकरण

ख) रिक्त पदों को तत्काल भरना।

निम्नलिखित निदेश जारी किए गए हैं तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एडब्ल्यूपी एंड बी के लिए होने वाली पीएबी बैठक और समय-समय पर होने वाली समीक्षा बैठकों के दौरान आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

राज्यों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक की तैनाती को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा जाता है, ताकि कोई एकल शिक्षक विद्यालय न हो और सभी स्कूलों में आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत नियम के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयगत पीटीआर बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आरटीई मानदंडों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में हेडमास्टर की भर्ती करने के लिए भी कहा जाता है। स्कूल प्रबंधन में एक हेडमास्टर की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, सभी हेडमास्टरों में से 50% की सीधी भर्ती (सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम सहित) पर विचार किया जा सकता है। इन रिक्त पदों को प्राथमिकता पर भरने की आवश्यकता है क्योंकि यह सीधे कार्यनिष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) को प्रभावित कर रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रभावी कदम उठाएं, केन्द्रीय सहायता केवल भरे हुए पदो के लिए दी जाती है और राज्यों को शेष राशि प्राप्त करने के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए कहा जाता है।

(दो) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी निदेशों के अनुपालन और उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिए कदम उठाया है, और वर्ष 2020-21 के लिए आयोजित पीएबी की बैठक और बाद की समीक्षा बैठकों में भी समीक्षा की गयी थी।

जैसा कि पहले ही बताया गया है कि कार्यनिष्पादन मानकों को कार्यनिष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है और कार्यकलापों/परिणामों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और उसी के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कार्यनिष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक को अब जिला स्तर तक विस्तारित किया गया है।

इसके अलावा, जहां तक अवसंरचना का संबंध है, राज्यों को मार्च, 2021 तक लंबित अवसंरचना को पूरा करने के लिए कहा गया है।

(तीन) राज्यों को एसई शगुन पोर्टल और प्रबंध पोर्टल के साथ-साथ यूडीआईएसई+ के माध्यम से ऑनलाइन डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और विभाग द्वारा आगे की सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए इसकी समीक्षा की जाती है और कमियों को इंगित करते हुए और इसके अनुपालन के लिए अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए जाते हैं।

हाल ही में एक निगरानी प्रारूप को व्यापक ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है और योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों अर्थात निदेशक/संयुक्त सचिव स्तर पर नियमित निगरानी की जा रही है।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएमएम) के कार्यान्वयन में कई खामियां पाती है, जैसे कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों की अनुपलब्धता, सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी, दूर-दराज क्षेत्रों में मूलभूत/प्राथमिक चिकित्सा की पहुंच न होना इत्यादि। समिति यह भी नोट करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सुदूर क्षेत्रों में बुनियादी चिकित्सा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों को लुभाने के लिए प्रोत्साहन देना है, सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल वैन उपलब्ध कराना इत्यादि जैसी नवीन संकल्पनाएं तैयार कर रहा है। मंत्रालय द्वारा की जा रही पहलों की सराहना करते हुए, समिति इस बात पर बल देती है कि एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए आबंटित निधियों को एनएचएम के कार्यान्वयन में और अधिक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित और उपयोग किया जाए। इसके अलावा, समिति सिफारिश करती है कि उपचारात्मक उपायों के अतिरिक्त,

मंत्रालय को निवारक/ एहतियाती उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए और जनजातीय जनसंख्या को स्वस्थ्य जीवनयापन आदतों, स्वच्छता के लाभ बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा उपचारों के प्रशिक्षण इत्यादि हेतु शिक्षित करने के आईसी कार्याकलाप शुरू करनी चाहिए।

[पैरा सं. 10]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्कीम इस तरह तैयार की जाती है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतर्निहित लचीलापन देती है, जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं और संदर्भ के आधार पर अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) का प्रस्ताव कर सकते हैं। इस तरह, एनएचएम के अंतर्गत राज्यों के लिए अत्यधिक लचीलापन है। मंत्रालय तकनीकी सहायता तथा दिशानिर्देश दे सकता है, किंतु इन्हें उन राज्यों पर थोप नहीं सकता। इसलिए, एनएचएम के कार्यान्वयन में अधिक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए, लाभार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों को वित्तीय अनुमोदन दिए जाते हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय निवारक/एहतियाती उपायों पर भी ध्यान संकेंद्रित करता है और स्वस्थ जीवन-शैली, स्वच्छता, पोषण के लाभों पर जनजातीय आबादी को शिक्षित करने, बुनियादी प्राथमिक उपचार आदि के लिए प्रशिक्षण हेतु आईईसी कार्यकलाप करता है। स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र समुदायों के निकट व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित आयुष्मान भारत का दूसरा स्तंभ है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के विस्तारित पैकेज के प्रावधान के अतिरिक्त, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में स्वस्थ जीवन शैली के परामर्श पर संकेंद्रण सहित स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम शामिल है। इच्छुक जिलों, जिनमें कई जनजातीय बहुल जिले शामिल है, के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को प्रचालनात्मक बनाने को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने, आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य और आरोग्य दूत (एम्बेसडर्स) पहल भी प्रांरभ की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), भारत सरकार के बीच समन्वय के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू में सभी कार्यात्मक ईएमआरएस, आश्रम स्कूलों तथा राज्यों में एमओटीए द्वारा समर्थित अन्य स्कूलों में स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य और आरोग्य दूत के रूप में नामित अध्यायकों के माध्यम से साप्ताहिक आयरन और फेलिक एसिड संपूरण, अर्ध-वार्षिक कृमिनाशन, बुनियादी प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम उपलब्ध कराने जैसे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी पहलुओं का विस्तार करने सहित विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

कोई और टिप्पणी नहीं।

टिप्पणी/सिफारिश

मिड-डे-मील (एमडीएम) स्कीम के कार्यान्वयन में समिति ने पाया कि न तो कोई वार्षिक कार्य योजना और बजट ही तैयार किया गया था और न ही अ. जा. के विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष योजना अथवा परियोजना ही थी। समिति ने किचन शेडों की अनुपलब्धता, रसोई घरों में अपर्याप्त अवसंरचना, अपर्याप्त रसोई उपकरण और अपर्याप्त पेयजल, बच्चों का भोजन खुले में और अस्वाथ्यकर स्थितियों में तैयार किया जाना और परोसा जाना; शिकायत निवारण तंत्र का न होना इत्यादि को भी नोट किया। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बताया था कि स्कूल में सभी श्रेणी के बच्चे होते हैं अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और स्कूल के दिनों में सभी छात्रों को उनकी जाति को देखे बिना मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, विभाग ने बताया था कि सभी राज्यों में सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र थे और शिकायत, यदि कोई हो, का तत्परता से निपटान किया जाता है। समिति ने महसूस किया कि विभाग ने सभी स्कूलों में मध्याहन भोजन के लिए प्रयोग की जा रही अवसंरचना, भोजन की गुणवत्ता, दिशा-निर्देशों के अनुसार रसोई घर के निर्माण इत्यादि के संबंध में पूरे देश में मध्यान भोजन के कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सभी संबंधित राज्यों/जिलों में उपयुक्त निरीक्षण नहीं किया था। इसलिए, समिति ने सिफारिश की थी कि विभाग को अपेक्षित उपचारात्मक कार्यवाही, जहां भी आवश्यक हो, के लिए मध्याहन भोजन स्कीम के अंतर्गत सभी स्कूलों का संपूर्ण निरीक्षण करने हेतु या तो एक टीम का गठन करना चाहिए अथवा एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त करना चाहिए। समिति यह चाहती थी कि उन्हें इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के छह महीने के भीतर विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

[पैरा सं. 11]

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई

वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी और बी)

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने एडब्ल्यूपी और बी को पीएबीएमडीएम द्वारा विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है, जिसकी अध्यक्षता सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार करते हैं, और इसमें लाइन मंत्रालयों यथा महिला और बाल विकास मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय आदि के सदस्य होते हैं। एडब्ल्यूपीएंडबी को सबसे छोटी क्षेत्र इकाई से शुरू करके और क्लस्टर, ब्लॉक, जिला और राज्य में 'बॉटम अप एप्रोच' के माध्यम से तैयार किया जाता है। एडब्ल्यूपीएंडबी एक व्यापक दस्तावेज है और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और समग्र शिक्षा के तहत समर्थित मदरसों और मकतबों में प्राथमिक कक्षा एक-आठ में बच्चों के नामांकन का डेटा उपलब्ध कराता है।

एडब्ल्यूपी एंड बी में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए बजट प्रावधान की जानकारी अंतर्विष्ट होती है। एडब्ल्यूपी एंड बी को जमीनी स्तर से प्राप्त सूचनाओं को संकलित करके और जिला योजना और राज्य योजना में समेकन करके 'बॉटम अप एप्रोच' द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामान्य श्रेणी, एससीएसपी और टीएसपी के लिए कोई अलग योजना प्रस्तुत नहीं की जाती है। तथापि, जनजातीय क्षेत्रों में पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इन क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पूरक पोषण प्रदान करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा, एमडीएम के योजना बजट का 10.70% एमएचआरडी की अनुदानों की मांगों में टीएसपी के लिए आवंटित किया जाता है। तथापि, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सामान्य श्रेणी और एससीएसपी के लिए अन्य लेखा शीर्षों के प्रावधानों में वृद्धि करने के लिए टीएसपी आवंटन का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाता है। अप्रयुक्त टीएसपी फंड का उपयोग सामान्य श्रेणियों और एससीएसपी के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए, टीएसपी के तहत पात्र बच्चों को कवर करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए टीएसपी आवंटन का उपयोग किया जाता है।

रसोई-सह-भंडार के निर्माण के लिए वर्ष 2006-07 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रसोई-सह-भंडार अनावर्ती केंद्रीय सहायता जारी करना शुरू किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 से 2013-14 के दौरान 1006263 रसोई-सह-भंडार (**अनुबंध-एक**) के निर्माण के लिए 802555.79 लाख रुपये की अनावर्ती केंद्रीय सहायता जारी की। 31 मार्च, 2014 तक निर्मित रसोई-सह-भंडारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-दो** में संलग्न है, जो दर्शाता है कि स्वीकृत रसोई-सह-भंडार का 67 प्रतिशत निर्माण किया गया था; 13% रसोई-सह-भंडार में निर्माण कार्य प्रगति पर था और शेष 21% विद्यालयों में निर्माण अभी शुरू होना बाकी था।

कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड-मध्याह्न भोजन (पीएबी-एमडीएम) की बैठकों के दौरान रसोई-सह-भंडार के निर्माण की गति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती थी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इन बैठकों में बताया कि निर्माण की लागत में वृद्धि के कारण, वे रसोई-सह-भंडार का निर्माण करने में असमर्थ थे, जिन्हें वर्ष 2006-07 से 2008-09 के बीच यूनिट लागत मानदंड @ रु. 60,000/ - प्रत्येक पर स्वीकृत किया गया था। इन राज्यों की इच्छा थी कि उन्हें राज्य की दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार, प्लिंथ क्षेत्र के मानदंडों पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाए या इन रसोई-सह-भंडारों को पुन: स्वीकृत किया जाए। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर पीएबी-एमडीएम द्वारा विचार किया गया और सहमति व्यक्त की गई। वर्ष 2006-07 से 2018-19 तक स्वीकृत रसोई-सह-भंडारों की कुल संख्या 10,11,411 है। वर्ष 2013-14 और 2018-19 तक रसोई-सह-भंडार की मंजूरी की संख्या में मामूली बदलाव इस तथ्य के कारण है कि कुछ राज्यों ने रसोई-सह-भंडार इकाई लागत मानदंडों पर पूर्व में स्वीकृत रसोई-सह-भंडार की संख्या की तुलना में प्लिंथ क्षेत्र के मानदंडों पर रसोई-सह-भंडार के निर्माम का प्रस्ताव या तो वापस कर दिया था या कम संख्या में रसोई-सह-भंडार के लिए अनुरोध किया था। राज्यों द्वारा 31 मार्च, 2019 तक दी गई जानकारी के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 8,45,424 (84%) रसोई-सह-भंडार का निर्माण किया है, जबकि 50,449 (लगभग 5%) में निर्माण प्रगति पर है और शेष

11% रसोई-सह-भंडार **(अनुबंध-तीन)** के लिए अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। सीसीईए द्वारा फरवरी, 2019 में 10 वर्ष पुराने रसोई-सह-भंडार की मरम्मत को भी मंजूरी दे दी गई है। इसने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 10 या अधिक वर्ष पूर्व बनाए गए रसोई-सह-भंडार की मरम्मत करने में सक्षम बनाया है।

रसोई के उपकरण

मध्याह्न भोजन योजना के तहत पका हुआ भोजन तैयार करने और परोसने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रत्येक स्कूल के लिए 5,000 रुपये की दर से रसोई उपकरणों की खरीद के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गैर-आवर्ती केंद्रीय सहायता जारी करना शुरू किया। पांच वर्ष पूर्व स्वीकृत रसोई उपकरणों को बदलने का कार्य भी वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किया गया था। एमएचआरडी ने मार्च, 2013-14 तक रसोई उपकरणों की 1240431 इकाइयों की खरीद और 521841 रसोई उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए 88084.04 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की थी **(अनुबंध - चार)**। सितंबर, 2019 तक के नवीनतम विवरण के अनुसार, एमएचआरडी ने 2321094 रसोई उपकरणों (1314427 की खरीद और 1006667 के प्रतिस्थापन) **(अनुबंध - पांच)** के लिए 115664.21 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। फरवरी, 2019 में सीसीईए की मंजूरी से रसोई उपकरणों की खरीद और प्रतिस्थापन के मानदंडों को संशोधित किया गया है। पूर्ववर्ती 5000/- रुपये प्रति स्कूल की इकाई लागत के मानदंड के स्थान पर अब रसोई उपकरणों के लिए अनुदान को नामांकन के साथ जोड़ा गया है।

पेयजल

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2013-14 तक 94 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी। यह वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर 97% हो गया है। पेयजल की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धता पर संगत विवरण अनुबंध-छह और सात में दिया गया है।

निरीक्षण

एमडीएम दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण के लिए कम से कम 25% स्कूलों का दौरा किया जाना चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान निरीक्षण किए गए संस्थानों की संख्या के बारे में राज्य-वार जानकारी अनुबंध- साथ में संलग्न है। जानकारी से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, असम हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम राज्यों और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में निरीक्षण वांछित स्तर तक नहीं हैं। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित आधार पर संस्थानों का निरीक्षण करने की सलाह दी गई है।

शिकायत निवारण तंत्र

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शिकायत निवारण तंत्र की स्थिति **अनुबंध-नौ** में संलग्न है।

निगरानी तंत्र

"मध्याह्न भोजन योजना की वेब आधारित निगरानी के लिए जून, **2012** में प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की गई थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए स्वचालित निगरानी प्रणाली भी शुरू की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर प्रबंधन संरचनाएं स्थापित करने की सलाह दी गई है। मध्याह्न भोजन योजना की मौजूदा निगरानी प्रणाली **अनुबंध-दस** में संलग्न है। फिलहाल इस योजना का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है।"

लेखापरीक्षा पुनरीक्षण टिप्पणी

"मंत्रालय ने एमडीएम योजना के तहत अपने दल का गठन कर या स्वतंत्र एजेंसी को रखकर सभी स्कूलों का सरसरी तौर पर निरीक्षण किए जाने के संबंध में पीएसी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया है। इसे पीएसी को उपलब्ध करवाएं।"

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का अद्यतन उत्तर

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) भारत के 11.34 लाख स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 11.59 करोड़ नामांकित बच्चों को कवर करती है। एमडीएम दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी स्कूलों के निरीक्षण के लिए वर्ष में कम -से -कम एक बार दौरा अवश्य किया जाना चाहिए।

पीएसी की सिफारिशों के अनुपालन में, इस विभाग ने प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसियों/संस्थानों जैसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), केन्द्र/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के गृह विज्ञान विभाग, प्रतिष्ठित गृह विज्ञान कॉलेजों की सेवाएँ स्पष्ट परिभाषित विचारार्थ विषयों (टीओआर) के संबंध में लेते हुए निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वतंत्र तृतीय पक्ष विधिवत निरीक्षण के लिए समय सीमा निर्धारित करने और मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पीएसी सिफारिशों के आशय को ध्यान में रखते हुए विचारार्थ विषयों को इस ढंग से तैयार किया जाएगा कि प्रतिवर्ष देश के प्रत्येक जिले को कवर किया जा सके। इनमें बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पैरामीटरों की ट्रैकिंग भी शामिल होगी ताकि योजना के प्रभाव का आकलन करने तथा आहार व्यवस्था में सुधार हेतु समय पर कार्य सुविधा देने के लिए समय-सीमा दी जा सके और प्रचलित व्यवस्था में यदि सुधार की आवश्यकता हो, तो उसे किये जा सके।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि 05.01.2017 को उप-समिति चार की बैठक के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता

विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों से उनके मंत्रालयों/विभागों से संबंधित कुछ मुद्दों पर लिखित उत्तर और टिप्पणियाँ देने का अनुरोध किया गया था। हालांकि जनजातीय कार्य मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग और आयुष मंत्रालय ने अपेक्षित लिखित सूचना दे दी है, पर स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मंत्रालय ने बारंबार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उनसे संबंधित कुछ महतवपूर्ण प्रश्नों के लिखित उत्तर नहीं दिए हैं। ऐसे उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए समिति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भविष्य में अधिक सचेत और सावधान रहने और बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सिबल पूल, राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एफपीएसपीआईपी) के लिए फ्लेक्सिबल पूल के कार्यान्वयन में कमियां, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फ्लेक्सिबल पूल (आरसीएचएफपी) इत्यादि के अंतर्गत तथा टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में त्रुटियों/कमियों, मातृत्व स्वास्थ्य तथा बाल सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराने में कमी जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए त्वरित उपाय करने की हिदायत देती है। समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के छह माह के भीतर इन मुद्दों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

[पैरा संख्या 13]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2011-13 में 167/लाख जीवित जन्मों से 37 अंक घटकर 2014-16 में 130/लाख जीवित जन्म पर आ गया है और मातृ मृत्यु अनुपात के लिए एमडीजी -5 लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2008 में प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों पर 69 से घटकर 2016 में प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों पर 39 हो गई है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कई शिशु स्वास्थ्य सेवाएं जैसे – 792 विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाइयाँ (एसएनसीयू) 2330 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयाँ (एनवीएसयू) और 1150 पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) की स्थापना संपूर्ण देश में की गई है। 2017-18 में एसएनसीयू मे 9.5 लाख से ज्यादा नवजात शिशुओं का उपचार किया गया तथा 5 वर्ष से कम आयु वाले 1.8 लाख से अधिक बच्चों का एनआरसी में उपचार किया गया।

- जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति कराने को प्रोत्साहित किया गया है। वर्ष 2017-18 में 1.07 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं के जेएसवाई का लाभ प्राप्त हुआ।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसूति कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत प्रसूति और शल्य क्रियात्मक प्रसूति सहित अन्य दवाइयाँ निशुल्क दिये जाते है इस पहल में जाँच, रक्त और खुराक के अलावा घर से संस्थान तक का नि:शुल्क परिवहन तथा रेफरल के लिए ले जाने और वापस घर तक पँहुचाने की सुविधाओं का प्रवधान है। गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के पूर्व और प्रसवोत्तर जटिलताओं

तथा सभी बीमार शिशु के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में इसी तरह की सुविधाएँ प्राप्त होगी| लगभग 1.3 करोड़ गर्भवती महिलाएँ जेएसएसके का लाभ प्राप्त कर रही है|

· विस्तृत प्रजननीय, मातृत्व, नवजात शिशु स्वास्थ्य और किशोरावस्था सेवाओं की व्यवस्था हेतु 'प्रसूति स्थलों' को सुदृढ़ करने के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं। 20,000 से अधिक सुविधा केंद्रों को प्रसूति स्थलों के रूप में सुदृढ़ किया गया है।

· विस्तृत आपातकालीन प्रसूति परिचर्या सेवाएं और रक्तदान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम रेफरल इकाइयों के रुप में 2200 सुविधा केंद्रों को कार्यशील बनाया गया है। इसके अलावा माताओं के जीवन को जोखिम में डालने वाली जटिलता के समाधान हेतु महत्वपूर्ण परिचर्या प्रदान करने के लिए 50 प्रसूति एचडीयू / आईसीयू की स्थापना की गई है ।

· गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए अत्याधुनिक और उत्कृष्ट गुणवक्तापूर्ण परिचर्या प्रदान करने के लिए उच्च बिस्तर क्षमता के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में 30/50/100 बिस्तरों वाला मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य विंग प्रदान किया गया है। 590 स्वास्थ्य केंद्रों में 32000 से अधिक बिस्तरों का प्रबंध किया गया है।

· विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो में इन विषयो में विशेषज्ञो की कमी को पूरा करने के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों को एनेस्थीसिया तथा प्रसूति परिचर्या (सी –सेक्शन सहित) में कुशल प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

· लक्ष्य: आने वाले वर्षों में मृत्यु दर में और तेजी से गिरावट लाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 'लक्ष्य - लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव' शुरू किया है। लक्ष्य कार्यक्रम प्रसव कक्षों और मेटरनिटी ऑपरेशन थिएटरों से संबंधित प्रमुख प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रित और लक्षित दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य जन्म के समय परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करना और सम्मानजनक मातृत्व परिचर्या सुनिशिचत करना है।

· माननीय प्रधानमंत्री के विजन को आगे ले जाते हुए, देश में गर्भवती महिलाओं के लिए हर महीने की 9 तारीख को गुणवत्तापूर्ण प्रसूति - पूर्व परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान की शुरूआत की गई।

· इस कार्यक्रम के तहत व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.42 करोड़ से अधिक प्रसूति - पूर्व जांच की गई है।

· आरएमएनसीएच+ए दृष्टिकोण के तहत नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (एनआईपीआई) के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को जीवन के विभिन्न चरणों के लिए स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रो पर और विस्तारित क्रियाकलापों के दौरान आयरन और फोलिक एसिड पूरक प्रदान किया जा रहा है।

· हाल ही में गर्भावस्था में डायविटीज मेलिटस, गर्भावस्था के दौरान हाइपोथायरायडिज्म, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कैल्शियम अनुपूरण, गर्भावस्था के दौरान डीवार्मिंग, गर्भावस्था के दौरान एचआईवी/सिफलिस की व्यापक जांच के निदान और प्रबंधन के लिए,स्क्रीनिंग के लिए राज्यों को प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार और प्रसारित किए गए हैं।

· स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक गर्भपात परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सको की क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू किया गया है।

· प्रसूति केंद्रों पर कार्यरत स्टॉफ के कौशल को सुदृढ़ करने के लिए 5 राष्ट्र स्तरीय और 54 राज्य स्तरीय कौशल प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।

· गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या प्रदान करने के लिए परिचर्या प्रदाताओं के कौशल निर्माण हेतु एक मत्वपूर्ण पहल, 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैप्सूल 'दक्षता' का क्रियान्यन किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्मिकों जैसे चिकित्सक, स्टॉफ नर्स एव सहायक मिडवाइफ (एएनएम) की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आरटीआई/ एसटीआई प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

· गर्भवती महिलाओं को एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित की जाती है।

· एक मातृ और शिशु खोज प्रणाली (एमसीटीएस)/आरसीएच पोर्टल और मातृ और शिशु निगरानी सुविधा केंद्र (एमसीटीएफसी) शुरू किया गया है। प्रत्येक गर्भवती महिला एव शिशु की निगरानी करने के लिए भारत सरकार ने नाम , दूरभाष, पता आधारित वेब सक्षम प्रणाली शुरू किया है ताकि एएनसी, जेएसवाई के लाभ प्रतिरक्षण आदि सहित उनके लिए समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित की जा सके और उनकी निगरानी भी की जा सके।

· देश में जनजातीय आबादी पर विशेष ध्यान देना ।

· स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जनजातीय जिलों सहित दुर्गम स्थानों पर प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

· सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं अथवा मान्यता-प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में जन्म देने वाली अनुसूचित जाति परिवार से संबंधित महिला को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) की नकद सहायता दी जाती है।

· ग्राम स्वराज अभियान: मिशन इंद्रधनुष ग्राम स्वराज अभियान के तहत सात प्रमुख योजनाओं में से एक है जिसे 23 अप्रैल 2018 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एससी / एसटी आबादी के आधार पर पहचाने गए 16850 गांवों में लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी बिना टीका वाले और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के माध्यम से चिन्हित गांवों में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है। जीएसए के तहत तीन चरणों के दौरान, 16 जुलाई 2018 तक लगभग 5.01 लाख बच्चों और 1.14 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जा चुका है और लगभग सभी गांवों को कवर किया जा चुका है।
साझेदार एजेंसियां (डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, आईटीएसयू और यूएनडीपी) भी इस अभियान के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं। अभियान के नियोजन और कार्यन्वयन में जिले को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए जीएसए के तहत जिलों के लिए नोडल व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है।

· स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जनजातीय जिलों सहित दुर्गम स्थानों पर प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

· सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं अथवा मान्यता-प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में जन्म देने वाली अनुसूचित जाति परिवार से संबंधित महिला को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) की नकद सहायता दी जाती है।

· ग्राम स्वराज अभियान: मिशन इंद्रधनुष ग्राम स्वराज अभियान के तहत सात प्रमुख योजनाओं में से एक है जिसे 23 अप्रैल 2018 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एससी / एसटी आबादी के आधार पर पहचाने गए 16850 गांवों में लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी बिना टीका वाले और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के माध्यम से चिन्हित गांवों में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है। जीएसए के तहत तीन चरणों के दौरान, 16 जुलाई 2018 तक लगभग 5.01 लाख बच्चों और 1.14 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जा चुका है और लगभग सभी गांवों को कवर किया जा चुका है।
साझेदार एजेंसियां (डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, आईटीएसयू और यूएनडीपी) भी इस अभियान के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं। अभियान के नियोजन और कार्यन्वयन में जिले को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए जीएसए के तहत जिलों के लिए नोडल व्यक्तियों की नियुक्त की गई है।

· वर्ष 2022 तक परिवर्तन के लिए देश के 28 राज्यों में 117 आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है। 117 आकांक्षी जिलों में से 47 जिले जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित प्राथमिकता

वाले जिले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन आकांक्षी जिलों में 13 मुख्य संकेतकों के आधार पर जैसे - चार या अधिक प्रसव पूर्व देखभाल (एएनसी) जांच प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाएं, आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत पूरक पोषण प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाएं, गंभीर एनीमिया वाली गर्भवती महिलाएं, संस्थागत प्रसव, गृह प्रसूतियाँ जो एसबीए द्वारा की गयी है, जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात शिशु को स्तनपान कराना, सामान्य से कम वजन वाले बच्चे, अविकसित बच्चे, एसएएम बच्चे, 6 – 23 माह के बच्चे जिन्हें पर्याप्त अहार प्राप्त है, पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे, क्षयरोग (टी.बी.) केस अधिसूचना दर और स्वास्थ्य बुनियादि ढांचा जैसे संकेतकों की निगरानी करके मौजूदा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर विशेष ध्यान दिया है।

· स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आकांक्षी जिलों के चिन्हित 49,178 गांवों में विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के कार्यान्वयन के लिए भी प्रतिबद्ध है। आकांक्षी जिलों में आंशिक रूप से या पूरी तरह से नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मिशन इंद्रधनुष (एमआई) को अब नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 117 आकांक्षी जिलों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य 15 अगस्त 2018 तक चिन्हित 48,929 गांवों में 100% लक्ष्य पूरा करना था। हालांकि, एमआई-ईजीएसए के अंतर्गत इसका लक्ष्य समूचे जिलों को कवर करना था।

साझेदार एजेंसियों को मिशन इंद्रधनुष के इस दौर में अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल व्यक्ति की पहचान की गई है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियाँ

आगे कोई टिप्पणी नहीं।

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों के देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है

-शून्य-

अध्याय -चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है

टिप्पणी/सिफारिश

टीएसपी के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के विकास की कार्यनीति में टीएसपी निधि के उचित उपयोग और निगरानी हेतु प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के पमान फंड को पृथक शीर्ष खाते में रखना शामिल है। हालांकि, समिति ने पाया कि राज्य/जिला ब्लॉक स्तर पर एक पृथक शीर्ष के तहत टीएसपी निधियों का कोई वर्गीकरण नहीं हुआ है। माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को टीएसपी के तहत प्राप्त निधियों और व्यय के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 से जहां तक संभव हो, पृथक खाता/ रिकॉर्ड। शीर्ष के रखरखाव के अनुपालन, और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 सख्त अनुपालन और विभाग को प्रस्तुत अंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र में परिलक्षित करने के लिए लिखा है। समिति ने यह कहते हुए कि इस तरह के निर्देश राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को बहुत पहले जारी किए कर दिये जाने चाहिए थे. ये सिफारिश करती है कि अब विभाग को इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और निधियों के उपयोग की जांच तथा प्रगति के संबंध में अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी और समयबद्ध रूप से प्राप्त किया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि निधियों को जारी किए जाने के लिए प्रत्येक स्तर पर निधियों को पृथक शीर्ष में निर्धारित करने के अनुपालन को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

[पैरा 1]

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई उत्तर

लोक लेखा समिति के 85वें प्रतिवेदन और हाल ही में दिनांक 28 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि एमएचआरडी से संबंधित बिन्दु 1 और 8 से संबंधित उत्तरों को दिनांक 13 मार्च 2018 के पत्र संख्या 1-2/2015-ईई 15 (पार्ट) के माध्यम से सम्प्रेषित किया गया था।

इस संबंध में विभाग ने दिनांक 21 फरवरी, 2017, 17 अक्टूबर 2017 और 28 मार्च 2018 के पत्र के माध्यम से विभिन्न पत्र भेजे, जिसके तहत विभाग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को टीएसपी के अंतर्गत निधियो/ किए गए व्यय के संबंध में पृथक लेखाओं/रिकॉर्ड और शीर्ष के रख-रखाव के सख्त अनुपालन के लिए लिखा है।

पूर्ववर्ती योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा टीई को एक एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा में एकीकरण किए जाने के साथ, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को दिनांक 12 अप्रैल, 2019 के पत्र संख्या 2-16/2017- ईई.3/आईएस के माध्यम से

यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय शिक्षा योजना, के तहत उपयुक्त बैंक खाते और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में पृथक बैंक खाते का रखरखाव का अनुपालन करने और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए लेखाओं से निधियों का संवितरण सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। यह उल्लिखित किया जाता है कि राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को निधि उपयोगिता के अंतर्गत एसटी घटक और एससी घटक के रूप में अलग से दर्शाने के लिए अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं और विभिन्न स्तरों पर प्रासंगिक डाटा तक तुरंत पहुंच हेतु एक तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए।यह भी बताया जाता है कि विभाग ने राज्यों को राज्य बजट में एसटी घटक के लिए अलग से बजट शीर्ष उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि एसटी घटक (कुल बीई का 10.70%) के लिए केंद्रीय बजट और समग्र शिक्षा योजना में अनिवार्य प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणी

एक) मंत्रालय ने लोक लेखा समिति द्वारा यथा सिफारिश की गई निधि उपयोग और प्रगति की निगरानी और जांच हेतु किसी भी प्रकार का कार्रवाई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, निधियों को जारी करने के लिए प्रत्येक स्तर पर निधियों के पृथक शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकरण करने के सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामों को भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसे लोक लेखा समिति को उपलब्ध कराया जाए।

दो) कितने राज्यों ने मंत्रालय द्वारा दिनांक 12/04/2019 को जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन किया है?"

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का अद्यतन उत्तर

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों द्वारा अभिशासित होता है और गतिविधियों और हस्तक्षेपों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है और हस्तक्षेपों के आधार पर एसटी के लाभ हेतु निधियों का बजटीकरण किया जाता है और उसी के अनुरूप व्यय जाता है। योजना के तहत लाभार्थी उन्मुख वित्त पोषित गतिविधियों में से कुछ का विवरण इस प्रकार है:-

एक. एसटी छात्रों सहित सभी बच्चों के लिए कक्षा आठवी तक निशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का प्रावधान।

दो. आठवीं कक्षा तक वर्दी-बीपीएल परिवारों सहित अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को वर्दी के दो सेट।

तीन. सामाजिक समानता हेतु विशेष परियोजनाएः इस हस्तक्षेप के तहत एससी,एसटी,ओबीसी,अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ प्रदान किए जाते है।

चार. प्रारंभिक स्तर(छह-आठ) से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर(छह-बारह) तक बालिकाओं के लिए केजीबीवी। बालिकाओं के प्रारंभिक से माध्यमिक और कक्षा बारह तक जहां तक संभव हो,सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए यह योजना छठी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करने की इच्छुक एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों के 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के वंचित समूहों की बालिकाओं को और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच का प्रावधान करती है।

इसके अलावा, स्कूलों के उन्नयन सुद्धीकरण, आईसीटी सुविधाओं, व्यावसायिक शिक्षा आदि जैसे हस्तक्षेपों को अनुमोदित किए जाने के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यको और आकांक्षी जिलों साथ ही साथ शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों पर अधिक एकाग्रता के साथ विशेष फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है।

दिशानिर्देशों के अनुसार कुल बीई में से एससी के लिए 20% और एसटी के लिए 10.70% का बजटीय आवंटन किया जाता है। निधियों को पृथक उप-शीर्षो के तहत तदनुसार जारी किया जाता है और राज्यों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और विभिन्न उप प्रमुखों के तहत लेखांकन किया जाता है।

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने और समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन परियोजना निगरानी प्रणाली 'प्रबंध' की शुरुआत की गई है। यह https://seshagun.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर से संसाधित किया जा सकता है। प्रबंध प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं:

* जिला / राज्य स्तर से वार्षिक कार्य योजना और बजट ऑनलाइन प्रस्तुत करना।

* राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को जारी भारत सरकार की निधियों पर निगरानी रखना।

* वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जैसे कि भौतिक और वित्तीय प्रगति, स्पिल-ओवर, और प्रतिबद्ध देयताएं, अव्यवित शेष राशि आदि को तैयार करना।

इसके अलावा, प्रमुख हस्तक्षेपों के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मासिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत एक डाटा प्रदर्शन डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है। संबंधित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा जिला-वार मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करने को सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेपों की भौतिक और वित्तीय प्रगति को दर्शाने के लिए जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं के लिए एक एक्सपेंडिचर मॉड्यूल की शुरुआत की गई है और इस प्रगति को राष्ट्रीय रिपोर्टों में देखा जा सकता है।

लद्दाख और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र कंप्यूटरीकृत रूप में खातों को रख-रखाव करते हैं।

सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत समग्र शिक्षा भी शामिल है। योजना के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से निधियां जारी की जाती हैं।"

लेखापरीक्षा की आगे पुनरीक्षण टिप्पणियां

(एक) मंत्रालय ने पीएसी द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार निधि के उपयोग और प्रगति की निगरानी करने एव देखरेख के लिए इसके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम को प्रत्येक स्तर पर अलग अलग प्रमुखों को निधि चिन्हित करने हेतु सख्त अनुपालनार्थ निधियों को जारी करने के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, जो उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसे पीएसी को उपलब्ध कराया जाए।

(दो) मंत्रालय द्वारा दिनाक 12.04.2019 को जारी किए गए अनुदेशों का कितने राज्यों ने अनुपालन किया है?

(तीन) मंत्रालय द्वारा उपरोक्त (चार) पर उल्लिखित उत्तर से ज्ञात होता है कि निर्धारित निधि के परिणामों के आकलन में कठिनाई होती है, मंत्रालय की इस कमी को दूर करने हेतु क्या योजना है?

मध्याह्न भोजन (एमडीएम) प्रभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियां / स्पष्टीकरण

एक) एमडीएम विभाग की अनुदान मांगों में जनजातीय उप योजना के लिए बजट अनुमानों के 10.7% के निर्धारण हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है।

दो) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक वर्ग के बच्चों की आदिवासी आबादी के आधार पर टीएसपी के लिए यू-डाइस के आंकड़ों के अनुसार राशि जारी की जाती है।

तीन) प्रत्येक श्रेणी अर्थात सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी के लिए अलग संस्वीकृति जारी की जाती है ताकि प्रत्येक श्रेणी के लिए वित्तीय सहायता में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

चार) योजना में अन्य लेखा शीर्षों के लिए टीएसपी निधियों के पुनर्वितरण के संबंध में वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले बजट परिपत्र में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

पांच) जनजातीय कार्य मंत्रालय टीएसपी निधियों के एक गैर-व्यपगत पूल बनाने के लिए नोडल मंत्रालय है ताकि टीएसपी निधियों में बचत का टीएसपी के एनएलपी में पुनः निवेश किया जा सके। जब टीएसपी का एनएलपी सृजित किया जाता है, तो टीएसपी से अप्रयुक्त निधि पुनः उस पूल में चली जाती है।

(छः) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्कूलों, ब्लॉकों, जिलों और राज्य के परामर्श से निचले स्तर से उपर के स्तर को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्य योजना और बजट प्रस्तावों को संकलित करते हैं और पिछले वर्ष के दौरान सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी के लिए आवंटित निधियों की तुलना में आवर्ती व्यय और अगले वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी अर्थात सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी के लिए निधियों की अनुमानित आवश्यकता को दर्शाते है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुमोदित एडब्ल्यूपीएंडबी प्रस्तावों को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की वेबसाइट www.mdm.nic.in पर अपलोड किया जाता है।

सात) विभाग ने स्कूल बच्चों में एनीमिया की समस्या और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए स्कूल पोषण गार्डन की स्थापना से संबंधित नए हस्तक्षेप के लिए फ्लैक्सी निधि प्रदान करने हेतु एक पहल शुरू की है। जनजातीय चिन्हित क्षेत्रों से कुपोषण के उच्च स्तर वाले स्कूल बच्चों को पूरक पोषण आहार भी प्रदान किया जाता है।

आठ) मध्याहन भोजन योजना देश की सामासिक संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक आदर्श मंच है। अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द का मूल्य बच्चों को तभी सिखाया जाता है जब वे अपनी जाति, धर्म आदि के बावजूद एक साथ बैठते है और मध्याहन भोजन लेते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियोजित 25 लाख रसोइया-सह- सहायकों में से लगभग 90% महिलाएं समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से है।

नौ) पात्र स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चों, चाहे उनकी जाति, धर्म आदि कुछ भी हो, के लिए राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत एमडीएमएस एक अधिकार आधारित कार्यक्रम है।

दस) टीएसपी के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए संस्वीकृति पत्र में एक शर्त भी शामिल है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।"

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई

एसटी के कल्याण के लिए योजनाओं के तहत आवंटनों को पहले ही एक अलग बजट शीर्ष 796 आंवंटित किया गया है ताकि निधियों के संभावित विपथन को रोका जा सके।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणी

यद्यपि मंत्रालय ने लघु शीर्ष के रूप में जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए एक अलग बजट शीर्ष 796 आवंटित किया है, इसने राज्य स्तर पर निधियों को अलग शीर्ष में निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी नहीं दी । प्रत्येक स्तर पर अलग शीर्ष में निधि के निर्धारण के ब्यौरे की जानकारी लोक लेखा समिति को दी जाए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय का अद्यतन उत्तर

केन्द्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं के तहत आवंटनों को एक अलग बजट शीर्ष 796 आवंटित किया गया है। वर्ष 2014 में पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा जारी राज्य टीएसपी दिशानिर्देशों के तहत भी प्रावधान किया गया है कि टीएसपी के तहत निधियों को कार्यात्मक प्रमुख शीर्ष/उप-प्रमुख शीर्षों के नीचे एक अलग लघु शीर्ष के तहत निर्धारित किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

एनएचएम के तहत टीएसपी निधियों के लिए अलग लेखाओं का राज्य और जिला स्तर पर रख-रखाव व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत 18 भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक के एसटीएसपी, एससीएसपी और सामान्य घटक हैं। इसके अतिरिक्त , एनएचएम के तहत राज्यों की 672 जिला स्वास्थ्य सोसायटियों, 763 जिला अस्पतालों तथा उप-जिला इकाइयों को, जिनमें 5396 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 25308 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 153655 उप-केंद्र, 510416 ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण समितियां (वीएचएनएससी) शामिल हैं, तथा सिविल कार्यों, खरीददारी इत्यादि के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

तथापि, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के माध्यम से किए गए व्यय का विवरण दें। इसके अलावा, उपयोगिता प्रमाणपत्र का मंजूरी और घटक-वार निपटान किया जाता है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियाँ

मंत्रालय ने निधि की उपयोगिता और योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और उस पर नजर रखने तथा प्रत्येक स्तर पर अलग शीर्ष के तहत निधि निर्धारण का सख्ती से अनुपालन के संबंध में लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कोई उत्तर नहीं दिया है। इसे लोक लेखा समिति को उपलब्ध कराया जाए ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अद्यतन उत्तर

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और इनका कार्यान्वयन भी राज्य सरकारों को ही करना होता है, फिर भी मंत्रालय ने आ.शा. पत्र के माध्मय से राज्यों को श्रेणीवार व्यय संसूचित करने का निदेश जारी कर रखा है। कुछ राज्य यथा-गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि ने दिशानिर्देशों के अनुपालना में श्रेणीवार उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है।

इस आशय से राज्यों को दिनांक 19 और 20 सितंबर, 2019 को आयोजित पहली तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठक में भी अवगत कराया गया था। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति ने नोट किया कि वित्त वर्ष के अंत में अप्रयुक्त टीएसपी निधियों को टीएसपी के गैर-व्यपगत पूल में अंतरित करने तथा टीएसपी निधि के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीटीएफ) से आनुपातिक निधियां विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों की कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को आबंटित करने के संबंध में संशोधित टीएसपी दिशा-निर्देशों तथा अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के बावजूद इसके लिए अभी तक कोई तरीका विकसित नहीं किया गया है| जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया है कि निधियों के गैर-व्यपगत पूल के मुद्दे पर नीति आयोग द्वारा

संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा था| मंत्रालय ने इसके साथ ही टीएसपी निधि के गैर-व्यपगत पूल के सृजन की हिमायत की थी| समिति का यह मत था कि निर्धारित वित्त वर्ष के भीतर आबंटित टीएसपी निधि का इष्टतम उपयोग करने हेतु ठोस प्रयास किया जाना चाहिए और टीएसपी निधि हेतु गैर-व्यपगत पूल का शीघ्रातिशीघ्र सृजन किया जाए ताकि ऐसी पूल निधियों का उपयोग किया जा सके जिनका अप्रत्याशित और अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समयावधि में उपयोग नहीं किया जा सका।

[पैरा सं.3]

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

वेब पता https://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की गयी है। इसकी अवसंरचना में योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन की निगरानी, आवंटन की तुलना में व्यय की निगरानी, वास्तविक कार्य-निष्पादन और परिणाम की निगरानी की परिकल्पना की गई है। पहले चरण में, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को https://stcmis.gov.in से जोड़ा गया है। यह ऑनलाइन प्रणाली योजना केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा स्कीम-वार और साथ ही राज्य-वार जारी किए गए डेटा को कैप्चर करता है। वित्त वर्ष के भीतर आवंटित टीएसपी निधि के इष्टतम उपयोग और टीएसपी निधि और गैर-व्यपगत पूल के सृजन के प्रयासों के संबंध में,सरकार में उचित स्तर पर इसका निर्णय लिया जाना है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियाँ

उक्त वित्त वर्ष के भीतर आवंटित टीएसपी निधि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और टीएसपी फंड के लिए गैर-व्यपगत पूल का सृजन करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में लोक लेखा समिति को सूचना दी जाए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय का अद्यतन उत्तर

प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और जनजातीय कार्य मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए राजी करने हेतु सचिव (टीए) की अध्यक्षता में इन नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहा है। नीति आयोग ने पाया है कि भारत में नकद आधारित बजट प्रणाली का पालन किया जाता है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय, लोक लेखा समिति के सुझावों के अनुरूप निधियों के इष्टतम उपयोग के संबंध में एक उपयुक्त निर्णय लेने के लिए नीति आयोग के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति ने नोट किया कि टीएसपी के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देख रेख के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई), कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी रोगों और आघात की रोकथाम और नियंत्रण के

लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) में खर्च न किए गए बहुत अधिक बकाया शेष के कारण इस कार्यक्रम के लिए संपूर्ण राशि जारी नहीं की गई थी। समिति ने पाया कि एनपीएचसीई के मामले में स्वास्थ्य देखरेख और प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव था और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों और उनके उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार कार्य संचालित नहीं किया। एनपीसीडीसीएस के मामले में व्यवहार और जीवन शैली में फेर-बदल संबंधी कार्यकलापों पूर्व निदान हेतु रोगियों की पहचान न किया जाना, उपचार सुविधाओं और प्रशिक्षण कार्यकलापों में कमी, तृतीयक कैंसर केन्द्र (टीसीसी) की स्थापना न होना, शिशु रोगों के लिए कम उपचार आदि कम कार्य किए गए थे। समिति का यह भी मानना था कि यदि मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत आबटित निधि को खर्च करने के लिए व्यापक योजना का गठन किया गया होता और आईईसी कार्यकलापों, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य परामर्शी शिविरों, स्वास्थ्य जांच आदि पर व्यय को वर्गीकृत किया होता तो इस निधि में से कोई गैर खर्च बकाया शेष नहीं होता और अधिक महत्व के तौर पर इस कार्यक्रम ने इसके लक्ष्य को अर्जित कर लिया होता। इसीलिए समिति ने सिफारिश की कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए किसी व्यापक योजना का गठन करते समय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को जागरूकता, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य केन्द्रों और नवीन तथा अति सक्रिय कार्यविधियों आदि के जरिए इस कार्यक्रम की व्यापकता का विस्तार करने के लिए आईईसी कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इच्छुक लाभार्थियों की बेहतरी के लिए एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत आवंटित निधि का प्रभावी और कार्यदक्ष उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

[पैरा सं. 4]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का की-गई-कार्रवाई उत्तर

(एक) कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिनी संबंधी रोगों और आघातों के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस):-

भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जिला स्तर तक मधुमेह, हृदयवाहिनी संबंधी रोगों और आघातों के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) का कार्यान्वयन कर रही है। इनका फोकस व्यवहार और जीवन शैली परिवर्तन के लिए जागरूकता पैदा करना, उच्च स्तर के जोखिम पूर्ण घटकों वाले व्यक्तियों की पूर्व जांच और गैर संचारी रोगों (एनसीडी) के उचित प्रबंधन के लिए उच्चतर सुविधाओं में उनका इलाज और रेफरल (आदि आवश्यक हो) पर है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इस कार्यक्रम में सुधार किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का फोकस प्राथमिक और गौण स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जिला अस्पताल और इससे निम्न विकेन्द्रित स्तर पर स्वास्थ्य संवर्धन, बचाव, पहचान, उपचार और पुनर्वास पर सम्पूर्ण भारत था।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु काग्रनीति में स्वास्थ्य संवर्धन, जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहन, रोगों की पूर्व पहचान और जांचसमय पर, वहनीय तथा सही-सही नैदानिक उपचार, वहनीय उपचार तक पहुँच, पुनर्वास पर फोकस करना सम्मिलित है। रोगों की पूर्व नैदानिक उपचार हेतु कार्यनीति में गांवों, उप केन्द्रों, सीएचसी और जिला अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं वाले 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की मधुमेह, अति दाब की समय पर जांच सम्मिलित है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में एनसीडी नैदानिककेन्द्रों की स्थापना करने, स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न स्तरों के जरिए कैंसर (ओरल, सर्विकस, ब्रेस्ट), मधुमेह और उच्चदाब के लिए परीक्षण, डायग्नोसिस और उपचार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए यह उपचार नि:शुल्क अथवा अत्यधिक सब्सिडी पर किया जाता है। जून, 2018 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 525 जिला एनसीडी नैदानिक केन्द्र, 2564 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एनसीडी नैदानिक केन्द्र तथा 167 हृदयवाहिनी परिचर्या इकाइयों की स्थापना की गई है।

वर्ष 2017-18 में एनएचएम के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के तौर पर देश में 150 से अधिक जिलों में सामान्य गैर संचारी रोगों (मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर नामत ओरल, ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर) के निवारण, नियंत्रण और जांच के लिए एक जनसंख्या स्तरीय प्रयास शुरू किया गया है। इस प्रयास के अंतर्गत मान्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा कार्यकर्त्ता) और फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कामगारों के साथ-साथ जन समुदाय के बीच एनसीडी के जोखिमपूर्ण घटकों के बारे में जांच और जागरूकता पैदा करना सम्मिलित है। प्रशिक्षण संबंधी नियम और जांच लागू किए गए है तथा इन्हें राज्यों को संवितरित किया गया है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए है। इस प्रयास के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यावसायी नामित एमओ, आशा, एनएचएम, स्टॉफ नर्स, बहु उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (एमपीएचडब्ल्यू) के प्रशिक्षण के लिए भी राज्यों को निधि का प्रावधान किया जा रहा है। ..... एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों सहित लक्षित लाभार्थियों की बेहतरी के लिए अभिनव और संवादात्मक गतिविधियों आदि के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को जागरूकता, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परामर्श के लिए राज्य पीआईपी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां भी आवंटित की जा रही हैं। आईईसी गतिविधियों के लिए बजटीय आवंटन को भी प्रति राज्य एनसीडी प्रकोष्ठ **10** लाख रुपये से बढ़ाकर **70** लाख रुपये (**24** बड़े राज्य) और **50** लाख रुपये (छोटे राज्य / केंद्र शासित प्रदेश) कर दिया गया है। राज्यों ने आईईसी के लिए कई तरीके विकसित किए हैं जैसे पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर, शिक्षण मैनुअल के साथ-साथ ऑडियो-विजुअल और विजुअल साधन। विश्व कैंसर दिवस और विश्व मधुमेह दिवस भी स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।

(ii) राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एनपीएचसीई):

'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) व मंत्रालय द्वारा उसकी जांच किए जाने के आधार पर कार्यक्रम के जिला व उप-जिला स्तरीय कार्यकलापों का कार्यान्वयन करने के लिए एनपीएचसी का कार्यान्वयन वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के एनसीडी फ्लेक्सिबल पूल के तहत किया जा रहा है। फ्लेक्सिबल पूल की शुरूआत कार्यक्रम के तहत परिकल्पना किए गए कार्यकलापों व लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु पूल के तहत जारी इष्टतम निधियों का उपयोग करने के लिए की गयी थी। तथापि, जागरुकता, प्रशिक्षण व स्वास्थ्य काउंसलिंग, स्वास्थ्य केन्द्रों व उन्नतिशील तथा पारस्परिक कार्यकलापों आदि के माध्यम से एनपीएचसीई की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए आईईसी कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए समिति के अवलोकन का अनुपालन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियाँ

लोक लेखा समिति को आवंटन की तुलना में आबंटित निधियों की उपयोगिता और लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति की सूचना दी जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अद्यतन उत्तर

आवंटन और व्यय का विवरण अनुबंध 'क' में दिया गया है और वास्तविक लक्ष्य और प्राप्ति का विवरण अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

टिप्पणी /सिफारिश

समिति ने नोट किया कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के टीएसपी की निगरानी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी और तदनुसार, मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित कर रहा था। इस प्रणाली में निधियों के आबंटन और व्यय की निगरानी तथा वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति अर्थात् प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का योजनावार निष्पादन शामिल होगा। समिति का विचार था कि दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु टीएसपी के अंतर्गत तथा जनजातियों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए भी यह अनिवार्य है कि केंद्र स्तर तथा राज्य स्तर पर नोडल इकाइयों के पास तत्काल जानकरी साझा करने की प्रणाली हो। समिति का यह भी मत था कि केवल केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में ऑनलाइन निगरानी प्रणाली अपूर्ण और अप्रभावी होगा, क्योंकि मंत्रालय जमीनी स्तर पर जनजातियों की वास्तविक आवश्यकताओं से संबंधित सूचना प्राप्त/संग्रहित/एकत्र करने में असमर्थ था। इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि राज्य स्तर और जिला स्तर पर नोडल यूनिटों को शीघ्रातिशीघ्र ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में शामिल किया जाए, जो मंत्रालय द्वारा विकसित की जा रही थी। समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के 6 माह के भीतर इस संबंध में, प्रतिवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाए।

[पैरा सं.9]

जनजातीय कार्य मंत्रालय का की-गई कारवाई उत्तर

वेब पता **https://stcmis.gov.in** के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरु की गयी है। इसकी अवसंरचना में स्कीमों के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन की निगरानी, आवंटन की तुलना में व्यय की निगरानी, वास्तविक कार्य निष्पादन और परिणाम की निगरानी की परिकल्पना की गई है। पहले चरण में, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को **https://stcmis.gov.in** से जोड़ा गया है। यह ऑनलाइन प्रणाली योजना जारी डेटा और साथ ही केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी राज्यवार डेटा को प्रग्रहण (कैप्चर) करता है|

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियाँ

मंत्रालय ने शुरू की गई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में राज्य स्तर और जिला स्तर पर नोडल इकाइयों को शामिल करने की स्थिति प्रस्तुत नहीं की। इसे पीएसी को उपलब्ध कराई जाए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय का अद्यतन उत्तर

योजनाओं और एजेंसियों की बहुलता, कई कार्यान्वयन दिशानिर्देश, कई वास्तविक और वित्तीय रिपोर्टिंग संरचनाएं हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य के भीतर, विभिन्न विभाग टीएसपी निधियों को संभालते हैं। इस प्रकार, तालमेल लाना और अभिसरण को प्रभावित करना एक गंभीर चुनौती है। हालांकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऑनलाइन निगरानी पोर्टल https://stcmis.gov.in में शामिल किए जाने के लिए एक निगरानी ढांचा तैयार करने के लिए प्राइस वाटर हाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी) को एक परियोजना दी है। ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का की-गई-करवाई उत्तर

एनआईसी की सहायता से विकसित किए गए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) सॉफ्टवेयर में परिचालन संबंधी कुछ समस्याएं थीं। अत: बाहरी एजेंसियों की सहायता से सॉफ्टवेयर का समृद्ध वर्जन विकसित किया जा रहा है। इस नए सॉफ्टवेयर से मंत्रालय को जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) से संबंधित कार्यकलापों से संबंधित पृथक प्रकटन के साथ भविष्य में सभी पीआईपी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह सॉफ्टवेयर एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा तथा जनजातीय लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं का जमीनी स्तर पर आकलन सुकर करेगा।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियाँ

लोक लेखा समिति को सॉफ्टवेयर के विकास संबंधी अद्यतन स्थिति और संचलन की जानकारी दी जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अद्यतन उत्तर

ग्रामीण आबादी विशेष रूप से वंचित वर्गों को सुलभ सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) शुरू किया गया था। एनआरएचएम की एक मुख्य विशेषता स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार लाने के लिए हस्तक्षेप करना था। वर्ष 2013 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत इसके एक उप-मिशन के रूप में और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम) को इसके अन्य उप-मिशन के रूप में सम्मिलित किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनजातीय क्षेत्रों को मानकों में निम्नलिखित छूट प्रदत्त है-

एक. स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु शिथिल मानक- जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने के लिए जनसंख्या मानदंडों में छूट दी जाती है। उप-केंद्रों, पी.एच.सी. और सी.एच.सी. की स्थापना हेतु 5000, 30000 और 120,000 के जनसंख्या मानदंड की तुलना में जनजातीय और मरुस्थली क्षेत्रों में यह मानदंड क्रमश: 3000, 20,000 और 80,000 है। जनजातीय क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हेतु 'परिचर्या समय' (टाइम टू केयर) नामक एक नया मानदंड भी अंगीकार किया गया है जिसके अंतर्गत आवासों से 30 मिनट की पैदल दूरी पर एक उप-स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जा सकती है।

दो. जनजातीय/पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति **1000** आबादी पर एक आशाकर्मी के मानक को शिथिल करते हुए प्रति निवास स्थान एक आशाकर्मी नियुक्त करने के लिए राज्यों को छूट दी गई है।

तीन. जबकि अन्य राज्यों के पास प्रति **10.00** लाख की आबादी पर प्रति जिला अधिकतम **5** एमएमयू थी, वहीं जनजातीय और पहाड़ी राज्यों के लिए इसमें आवश्यकता के अनुसार छूट दी जा सकती है। जहां समतल क्षेत्रों में प्रतिदिन एक एमएमयू के पास जाने वाले मरीजों की संख्या **60** से अधिक तथा जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों प्रतिदिन **30** से अधिक होती है, उन इलाकों के लिए एमएमयू के मानकों में छूट देने के लिए उन्हें फिर से संशोधित किया गया है।

चार. इसके अलावा, सभी जनजातीय बहुल जिलों, जिनका संयुक्त स्वास्थ्य सूचकांक राज्य के औसत से कम है, को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) के रूप में चिन्हित किया है। इन जिलों को प्रति व्यक्ति उच्चतर वित्त पोषण मानकों में शिथिलता, निगरानी में वृद्धि और संकेंद्रित सहयोगी पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जाना है तथा इन्हें असाधारण स्वास्थ्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नवप्रवर्तित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है ।

- पीआईपी सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के फीडबैक को शामिल करने के पश्चात इसे सर्वर में होस्ट करने से पूर्व , इसकी किए जाने से पूर्व उपभोक्ता स्वीकार्यता जाँच (यूएटी) और थर्ड पार्टी लेखा परीक्षा की

जाएगी। इस प्रक्रिया में कुछ और समय लग सकता है; तथापि मंत्रालय इस सॉफ्टवेयर को शीघ्र से शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए कार्य कर रहा है।

उक्त प्रक्रिया के लंबित रहने के कारण, वर्तमान में, एनएचएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले सभी प्रस्ताव ईमेल और एक्सल फाइलों इत्यादि के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक कार्यकलाप के लिए विशिष्ट एफएमआर कोड को अनुमोदित किया गया है।

टिप्पणी/सिफारिश

लेखापरीक्षा में इस बात पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया था कि स्कीम के कार्यान्वयन की योजना में कमी थी क्योंकि टीएसपी के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार जनजातीय लाभार्थियों पर विशेष रूप से विचार किए बिना योजनाएं तैयार की गई थी। समिति ने समुदाय को शामिल करने विशेषकर जनजातीय बहुल ब्लॉकों में योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को महसूस किया था। समिति का मानना था कि योजना और निर्णय की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय के मुद्दों/चिंताओं को चिह्नित करना और प्राथमिकता तय करना अनिवार्य है। इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि टीएसपी के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व स्थानीय जनजातीय समुदाय से जानकारी/सुझाव प्राप्त किए जाएं। समिति का मानना था कि इससे कार्यान्वयन एजेंसी को विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले मुद्दों को चिह्नित करने और उसके समाधान के लिए अतिरिक्त निधि, मानव संसाधन और समय देने में इससे संबंधित कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को लाभ मिलना सुनिश्चित होगा|

[पैरा सं.12]

जनजातीय कार्य मंत्रालय का की- गई- कार्रवाई उत्तर

पूर्व योजना आयोग द्वारा दिनांक 18.06.2014 को जारी राज्य टीएसपी के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह निर्धारित किया गया है कि जनजातीय कल्याण विभाग राज्य स्तर पर टीएसपी विकास की प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत नोडल विभाग है। राज्य टीएसपी को बनाते समय, राज्य नोडल विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि टीएसपी को जिला योजना और निगरानी समिति (डीपीएमसी) द्वारा जिला स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए। डीपीएमसी को उन योजनाओं / कार्यक्रमों की वास्तविक माँग पर विचार करना चाहिए जो अजजा को लाभान्वित करने के लिए हैं, और उनकी स्थानीय आकांक्षाओं और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के इक्विटी पहलू को प्राथमिकता देते हैं।

इस प्रभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करते समय, एक शर्त यह है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार क्षेत्र में लागू की जाने वाली जनजातीय विकास से संबंधित परियोजनाओं / कार्यक्रमों के बारे में विधिवत जानकारी दी जाए। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि ऐसे क्षेत्रों में मानदंडों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित तंत्र के बारे में पीएसी को सूचित कर सकता है कि स्थानीय जनजातीय समुदाय के इनपुट / सुझाव मांगे गए हैं और योजना में शामिल किए गए हैं, जैसा कि पीएसी द्वारा संस्तुत किया गया है|

जनजातीय कार्य मंत्रालय का अद्यतन उत्तर

जैसा कि ऊपर बताया गया है, मंत्रालय द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करते समय, एक शर्त यह है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित पंचायती राज संस्थानों को अपने अधिकार क्षेत्र में लागू किए जाने वाले जनजाति विकास से संबंधित परियोजनाओं / कार्यक्रमों के बारे में विधिवत जानकारी दी जाए। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि ऐसे क्षेत्रों में मानदंडों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का की- गई- कार्रवाई उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राज्यों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) को तैयार करने हेतु सभी स्तर के दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है। एनएचएम के कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क में विकेंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था है। स्थानीय योजना और कार्य को सफल बनाने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता तथा पोषण समितियों को संयुक्त अनुदान दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एनएचएम के अंतर्गत राज्यों को कहा गया है कि वे उच्च प्राथमिकता वाले जिलों को जो राज्य औसत से नीचे समग्र स्वास्थ्य सूचकांक के साथ सभी जनजातीय जिलों को कवर करते हों, प्रति व्यक्ति उच्चतर आवंटन प्रदान करें।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

मंत्रालय के उत्तर से लोक लेखा समिति की अनुशंसा का निराकरण नहीं होता है। लोक लेखा समिति को उपयुक्त उत्तर दिया जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अद्यतन उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए उनके द्वारा अपनी राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में जिला/नगर स्वास्थ्य कार्य योजनाओं का समायोजन होना परिकल्पित तथा इसमें राज्य स्तर के क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं।

स्थानीय स्तर पर सृजित सर्विस डेटा, सिविल पंजीकरण आदि के प्रयोग द्वारा जिला आधारित नियोजन के माध्यम से विकसित जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएं एनएचएम के मुख्य स्तंभ हैं। आंकड़ों के प्रयोग द्वारा विकेंद्रीकृत नियोजन के निम्नलिखित लाभ हैं-

· इससे स्थानीय स्वास्थ्य जरूरतों के निर्धारण में सक्रिय समुदायिक और जनजातीय आबादी की भागीदारी सुनिश्चित होती है और उनका निराकरण भी होता है।

· इससे स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों से भी संसाधनों का दोहन हो सकता है।

· इससे समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली के निकट लाया जा सकता है और समुदाय के सदस्यों तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संवाद हेतु मंच भी उपलब्ध होता है।

· इससे स्वास्थ्य प्रणाली को सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रदत्त सेवाओं का उपयोग करने हेतु समुदाय से सूचनाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है।

· साक्ष्य आधारित कार्यक्रम अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और सफल होते हैं।

राज्यों को इस आशय के पत्र जारी किए गए हैं कि अनुसूचित जनजाति जिलों में स्वास्थ्य कार्य योजना विकसित करने हेतु नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय जनजातीय समुदाय को भी शामिल किया जाए। (प्रति संलग्न)।

अध्याय पांच

सिफारिशें /टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं

शून्य

नई दिल्ली
__दिसंबर, 2022

__अग्रहायण, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति

लोक लेखा समिति

(परिशिष्ट-दो)

[प्राक्कथन का पैरा 5 देखें]

लोक लेखा समिति के 85वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(एक)	कुल सिफारिशों/ टिप्पणियों की संख्या	**13**
(दो)	समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है **पैरा सं . 2,5,6,7,8,10,11 और 13**	**कुल – 08** **प्रतिशत– 61.54 %**
(तीन)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती -शून्य-	**कुल – शून्य** **प्रतिशत –0 %**
(चार)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराने की आवश्यकता है **पैरा सं 1,3,4,9 और 12**	**कुल – 1** **प्रतिशत – 38.46%**
(पांच)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं : -शून्य-	**कुल – 00** **प्रतिशत – शून्य**